लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
17-7-92
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

[खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XXI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 3–बुधवार, 13 नवम्बर, 1968/22 कार्तिक, 1890 (शक)

No. 3—Wednesday, November 13, 1968/Kartika 22, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
61	केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनायें	Central Industrial Projects	363-369
62	पाकिस्तान द्वारा सैनिक तैयारियां	Pak. Military Preparations	369-378

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

63	नागालैंड में प्रवेश के लिये परमिट	Permits for entry into Nagaland ...	379
64	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड में सोडियम फास्फेट का उत्पादन	Production of Sodium Phosphate at Indian Rare Earths Ltd.	379
65	खान अब्दुल गफ्फार खां का भारत का दौरा	Visit of Khan Abdul Ghaffar Khan to India...	380
66	जोंड–5 का हिन्द महासागर में उतरना	Laking of Zond-5 in Indian Ocean	380
67	रूस के साथ द्वि-पक्षीय वार्ता	Bilateral Talks with USSR	381
68	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	Centrally-sponsored Scheme during Fourth Five Year Plan	381–382
69	चीन के साथ वार्ता	Dialogue with China	382
70	पाकिस्तान से श्री त्रिलोक चन्द्र की रिहाई	Release of Shri Trilok Chandra from Pakistan	382–383

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/S.Q.Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
71 श्री लंका के महासर्वेक्षक द्वारा कच्चा टीबू के बारे में प्रकाशित नक्शे	Maps on Kachetativu Island Published by Surveyor General of Ceylon	383
72 तीन मूर्ति हाउस	Teen Murti House	383–384
73 ईरान और तुर्की के भूकम्प पीड़ितों के लिये सहायता	Assistance for Earthquake Victims of Iran and Turkey	385
74 क्यूबा में गिरफ्तार किये गये डा.आर.एस वासुदेव की रिहाई	Release of Dr. R. S. Vasudeva Arrested in Cuba	385
75 चीन से नागाओं की वापसी	Return of Nagas from China	385-386
76 1964 के भारत-लंका करार की कार्यान्विति	Implementation of Indo-Ceylonese Agreement of 1964	386-387
77 विमानों के फालतू इंजनों की बिक्री	Sale of Sparts Aero Engines ...	387
78 गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन	Non-Aligned Summit Conference ...	387-388
79 मुस्लिम राष्ट्र	Muslim Nation's	388
80 नौ सेनाध्यक्ष का विदेशों का दौरा	Foreign Tours of Chief of Naval Staff... ...	388
81 इंगलिस्तान में श्री फिजो से मिलने के लिये नागा प्रतिनिधिमंडल की विदेश यात्रा	Visit of Naga Delegation to meet Mr. Phizo in U-K.	389
82 कच्छ के सीमांकन पर असन्तोष	Resentment over Demarcation of Boundary ..	389
83 विद्रोही नागाओं के साथ बातचीत	Negotiations with Rebel Nagas	389
84 नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference in New Delhi ..	390

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

85	सेना का पुनर्गठन	Re-Organisation of Army	390
86	डा. राजेन्द्र प्रसाद स्मारक भाषण माला	Dr. Rajendra Prasad Memorial Lectures ..	390
87	चीनी दूतावास द्वारा निमंत्रण पत्रों का भेजा जाना	Issue of Invitations by Chinese Embassy	391
88	आकाशवाणी में ठेका प्रणाली	Contract System in AIR	391
89	सिक्कम में समाचार पत्र	Newspaper in Sikkim	391-392
90	पाकिस्तान को रूसी सहायता	Russian Aid to Pakistan	392
अता. प्र. सं./U.S.Q.Nos.			
401	समाचार बुलेटिन	News Bulletin	392
402	चीन के राष्ट्रीय दिवस समारोह में आमंत्रित भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationals invited to Chinese National Day Celebrations	392-393
403	'महात्मा' का वृत्त चित्र	Film Documentary of Mahatma	393-394
404	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विमानों का निर्माण	Production of Aircrafts of Hindustan Aeronautics Ltd.	394-395
405	वायुसेना मुख्यालय का शिक्षा निदेशालय	Air Headquarters Education Directorate ..	395-396
406	भारतीय हाकी टीम का मैनेजर	Manager of Indian Hockey Team ... —	396
407	भूटान में प्रवेश	Entry into Bhutan — ...	396-397
408	थुम्बा राकेट परियोजना	Thumba Rocket Project	397-398
409	मांस परिष्करण संयंत्र	Meat Processing Plant	398
410	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के लिये दूध तथा दूध से बने पदार्थों की आवश्यकता	Requirement of Milk and Milk Products for Defence Establishments	398-399
411	भारत में रूसी शिष्ट मण्डल के लिये उपयोग की गयी डी.एल.जैड. कारें	D.L.Z. Cars engaged for Russian delegation to India	399

413	छोटा केन्द्रीय मंत्रिमंडल	Small sized Central Cabinet	399-400
414	'सिक्किम छोड़ो' आन्दोलन	Quit Sikkim movement	400-401
415	मसानी समिति का प्रतिवेदन	Masani Committee's Report	402
416	प्राग में भारतीय दूतावास में लगाया गया रूसी झन्डा	Russian Flag Planted in Indian Embassy in Prague	402
417	विदेशी दूतावासों द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें	Journals published by Foreign Embassies ...	402-403
418	रूसी शिष्ट-मण्डल के विरुद्ध पालम हवाई अड्डे पर प्रदर्शन	Demonstration at Palam Airport against Russian Delegation	403-404
419	जाति भेद को समाप्त करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की विचार गोष्ठी	UN seminar on elimination of Racial Discrimination	404
420	चीन के साथ भारत के सम्बन्धों के बारे में संसद् सदस्यों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by M.P.S. Re : India with Chiana Relations ..	405
421	योजना आयोग के दल की रूस यात्रा	Planning Commission Team's visit o USSR...	405-407
422	पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने का समझौता	No-War pact with Pakistan	407-408
423	चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना	China's Admission to UNO	408
424	स्लीपिंग आइल्स	Sleeping Isles	408-409
425	गैर-कांग्रेस सरकारों के कार्य संचालन के बारे में केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा वक्तव्य	Statement by Union Law Minister about Functioning of Non-congress Governments	409

426 लुक पत्रिका को प्रधान मंत्री का इन्टरव्यू	P.M's Interview to 'Look'	409-410
427 सिक्कम के साथ करार	Agreement with Sikkim ...	410
428 सरकारी उपक्रम	Cabinet Secretariat ...	410
429 कच्छ सम्बन्धी बैठक	Kutch Meeting ...	411
430 भुनेश्वर में सैनिक केन्द्र	Military Station at Bhubaneswar	411-412
431 अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	US Arms Supplies to Pakistan ...	412-413
432 मद्रास में राष्ट्रीय छात्र सेना दल	N.C.C. in Madras ...	413
433 गुजरात में राष्ट्रीय छात्र सेना दल	N.C.C. in Gujarat	413
434 गुजरात के लिये ट्रांसमीटर	Transmitter for Gujarat	413-414
435 कच्चाटीबू द्वीप के स्वामित्व के बारे में बातचीत	Talks on ownership of Kachchativu Island ...	414
437 सर जफरुल्ला खां के भारत विरोधी भाषण	Remarks of Sir Zafrullah Khan Against India ...	414-415
438 लन्दन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा श्री फिजो की सहायता	Help to Shri Phizo by Pakistan High Commission in London	415
439 राष्ट्रीय नमून सर्वेक्षण निदेशालय के सामाजिक आर्थिक अनुभाग के कर्मचारियों के लिये यात्रा भत्ता	Travelling Allowance to Employees of Socio Economic Section of National Sample Directorate	415-416
440 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय कृषी औद्योगिक अनुभाग	Agro-Industries Section of National Sample Survey Directorate	416

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

441 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के अनुसन्धान कार्यकर्त्ता	Research Workers in National Sample Survey Direc'orate — ...	416
442 नौसेना मुख्यालय में प्रादेशिक भाषाओं में प्राप्त पत्रों के अनुवाद की व्यवस्था	Arrangements made for Translation of letters in regional language in Naval Headquarters ...	417
443 परमाणु नीति	Atomic Policy	417
444 प्रति व्यक्ति आय	Per Cap ta Income	418
445 संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला उठाया जाना	Raising of Tibet issue in UNO	418
446 दक्षिण तथा उत्तर कोरिया में वाणिज्य महादूतावास	Consulates General in South and North Korea	419
447 कार्डाइट फैक्टरी	Cordite Factory	419-420
448 वैमानिकों द्वारा बुरहानुल दीन का सम्मान	Honour to Shri Burhanul Din by Airman ...	420
449 पाकिस्तान को सैनिक वर्दियों की तस्करी	Smuggling of Military Uniforms to Pakistan...	420
451 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by central Government Employees —	420-421
452 सिक्किम में प्रतिनियुक्त अधिकारी	Officers in deputation to Sikkim	421
453 अहमदाबाद में फिल्म स्टूडियो	Film Studio at Ahmedabad ...	421
454 राजस्थान के लिये शक्तिशाली ट्रांसमिटर	Powerful Transmitter for Rajasthan	422
455 पाकिस्तान द्वारा भारतीय स्थल तथा आकाश सीमा का अतिक्रमण	Land anp air space violations committeed by Pakistan	422
456 भारतीयों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार	International awards for Indian	422-423

457	डिफेंस कालोनी, जालन्धर	Defence Colony Jalandhar	423
458	डिफेंस कालोनी, चन्डीगढ़	Defence Colony. Chandigarh ...	423–424
459	तिरुचिरापल्ली का आयुध कारखाना	Ordnance Factory at Tiruchirapalli	424
460	सिक्किम और भूटान में अमरीकी गतिविधियां	American activities in Sikkim and Bhutan ..	424–425
461	गिलगित एजेंसी तथा सिक्यांग के बारे में चीन पाकिस्तान करार	Sino Pak. agreement re. Gilgit Agency and Sinking	425
462	ब्रिटेन में मैसूर के व्यापार अभिकर्ता का कार्यालय	Office of Mysore Trade Agent in U.K.	425–426
463	चीन की पीपल्स लाइब्रेरेशन आर्मी के एक सदस्य का वक्तव्य	Statement by a Member of China's People's Liberation Army	426
464	सिक्कम द्वारा दार्जीलिंग पर दावा जताया जाना	Claim on Darjeeling by Sikkim ...	426–427
465	अमरीकी दूतावास द्वारा दिल्ली के एक न्यायालय द्वारा जारी किये गये सम्मन लेने से इन्कार	Refusal of USA Embassy to accept Summons issued by a Delhi Court	427
466	राज्यों की प्रति व्यक्ति आय	Per-Capita Income of States	427–428
467	संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने के लिये संसद् सदस्यों का चयन	Selection of M.Ps. for being sent to UNO ..	428
468	हरिजन कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Harijan Employees	428–429
469	ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ प्रधान मंत्री की मुलाकात	Prime Minister's Meeting with British Foreign Secretary	429

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

470	डा. धर्म तेजा को देश में लाना	Extradition of Dr. Dharam Teja	429-430
471	हरियाणा में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station in Haryana	430
472	चीन जाने वाले विद्रोही नागाओं का बर्मा में प्रवेश	Naga Rebels in Buama on way to China ...	430-431
473	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का दूसरा कारखाना	Second Unit of Bharat Electronics Ltd. ...	431
474	नागालैंड में युद्ध विराम की अवधि बढ़ाना	Extension of cease-fire in Nagaland	431-432
475	हिमाचल प्रेदेश की प्रति व्यक्ति आय	Per-capita income of Himachal Pradesh	432
476	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल के कारण हुई हानी	Loss due to Token Strike by Central Government Employees	432-433
477	गार्डन रीच वर्कशाप, लिमिटेड	Garden Research Workshop Ltd.	433-434
478	वायुसेना अध्यक्ष का विदेश दौरा	Air Chief's Visit Abroad ..	434
479	निजाम हैदराबाद द्वारा भूमि की खरीद	Purchase of land by Nizam of Hyderabad ...	434-435
480	हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे	Military Bases in Indian Ocean	435
481	टेलिविजन कार्यक्रम	T.V. Programme	436
482	प्रधान मंत्री की लातिनी अमरीकी देशों की यात्रा	Prime Minister's tour of Latin American countries	436-437
483	राज्यों की योजनाओं के प्रारूप	Draft Plans of States	437-438

484 केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कटौती	Slashing of Centrally Sponsored Schemes ...	438
485 क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन	Regional Economic Imbalances	438-439
486 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	Fourth Five Year Plan	439
487 मास्को, टोकियो और ओटावा के साथ टेलक्स/टेलिप्रिन्टर का सम्बन्ध	Telex/Teleprinter Links wite Moscow, Tokyo and Ottawa	440
488 सीमान्त क्षेत्रों के लिये ट्रांसमीटर	Transmitters for Border Areas	440-441
489 कराची बन्दरगाह पर हिन्दुओं के उतरने पर प्रतिबन्ध	Ban on landing of Hindus at Karachi Port ...	441
490 इटली द्वारा पाकिस्तान को पैटन टैंकों की सप्लाई	Supply of Patton Tanks to Pakistan by Italy...	441
492 सरकार के लिये फिल्मों का निर्माण	Production of Films for Government... ...	441-442
493 जोंड-5 का हिन्द महासागर में उतरना	Landing of Zond-5 in the Indian Ocean ...	442
494 विद्रोही नागाओं तथा मिजो को पाकिस्तानी सहायता सम्बन्धी दस्तावेजी सबूत	Pakistani Documentary Evidence of aid to Nagas and Mizos	442-443
495 लेह जाने वाले ए. एन. 12 विमान की तलाश	Search of Leh Bound A.N.-12 Aircrafts ...	443
496 सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in I & B Ministry	443-444
497 प्रतिरक्षा मंत्रालय में असैनिक कर्मचारी	Civilian Employees in Defence Ministry ...	444
498 प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings under Defence Ministry	444

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

अता.प्र. संख्या/U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
499	चौथी योजना के लिये उत्तर प्रदेश के साधन	Resources of UP for Fourth Plan ...	444
500	भूतपूर्व - इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारी	Ex-emergency Commissioned Officers ..	444-445
501	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan by USA ...	445-446
502	सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार	Publicity in Border Areas	44[illegible]-447
503	प्रचार हेतु शक्तिशाली ट्रांसमीटर	High Power Transmitter for Publicity...	447
504	संयुक्त राष्ट्र महासभा में भूटान का प्रतिनिधिमंडल	Bhuttan Delegation to UN General Assembly	448
505	प्रेस आयोग	Press Commission	448
506	सरकारी उपक्रमों का प्रचार कार्य	Publicity work of Public Undertakings ...	448-449
507	विदेशों में अपने प्रतिनिधि भेजने वाले मंत्रालय	Ministries having Independent Representation Abroad	449
508	अमरीका में हिन्दू धर्म के विरुद्ध प्रचार	Propaganda against Hindu Religion in USA...	449-450
509	भारत में चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रजनों का कनाडा में चले जाना	Czech Nationals in India gone to Canada ...	450-451
510	विदेशों को जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों में शामिल किये गये संसद् सदस्य	M Ps. included in Foreign Delegations ...	451
511	नेपाल को सहायता	Assistance to Nepal	451
512	अमरीका में भारतीय लोक सम्पर्क निकाय	Public Relation Bodies for India in USA ...	452
513	बर्मा से प्रत्यावर्तन करने वाले भारतीय को मुआवजा	Compensation for Indian Repatriates from Burma	452

514	स्वीडन द्वारा नये हथियार का आविष्कार	New weapon Invented by Sweden ..	452–453
515	न्यू चाइना न्यूज एजेंसी द्वारा प्रसारण	New China News Agency Broadcasts... ...	453
516	बिहार के उर्दू दैनिक समाचार पत्र	Urdu Dailies from Bihar	453–454
517	प्रतिरक्षा उत्पादन में विदेश सहायता	Foreign Assistance in Defence Production ...	454
518	मास्को में भारतीय फिल्म समारोह	Indian Film week in Mascow ...	454–455
519	केन्द्र में सर्वदलीय सरकार	All party Government at the Centre	455
521	शेख अब्दुल्ला द्वारा पासपोर्ट के लिये आवेदन पत्र	Application for passport from Sheikh Abdullah	455–456
522	विदेशों में भेजे गये सरकारी प्रतिनिधि मण्डल	Officials Delegations sent Abroad	456
523	फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loans sanctioned by Film Finance Corporation	456
524	अनुसंधान और विकास संस्था	Research and Development Organisation	456–457
525	नागालैंड की सीमा	Nagaland Border	457–458
526	नागा विद्रोहियों के साथ मुठभेड़	Incidents with Naga Rebels	458
527	कृषि तथा उद्योग पर आश्रित जन संख्या	Population Dependent on Agricultures and Industry — ...	458
528	विदेशों में प्रधान मंत्री के दौरे के सम्बन्ध में दूतावासों द्वारा समाचार आदि देने की व्यवस्था	Arrangements made by Indian Embassies for the coverage of Prime Minister's Tour Abroad ...	458–459

529 नागावों के साथ नकट भविष्य में मुठभेड़े होने की संम्भावना	Immineat Braking up of Hostilities with Nagas	459
530 रूस के हस्तक्षेप के बारे में श्री अशोक मेहता की कथित टिप्पणी	Reported remarks of Shri Ashoka Mehta about Russian Interference	460
531 गणतन्त्र दिवस के लिये पास	Republic Day Passes – ..	460
532 कोरिया लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की वर्षगांठ	Anniversay of Democratic People's Republic of Korea	461
533 सिल्चर में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Silchar	461
534 विदेशों में भारतीय मिशनों की कार्य प्रणाली	Workings of Indian Missions Abroad...	461-462
535 प्रधान मंत्री की प्रस्तावित पीरु यात्रा	P.M's Proposed visit to Peru ...	462
537 पीकिंग रेडियो से प्रसारण	Peking Radio Broadcasts ...	462-463
538 आसाम - पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव	Pak. Concentration on Assam-East Pak. Border	463
539 सैनिक स्कूल, काजकोथम	Sainik School at Kazhakkotham	463-464
540 इंग्लैंड के पत्तनों में भारतीयों के प्रवेश पर रोक	Banning of Entry of Indian in U.K. Ports ...	464
541 पूर्ति विभाग में सैनिक कर्मचारियों के वेतन	Salaries of Army Personnel in Supply Department	464-465
542 चौथी योजना के लिये कार्यकारी दल	Working Groups for Fourth Plan	465
543 चौथी योजना के लिये कार्यकारी अध्ययन दल	Working Study Groups for Fourth Plan ...	465-466

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
544	जाति - भेद के सम्बन्धों में संयुक्त राष्ट्र संघ की गोष्ठी में भाग लेने के लिये गया भारतीय प्रतिनिधि मंडल	Indian Delegation to UN Seminar on Racial discrimination ... –	466-467
545	जाति-भेद सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ की गोष्ठी में भाग लेने वाला भारतीय प्रतिनिधि मंडल	Indian Delegation to UN Seminar on Racial Discrimination ... –	467-468
546	सैनिक कृषि फार्म	Military Agricultural Farms ...	468-469
547	सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार समितियां	Advisory Committee of I & B. Ministry ..	469
548	फिल्मों का प्रदर्शन	Release of Films	469-470
549	तुलीहार हवाई अड्डे के लिये अर्जित भूमि का मुआवजा	Compensation for land acquired for Tulihar Aerodrome – –	470
550	आपात कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारी	Emergency Commissioned Military officers –	470
551	मनीपुर में प्रदर्शन के बारे में समाचार का प्रसारण	Broadcasts of News about Demonstration	471
552	पाकिस्तान द्वारा 'अयुद्ध समझौता' की पेशकश	No War Pact offer by Pakistan	471
553	ताशकन्द करार	Tashkent Agreement	471-472
554	भारतीय सैनिक अकादमी में दाखिला	Admission to Indian Military Academy –	472
555	पूना के निकट झोंपड़ी वासियों के साथ सैनिक कर्मचारियों का झगड़ा	Clash of Army Personnel with Jhonpri Dwellers near Poona ...	472-473

556 उत्तर वियतनाम में अमरीकी बमबारी को रोका जाना	Stoppage of US Bombing in North Vietnam...	473
557 पाकिस्तान की जेलों में भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationals in Pakistan Jails ...	473-474
558 हिमालय पर्वतारोहन संस्था	Himalayan Mountaineering Institute ...	474
559 मैसर्स कूपर एलन एण्ड कम्पनी	M/s Cop per Allen and Company	474-475
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	475-476
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	476
अड़तीसवां प्रतिवेदन	Thirty-eight Report	476
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव जारी	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers (Contd.) ...	476-486
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ...	476
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ...	482
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक	Registration of Births and Deaths Bill	486
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider as passed by Rajya Sabha	486
श्री के.एस. रामास्वामी	Shri K.S. Ramaswamy ...	486
श्री मीठा लाल मीना	Shri Metha Lal Meena	487
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	487
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	487
श्री दी.चं. शर्मा	Shri D.C. Sharma ...	489
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shankar Sharma	489
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ...	490

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	490
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka ...	491
श्री पी. राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	491
श्री भोलानाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master	492
श्री चित्ति बाबू	Shri C. Chittyababu ...	492
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar ...	493
खंड 2 से 10	Clauses 2 to 10 ..	494-500
खान अब्दुल गफ्फार खां की भारत यात्रा	Visit of Khan Abdul Ghaffar Khan to India	501-503
आधे घंटे की चर्चा	Half an hour Discussion ..	501
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri ...	501
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	501

लोक-सभा

LOK-SABHA

बुधवार, 13 नवम्बर 1968/22 कार्तिक, 1890 (शक)

Wednesday, November 13, 1968/*Kartika* 22, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनायें

***61 श्री हरदयाल देवगुण :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग का विचार इस समय निर्माणाधीन अथवा विस्ताराधीन केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं पर यह राशि खर्च करने का योजना आयोग का प्रस्ताव है ;

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(घ) उनके पूरा होने के पश्चात क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब. रा. भगत) : (क) मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि इस समय क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1967-68 के बाद लगभग 1500 करोड़ रूपए का निवेश करना होगा ।

(ख) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें 1951–68 की अवधि के दौरान परियोजनावार निवेश और इन परियोजनाओं की पूर्ति पर अपेक्षित उपलब्ध क्षमता प्रदर्शित की गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2069/68**]

Shri Hardayal Devgun : Three thousand crore rupees have already been invested in the Central Industrial projects. The Government has also given the details of the income derived as a result thereof. Now it is proposed to invest another 1500 crore rupees. This is just half of the money alredy invested. This investment is likely to effect the economy of the country. May I know whether Government propose to complete the capacity of the present projects and to remove the losses being suffered by them before investing the amount and may I know whether any committee of experts has been constituted for this purpose which may give suggestions in this regard in order to complete the capacity of the projects and make good their losses ?

Shri B. R. Bhagat : Yes, sir. As the hon. member knows the Planning Commission and the National Development Council consider these matters and make changes in the planning with a view to remove the disparities and other shortcomings. The projects under discussion are already functioning. We will devote more attention to matters like agriculture, small industries etc. which will increase our growth rate. We are not yet paying much attention towards big projects. We have taken into consideration all these things.

Shri Hardayal Devgun : In the statement laid on the Table it has been stated that Rs. 578 crores for Bokaro Steel Plant, Rs. 202 crores for Bhilai Steel Plant, Rs. 65 crores for Heavy Electrical Plant, Rs. 140 crores for Korba Aluminium and enough money for Heavy Machine Tools, Ranchi has been earmarked. I am taking only the big amounts. There was a loss to the tune of Rs. 170 crores in Rourkela, Rs. 133 crores in Bhilai and Rs. 1303 crores in Durgapur. In Hindustan Steel a loss of Rs. 40 crores is likely to be incurred during the current year as appears from the present condition. In Ranchi the machines are lying idle. In Heavy Electrical Plant, Bhopal there is going to be a loss of rupees thirteen crores at the investment of rupees 65 crores. May I know whether before making any investment in these and other such like industries, Government propose to make use of the full capacity of these projects ? The hon. Minister has said that the investment will be made only in those industries which are necessary for development. May I know whether the present capacity of any industry will be fully utilised. May I know whetherr Government have considered to make investment in these industries after bringing efficiency in them and attaning profit from them. Whether any assurance will be given by Government in this connection ?

Shri B. R. Bhagat : All that the hon. Member has said is correct. It is very essential to see that by the investment made in these industries full profit should be derived. As has been told to the House the return in the present Public Undertaking has been at the rate of four percent. Planning Commission wants to see that there is more return, let it be six percent. Therefore there cannot be two opinions that on the investment made there should be more and more profit This thing has also been given weight that there should be profit on the investment already made. New projects should not be pressed. All these things have been explained in detail. This amount is meant for those industries which ought to be completed otherwise the amount invested will go waste.

श्री लोबो प्रभु : मैं उन अनुमानों को लेकर चल रहा हूं जिन्हें माननीय मन्त्री ने अभी स्वीकार कर लिया है । पहली बात तो यह है कि इन उपक्रमों से देश को हानि हुई है । दूसरे

यह हानि लोगों से लिये गये करों और ऋणों के रूप में पूंजी रही है। तीसरे, इस देश को पहले अधिक क्षमता से नुकसान हो रहा है। इन परिस्थितियों में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि चौथी योजना में क्रियान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं में कितनी पूरी हैं तथा कितनी पूरी की जाने वाली है। जहां तक उन परियोजनाओं का सम्बन्ध है जो पहले पूरी हो चुकी है, क्या वे मुनाफे पर चल रही हैं जिससे उनका विस्तार करना उचित समझा जाये। दूसरे जहां तक नई परियोजनाओं का सम्बन्ध है; उन्होंने अभी बोकारो तथा उर्वरक कारखानों का उल्लेख किया था। क्या विदेशी पूंजी अथवा देश की गैर-सरकारी पूंजी मांगते समय क्या उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा है कि सरकार के के पास धन की कमी है ? अन्त में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि जब कि कृषि तथा आवश्यकता पर आधारित मंजूरी देने के लिये भी कोई धन नहीं है तो इन आधुनिक उत्पादों को वे क्यों लेते हैं जिनसे ग्राम लोगों को सहायता नहीं मिलती है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक इन परियोजनाओं में लगाई गई पूंजी से होने वाले लाभ की दर का सम्बन्ध है हर वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तथा मैंने उसका उल्लेख किया है। इन परियोजनाओं में लगी हुई पूंजी से $\frac{9}{4}$ प्रतिशत आय हो रही है। परन्तु तथ्य यह है.......

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : यह बात सही नहीं है कि इन परियोजनाओं में आय नहीं हो रही है। कुछ ऐसे कारखाने हैं जो घाटे पर चल रहे है। प्रश्न यह है कि आप उन परियोजनाओं के बारे में क्या करना चाहते हैं जो घाटे पर चल रही है ?

श्री ब० रा० भगत : हर एक परियोजना के बारे में उत्तर देना मेरे लिये बहुत कठिन है चाहे वह परियोजना घाटे पर चल रही हो अथवा नहीं। परन्तु मैं सामान्य रूप से कह रहा था कि यदि आप ऐसे उद्योगों में लगाई गई सारी पूंजी को लें जो चल रही है नकि वे जो निर्माणाधीन है, तो तीन से चार प्रतिशत आय है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पूंजी का अधिक से अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से तथा यह देखने के लिये कि अग्रेतर परियोजना अथवा योजना के लिये अतिरिक्त आय हो; यह पूंजी लगाना तथा उनसे आय की दर बढ़ाना आवश्यक है। अतः इस बारे में दो राय नहीं हो सकती तथा मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूँ कि हमें पूंजी का पूरा लाभ उठाना चाहिये।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि कृषि अथवा किसी अन्य परियोजना के लिये धन नहीं है; क्योंकि धन इनमें लगाया गया है। यह बात सच नहीं है क्योंकि कम से कम पिछले तीन वर्षों से कृषि के लिये अपेक्षित धन दिया गया है तथा कृषि की प्रगति हो रही है। तथा भविष्य में, नयी परियोजना में, जो अब बनाई जा रही है, शीघ्र उपज वाली परियोजनाओं पर बल दिया गया है; चाहे वे कृषि में हो अथवा कृषि सामग्री में। चौथी योजना में औद्योगिक क्षेत्र में शायद ही कोई बड़ी परियोजना हो तथा हमारा विचार उन परियोजनाओं को पूरा करने का है, जो आरम्भ की गई है, तथा उनमें लगी पूंजी का पूरा लाभ उठाने का है।

Shri Randhir Singh : Sir, the hon. Minister has admitted that much amount is being wasted in the Central Industrial Projects and they are not giving good return. Keeping

this thing in view may I ask whether Government propose to change its policy to increase agro-based industries, Medium scale industries and cottage industries especially in rural areas so as to increase production in the country and create maximum employment opportunities especially when there are minimum chances of employment in Central Industrial Projects. If so, the amount likely to be spent in this connection ?

Shri B. R. Bhagat : All these things will be taken into consideration in this plan.

Shri George Fernandes : Sir, from the Statement laid on the Table it appears that Rs. 2449 crores have been invested so far in public industries. From this statement it also appears that in some States very much investment has been made while in others it is very less. As for example, an investment was made in Andhra Pradesh from 1951 to 1968 to the tune of Rs, 87 crores while in Madhya Pradesh it was to the extent of Rs. 459 crores. It was Rs. 68 crores in Kerala while in Orissa it was Rs. 418 crores. In Uttar Pradesh it was Rs. 147 crores while in Bengal it was Rs. 408 crores. All these things should be taken into account. I have given only broad figures. In this connection may I know whethere Central Government takes into account or not the population of the State, the needs of those people, the backwardness of the State while making a plan for investing such huge amount ?

Shri B. R. Bhagat : Keeping apart the steel industry the figures mentioned by the hon. Member will change. As in every steel plant an investment is made to the tune of Rs. 300 crores, 400 crores. 500 crores or 600 crores, so in case there is even one plant in a State it appears that there is much amount there.

An Hon. Member : Are they not included ?

Shri B. R. Bhagat : That is what I was saying that keeping apart the steel industry figures will look alike in every State.

Secondly, the condition of the State, the backwardness of it and employment opportunities all these things are taken into account while making investment in industries, Moreover there are two committees in the Planning Commission, which makes new plans, which take into account the backwardness of the State or the conditions thereof. They also consider how to increase the progress of industries in back ward areas and which investment should be made in them. They also consider how the big financial corporations will increase the investment in these areas. Hence all these things are taken into which have been pointed out by the hon. Member and they will be pressed in the new plan.

Shri Chandra Jeet Yadav : May I know whether it is essential to have a Central planning like this for the economic development and progress of the country and loss or profit aspect cannot be taken into account. But I feel that the main defect is that their full capacity is not being utilised. Moreover this tendency has been noticed in the public sector that they present such a plan to the Government which envisages further expansion only then its full capacity could be fully utilised. But the fact is that lacks of proper coordination, deficiency in management and improper planning all these factors are responsible which stand in the way of development of our public sector. May I know whether Planning Commission will take these factors also into account and will also try to remove the lacunae while taking into account the recommendations made by the Public Undertaking Committee and Administrative Reforms Commission otherwise full benefit will not be derived by the investment thus made.

Shri B. R. Bhagat : Yes. sir. The question of investment made in the industries or needed in starting them or the necessity of making improvements in planning or the recommendations made ali these things are taken into account and it is very necessary to run our central industries in such a way that they yield maximum profit.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the Planning Commission or your own department has an information to the fact that the Utter Pradesh which is a largest State, from the Geographical or population point of view, in all the three Central projects only 7 percent investment has been made while in ratio it should be double, treble or many more times. May I therefore know whether this thing also will be taken into account at the time of Fourth Five Year Plan that even the industrially backward State comes at par with other States ?

Shri B. R. Bhagat : The Plan of any State needs two things-internal resources of the State and Central estates, Much depends on this thing as to how much investment can be made by that particular State. In National Development Council a sub-committee of chief Ministers was constituted which had considered the question of Central assistance. That Committee had recommended that Central assistance should be given at the rate of 60 percent on this basis of population. While after that 10 percent assistance should be given on the basis of development of the States own resources and 10 percent assistance should be given to those States which face special problem of Adivasis etc. and 10 percent assistance should be given keeping in view the backwardness of the State. This is the recognised patern of Central assistance. It will help remove the disparity in the development of various States. But that disparity will be removed only when a State brings more investment.

Shri Shashi Bhushan Bajpai : Rupees 130 crores are proposed to be spent on the construction and extension work of Bokaro. That whole work has been entrusted to four contractors. Fifteen thousand labourers are working there May I know whether this work cannot be done in the public sector ? There is Bokaro construction corporation where an army of 300 supervisors is working. Dastur and Company is also there. Not only that there is Bokaro Steel Corporation as well as Hindustan Steel Works Corporation. May I know what is the necessity of so many institutions at one place and if this work is not got done by the contractors, who get atleast thirty percent profit, and is got done by the Government engineer then how much loss is likely to incur ?

Shri B. R. Bhagat : It is for the Steel Ministry to give details regarding construction, But it is our general policy to give more technical jobs such as construction and civil engineer works to most experienced hands in this field This work must be entrusted to the Government machinery which has experience in this line. But details can be given by the Ministry of Steel.

Shri Shasi Bhushan Bajpayee : My question has not been answered. There is no work with the Hindustan Housing Construction Corporation. In the presence of a corporation with its full army why this work is entrusted to the contractors ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय मन्त्री ने हमें अभी-अभी बताया है कि विभिन्न राज्यों में औद्योगिक परियोजना को किस आधार पर लिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अविकसित राज्य आन्तरिक साधन जुटाने की स्थिति में होने चाहिये । क्या उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि वे राज्य कितने साधन जुटा सकते हैं जो उनकी अपनी कसौटी के अनुसार अविकसित हैं ? चूंकि उन राज्यों के पास अपने राज्यों में साधन जुटाने के साधन बहुत सीमित

है । अतः क्या वे इसके लिये कोई प्रयास कर रहे हैं कि उन राज्यों को योजना के कारण कोई हानि न हो और वे यथासम्भव शीघ्र अन्य राज्यों के समान स्तर पर आ जाये ? इस सम्बन्ध में क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ।

श्री ब० रा० भगत : मैंने जिस कसौटी का उल्लेख किया था वह किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में था । एक प्रश्न उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया था तथा मैंने बताया था कि आन्तर साधनों तथा केन्द्रीय सहायता को कैसे बढ़ाया जायेगा । यह सच है कि जितना पिछड़ा हुआ राज्य हो उसके लिये साधन जुटाना उतना ही कठिन होगा । इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती । योजना आयोग की दो समितियां पिछड़े क्षेत्रों को निर्धारण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; वे पिछड़ेपन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगी ।

Shri Rabi Rai : Identification has been done. It has been proved by the figurs submitted by Government. These figures have proved which State is backward.

श्री ब० रा० भगत : क्या आप जानते हैं कि आप पिछड़ेपन के बारे में वही पुराना प्रश्न पूछ रहे हैं । यह समिति उस क्षेत्र को निर्धारित करेगी जहां प्रगति की आवश्यकता है । इसके अलावा इसे उद्योगों के विकेन्द्रीकरण, कृषि-उद्योग आधार और कृषि विकास समेत विकास करने के तरीके का सुझाव देना है । तीसरे, वित्तीय संसाधान लाने के उपाय सुझाने है क्योंकि इन सब चीजों से क्षेत्र का समुचित विकास हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि यदि माननीय सदस्य बहुत इच्छुक हैं तो हम इस बारे में किसी दिन चर्चा कर सकते हैं । प्रश्न-काल में आध घंटा या एक घंटा एक ही प्रश्न पर खर्च कर देने से कोई परिणाम नहीं निकल सकता । हम इस प्रश्न पर पहले ही 25 मिनट खर्च कर चुके हैं तथा कम से कम 10 और सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं । इसलिये यदि आप इस प्रश्न पर दो तीन मिनट और लगाने चाहते है तो मैं विभिन्न दलों के एक दो सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं ।

Shri Ishaq Sambhali : This House has been listening very impatiently that our Public Sector Undertakings have been continiously incurring loss and the reason for that has been the mismanagement in those industries. On the basis of my personal experience I can say that the management is handed over to such persons who do not have faith in Public Sector. The hon. Minister hnd admitted yesterday that since the new Chairman has taken the charge of H E. C. Ranchi the condition there has improved. May I therefore know whether Government propose to hand over the management in future to such persons who have faith in Public Sector and since Public Sector is spoilt through the private sector, may I therefore know whether Government propose to make such a scheme that project with certain sum will be taken over by Public Sector.

Shri B. R. Bhagat : In case we get capable persons for all places we will give chance to them. We also want to see that the management in public sector improves.

श्री ई० के० नायनार : माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में कहा है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं में केरल को केवल 51.1 करोड़ रुपये मिले थे तथा योजना आयोग और सरकार पिछड़े क्षेत्रों को निर्धारण करने वाली है । सरकार ने गत वर्ष केरल में फोटोकैमिकल प्लांट

और सूक्षम औजार कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दे दी थी; परन्तु उन्होंने अभी भी यह काम आरम्भ नहीं किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केरल के पिछड़ेपन की कसौटी में परिवर्तन तथा गत तीन योजनाओं के दौरान केन्द्र की विषमता को दूर करेगी ।

दूसरे, केरल हर वर्ष 1,138 करोड़ रुपये के मूल्य का सामान निर्यात करके इतनी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है । गत महीने श्री फखरुद्दीन अली अहमद केरल और मद्रास गये थे तथा उन्होंने यह कह कर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर आक्रमण किया था कि सरकारी क्षेत्र में मुख्य रूप से उनके कारण हानि हो रही है । परन्तु हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है तथा भिलाई में कर्मचारियों की पूरी उत्पादन क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा है । अतः श्री फखरुद्दीन अली अहमद कर्मचारियों के नाम पर गैर कांग्रेसी सरकारों का आक्रमण करते रहें हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड घाटे पर क्यों चल रही है तथा क्या सरकार केरल के औद्योगिक विकास के बारे में सीधा रवैया अपनायेगी तथा सूक्षम औजार कारखानें और फोटोकेमिकल्स फक्टरी स्थापित करने का प्रयत्न करेगी ।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक केरल तथा अन्य ऐसे राज्यों की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है जो विकास-कार्य में पिछड़ गये हैं, उनको नई परियोजना में ध्यान रखा जायेगा । जैसाकि मैंनें कहा है जहां तक केन्द्रीय सरकार की कसौटी का सम्बन्ध है स रे प्रश्न को राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप सुव्यवस्थित कर दिया गया हैं ; सभी पहलुओं पर जैसे पिछड़ापन पर तथा विशेष समस्याओं, जिनके कारण विगत काल में विकास रुका है, विचार किया जायेगा । इसका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं ।

जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है इस प्रश्न पर हर वर्ष विचार किया गया है । यह दुख की बात है कि सरकारी क्षेत्र में उस प्रकार ही काम नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिये । उनमें पूंजी तो लगी हुई है । प्रबन्ध तथा अन्य चीजों में सुधार की आवश्यकता है । हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि हिन्दुस्तान को मन्दी के कारण इस्पात की आन्तरिक मांग में तुरन्त कमी आ जाने के कारण घाटा हो रहा है । बहुत से इस्पात कारखाने क्षमता से कम काम कर रहे हैं । परन्तु दूसरी ओर, निर्यात बढ़ाये जाने के कारण, इस वर्ष इस्पात के निर्यात लक्ष्य अधिक हैं, इसलिये हम घाटा पूरा कर सकेंग ।

पाकिस्तान द्वारा सैनिक तैयारियां

+
* 62	**श्री वे० कृ० दास चौधरी :**	**श्री वंश नारायण सिंह :**
	श्री रा० बरुआ :	**श्री वृज भूषण लाल :**
	श्री यशपाल सिंह :	**श्री कंवर लाल गुप्त :**
	श्री नि० रं० लास्कर :	**श्री रामगोपाल शालवाले :**
	श्री शिव चरण लाल :	**डा० सुशीला नैयर :**
	श्री नारायण स्वरूप शर्मा :	**श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
	श्री जगन्नाथ राव जोशी :	**श्री रणजीत सिंह :**
	श्री शिव कुमार शास्त्री :	**श्रीमती सुशीला रोहतगी :**

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने काश्मीर से कच्छ के रन तक सीमा के साथ साथ सैनिक तथा असैनिक गतिविधि तथा प्रतिरक्षा मन्त्री सम्बन्धी दिवारों, नहरों, भूमिगत सड़कों, तथा बंकरों का निर्माण हाल में तेज कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने काश्मीर तथा पंजाब में बड़ी संख्या में जासूस भेजने का भी प्रयास किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हमारी सुरक्षा सेना के कर्मचारियों ने उनमें से बहुत से व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि गिरफ्तार किये गये कुछ जासूसों से पूछ-ताछ से भारत में पाकिस्तान की गतिविधियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ) : रक्षा निर्माण कार्यों और सीमा के पार प्रशिक्षण अभियानों समेत पाकिस्तान की विभिन्न प्रकार की सैनिक गतिविधियां जारी है। परन्तु ऐसा कोई इशारा नहीं कि हाल में इन गतिविधियों में कोई विशेष वृद्धि हुई है। पाकिस्तानी गुप्तचर काश्मीर और पंजाब में सप्रयत्न रहे हैं। उनमें से कुछ पकड़े गए हैं और उनसे पूछ-ताछ से उनकी गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई है। राज्य और केन्द्रीय स्तर पर हमारे सुरक्षा संगठन उनके उद्देश्यों को असफल बनाने के लिए सजग रहते है।

श्री बे० कु० दास चौधरी : यदि मैं ठीक कह रहा हूँ तो गत जुलाई में, पिछले सत्र के दौरान हमारे प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा था कि पाकिस्तान की सैन्य तैयारियां दुगनी हो गई है। पिछली कार्यवाही देख कर इसका प्रमाण मिल सकता है और यहां अब मन्त्री महोदय ने कहा है कि इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हैं। 7 सितम्बर के पेट्रिअाट में एक खबर है कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेना पूरे शास्त्रास्त्र से लैस है तथा अपनी सुरक्षा की किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकती है। इस में आगे कहा गया हैं कि :

"इस अवसर पर दिये गये एक सन्देश में श्री अयूब खां ने दावा किया है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने इन विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने हेतु हर सम्मान पूर्ण तथा न्याय संगत उपाय करता आ रहा है-- एक दिन भारत पाकिस्तान के साथ शान्ति के रहने के महत्व को अनुभव करेगा।"

ये सब उनकी तैयारियों के चिन्ह हैं। पाकिस्तान ने अपनी अर्द्ध-सैनिक तैयारियों की गति तीव्र कर दी है। वे भारत में अपने जासूस भेज रहे हैं। इसका उदेश्य निश्चय ही भविष्य में भारत पर आक्रमण करना है। जब कि सरकार ने यह स्वीकार किया है कि वे यहां जासूस भेज रहे हैं तथा इनमें से कुछ पकड़े भी गये हैं, मैं अनुभव करता हूं कि यह निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार समय समय पर इस उल्लंघन को रोकने के लिए विशिष्ट उपाय करेगी तथा क्या यह सरकार, स्थिति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आत्म-रक्षा सम्बन्धी खण्डों के अधीन आवश्यक उपाय करने की इच्छा रखती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से माननीय सदस्य कानूनी दृष्टिकोण से सोच रहे हैं जो कि न्याय संगत नहीं है। कोई देश कभी यह नहीं कहता कि वह अपने जासूस भेज रहा है। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत जासूस भेजने की अनुमति नहीं है। तो यह कहना कि हमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के कुछ उपबन्धों का प्रयोग करना चाहिये। एक ऐसा सुझाव है जिसे व्यावहारिक रूप में नहीं लाया जा सकता। जासूसी को रोकने का सबसे उत्तम उपाय अपने सुरक्षा प्रबन्ध दृढ़ करना, उन्हें गिरफ्तार करना तथा उनकी गतिविधियों को रोकना और उनके प्रयत्नों को विफल करना है। वास्तव में यही कुछ किया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, उनमें से कुछ पंजाब तथा काश्मीर में पकड़े गये थे तथा उनसे पूछ-ताछ करने पर बड़ी लाभ प्रद जानकारी हाथ लगी है जिसकी सहायता से उनकी जासूसी गतिविधियों आदि पर रोक लगाई जा सकती हैं।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : जासूसी के बारे को 21 सितम्बर को भी **हिन्दुस्तान टाइम्स** में एक रिपोर्ट प्रकशित हुई है। इसमें कहा गया है कि:–

"यह बताया गया है कि कुछ पकड़े गये जासूस तो हिन्दू और सिक्ख ग्रन्थों से संस्कृत और अन्य कठिन भाषाओं के वाक्य बड़ी सरलता से बोल सकते हैं ...."

केवल इतना ही नहीं, उन जासूसों ने अपने बहुत से प्रशंसक और प्रेमी भी बना लिये हैं इसके अतिरिक्त उनको पाकिस्तान द्वारा भिखारियों तथा पेशावर लड़कियों से विभिन्न प्रकार के काम लेने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ....

अध्यक्ष महोदय : वह अपना प्रश्न पूछें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा इक्कीसवां है।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : 19 सितम्बर की हड़ताल के बारे में सरकार अपने कर्मचारियों को दबाने में तो बड़ी ही योग्य सिद्ध हुई। मैं जानना चाहूँगा कि, इन प्रेस रिपोर्टों, जिनका कि मैं हवाला दिया है, की दृष्टि से क्या सरकार द्वारा इन पाकिस्तानी जासूसों के उन कथित प्रशंसकों और प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है; यदि हां, तो कितने लोग बन्दी बनाये गये हैं, और यदि नहीं, तो इन गतित्रिधियों को रोकने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है।

श्री स्वर्ण सिंह : वास्तव में तो मैं यह नहीं जानता कि स्थानीय प्रशंसकों से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है, कोई भी व्यक्ति यदि जासूसी कार्यवाहियों में सहायता करता है तो वह स्वयं उस जासूसी के लिये उत्तरदायी होता है तथा इस दिशा में उचित कार्यवाही की गई है। जो भी गिरफ्तारियां हुई है, उनमें भारतीय नागरिक तथा पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की गतित्रिधियों में शामिल होता हैं या उस पर ऐसा सन्देह किया जाता है, तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, पूछ-ताछ होती है तथा उचित कार्यवाही की जाती है।

श्री रा० बरुआ : अभी हाल ही में, पाकिस्तान में भारत विरोधी प्रचार नई सीमायें पार कर गया है। राष्ट्रपति अयूबखां के हाल ही के वक्तव्यों से भारत-विरोधी भावनाओं में

तीव्रता आई है। श्री भुट्टो और उनके अनुयायी भी वही चाल चल रहे हैं। इस विचार से क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार को पाकिस्तानियों का ध्यान बांटने हेतु भारत पर किसी सम्भावी आक्रमण की आशा है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में भारत-विरोधी प्रचार काफी बढ़ा दिया गया है तो एक विचार, जो कि कई ओर से किया गया है यह भी है कि यह सब कुछ पाकिस्तानियों का ध्यान उनकी आन्तरिक समस्याओं की ओर से हटाने के लिये किया जा रहा है और ऐसे कृत्य पाकिस्तानी नेता प्रायः उस समय करते है जब वे स्वयं अपने देश में ही कठिन स्थितियों से गुजरते हैं। अब यह महत्वपूर्ण है कि भारत विरोधी-प्रचार को तेज कर दिया गया है। हमें इसे ध्यान में रखना है। जहां तक पाकिस्तान द्वारा किसी सम्भावित आक्रमणों के प्रश्न का सम्बन्ध है हम ऐसा अनुमान नहीं करते, परन्तु यदि वह ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम उन्हें मुंह तोड़ उत्तर देंगे।

Shri Yashpal Singh : Whether the Govt. is aware that not in lakhs but crores of people in Pakistan have friendly feelings for India ? Badshah Khan Frontier Gandhi Abdul Ghaffar Khan, is our very honourable leader and he in Mahatma Gandhi's association, has sacrified everything for the cause of India ? Whether the Govt. is trying to be fulfil to the promise given by Mahatma Gandhi to the Pathans ? Are the Govt. of India aware that our Pakhtoon brothers are quite strong enough to dash to ground the Pakistani intentions ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लोग भारत के साथ शान्ति से रहना चाहते हैं।

दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध प्रतिरक्षा मंत्रालय से नहीं हैं।

श्री नि० र० लास्कर : मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र में ज्यादातर पूर्वी-पाकिस्तान से लगने वाले क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति बहुत ही बुरी होने के कारण, हमारी सेनाओं की, विशेषकर सशस्त्र सेनाओं की गति में बहुत बाधा पड़ती है; और यदि हां, तो मैं जानना चाहूँगा कि सरकार सीमा सड़क संस्था के माध्यम से उन क्षत्रों की सड़कों की देखभाल करने में क्यों संकोच कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां भी आवश्यक समझा जाये वहां सड़कों के निर्माण में संकोच नहीं करुंगा। कठिनाई यह है कि राज्य सरकारें कुछ विकास-सड़कों का काम भी हम पर डालने का प्रयत्न कर रही है।

Shri Shiv Charan Lal : Since the scheme for constructing an irrigation canal along Indo-Pak borders has not so far been completed; I want to know from the hon.Minister whether the Govt. keeping in view the security of the nation, would complete it and also construct bunkers therein as done by Pakistan ?

My second question is what steps are the Govt. taking to check smuggling ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम अपने प्रदेश में स्थैतिक प्रतिरक्षा के प्रबन्ध की ओर भी समुचित ध्यान दे रहे हैं।

Shri Shiv Charan Lal : On a point of order. I belong to U. P. and the hon. Minister too does not come from England. He can well answer in Hindi. He may answer that in Hindi so that I may understand.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अंग्रेजी में बोलना आरम्भ किया था। वह हिन्दी में बोलना जारी रख सकते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं अवश्य ही अंग्रेजी में बोलता रहूंगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरी हिन्दी की उत्तर प्रदेश की हिन्दी से तुलना नहीं की जा सकती, और अपनी मर्जी की भाषा बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यहां कहीं भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, वह चाहें तो अंग्रेजी में बोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इन दो भाषाओं में एक में बोल सकता है। कोई आदमी किसी अन्य को किसी विशिष्ट भाषा में बोलने को बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि प्रश्न हिन्दी में किया गया है, इस का अर्थ यह नहीं कि वह अंग्रेजी में उत्तर नहीं दे सकते। मैं यह सुझाव नहीं मानता। उन्होंने स्वंयम् अंग्रेजी में आरम्भ किया था। मैंने उन्हें किसी विशिष्ट भाषा में बोलने को नहीं कहा था। उन्होंने अंग्रेजी में आरम्भ किया तथा किसी ने इस पर आपत्ति न की। यदि वह हिन्दी में उत्तर देना आरम्भ करदें तो फिर कोई अन्य भी आपत्ति कर सकता है और कह सकता है कि वह अंग्रेजी में उत्तर चाहाता है। और इस प्रकार एक समस्या उत्पन्न हो जायगी।

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैंने कहा कि हम स्थैतिक प्रतिरक्षा-प्रबन्धों की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। इस के अतिरिक्त

Shri Ram Sewak Yadav : On a point of order.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता। यह सामान्य प्रक्रिया है।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has taken the oath of Constitution and also it is the Govt.,s Policy to develop Hindi. Then what is the difference in Punjabi and Hindustani. You speak in Punjabi we will understand it

श्री श्रीधरन : हम अंग्रेजी में उत्तर चाहते हैं। उन्हें कोई आदमी हिन्दी में बोलने को बाध्य नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : जबकि हम सुरक्षा की बातें कर रहे हैं हमें भाषा का मामला बीच में नहीं लाना चाहिये। भाषा पर विवाद करने से अधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा का मामला है। फिर साथ-साथ अनुवाद का भी तो प्रबन्ध है। यहां केवल एक साथ बोलना मना है।

Shri Rabi Ray : He can well speak in Hindustani.

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। इस सभा में ऐसे भी लोग हैं जो हिन्दी नहीं जानते। मैं उनको इस उस भाषा में बोलने का आदेश नहीं दूंगा। यदि माननीय सदस्य

आपत्ति करते हैं तथा कहते हैं कि मंत्री को हिन्दी में बोलना चाहिये तो यहां श्री श्रीधरन जैसे अन्य सदस्य भी हैं जो चाहते हैं कि मंत्री अंग्रेजी में बोलें। अतः भाषा के मामले को यहां बेकार में मत उठाइये जबकि यहां यह नहीं उठा है।

Shri Rabi Ray : we are only requesting him.

अध्यक्ष महोदय : चाहे मंत्री हो अथवा कोई सामान्य सदस्य, प्रत्येक इन दो भाषाओं में से किसी एक में बोल सकता है........

एक माननीय सदस्य : या अपनी मातृभाषा में।

अध्यक्ष महोदय : बेशक। मैं पहले ही इसकी अनुमति दे चुका हूँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। यदि वह चाहते हैं कि उनकी बात समझी जाये, तो उन्हें इन दो में से किसी एक भाषा में बोलना चाहिये क्योंकि इसके लिये साथ-साथ अनुवाद का प्रबन्ध है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं तो केवल यही टिप्पणी करूंगा कि इस प्रकार की मनोवृत्ति से हिन्दी के हितों को लाभ नहीं होगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ।

दूसरा प्रश्न यह था कि जो व्यापारी आपत्तिजनक कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई अथवा नहीं। मैं कहूंगा कि उचित कार्यवाही की गई है।

Shri Jagannath Roa Joshi : Mr. Speaker, the hon. Minister has just now said that Pakistan's activities have not increased, but the point is that these activities of Pakistan in these areas have always been on increased for the last several years and they have been attacking also, so what are we doing to check them ? The then Home Minister Shri Nanda had assured the House that those people of Chamb-Jorien areas who had run away to Pakistan in 1965, will not be allowed to come back; but inspite of that they been allowed to return and settle. I, therefore, want to know from the hon. Minister that as he has admitted that some spies have been arrested, how many of them are those who have come back and settle ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे पास इसका पूरा विवरण नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether it is a fact that Pakistan spends 3.52 per cent of her national income on defence whereas we spend on 3.3.% i. e. that is she is spending major part of her income on defence. And besides that, they have constructed a 26 miles long road near the Haji-peer, the post which you gave them back ? Similarly, Pakistan is digging an Ichhogil canal like canal in the Chhamb Sector and also constructing some dams. In addition to these preparations, Pakistan has got vacated a thirty mile's area along Rajasthan borders where no Hindus or other people live whereas our own Rajasthan borders have become deserted owing to non-availability of water, and drought. In such circumstances, if to-morrow, there is any Pakistani attack from Rajasthan or Kashmir side, what steps are the Govt. taking in this behalf ? would the Govt. assume the people that if there is any Pakistani attack, that would be met with full might ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि इसका उत्तर तो स्पष्ट है। हमें अपने हर क्षेत्र की रक्षा करनी है तथा हमारे किसी भी प्रदेश पर अथवा हमारी प्रभुसता पर यदि कोई आक्रमण

होता है तो हम उसे पूरी शक्ति से रोकेंगे । इस बारे में मुझे किसी प्रकार का कोई भी सन्देह नहीं है ।

और जो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है, यह सच है कि पाकिस्तान हमारी तुलना में अपनी कुल आय का कहीं अधिक भाग अपनी सुरक्षा पर खर्च करता है । परन्तु माननीय सदस्य द्वारा दिये गये आंकड़ों की मैं पुष्टि नहीं कर सकता । यह सच है कि कई क्षेत्रों में उन्होंने कुछ निर्माण कर लिये हैं तथा अपने संचार साधनों को विकसित कर लिया है तथा कई नहरों आदि का भी निर्माण कर लिया है । हमने भी अपने सामारिक महत्व के स्थानों के लिये आवश्यक उपाय कर लिये हैं तथा अपनी ओर कई सुरक्षा प्रबन्ध पूरे कर लिये हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : What about the Rajasthan border ? That was my main question. They have vacated a 30 mile area and our people are vacating our area their selves owing to drought etc., so what arrangements are you making in that behalf ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह स्वीकार नहीं करता कि उन्होंने राजस्थान सीमा के साथ साथ तीस मील का क्षेत्र खाली करा लिया हैं; पाकिस्तानी सीमा की स्थिति के बारे में हम पूरी तरह सजग हैं तथा मै नहीं समझता कि पाकिस्तान की ओर से होने वाले किसी आक्रमण का मुकाबला करने में हमें कोई कठिनाई उत्पन्न होगी ।

Shri Ram Gopal Shalwale : Is the hon. Minister aware that Pakistan and China both have collectively put a claim on 500 miles of Indian border and both of them are preparing for a big attack on India in future ? In addition to that, Pakisthan has built a number of canals like Ichhogil canal. America, England, China and Russia, all are given military arms to her and now Turkey has also asked for permission from America to giving 200 tanks to Pakistan. I want to know what is your reaction thereon ? Secondly, with reference to our Prime Minister's tour abroad, which countries have assumed supply military arms to India if Pakistan attacks again ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि चीनियों और पाकिस्तानियों ने मिलकर कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निरीक्षण किया हो । जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यह सच है कि पाकिस्तान नहरों आदि के रूप में कई सुरक्षा-निर्माण कर लिये हैं । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, इछोगिल नहर की जैसी नहरें, इनमें से एक हैं ।

यह सच है कि पाकिस्तान चीन तथा अन्य पश्चिम युरोपीय देशों सहित अनेक देशों से सैनिक साज-सामान प्राप्त कर रहा है । इस बारे में यहां भी विचार-विमर्श हुआ है । उन्हें सोवियत संघ से भी कुछ साज-सामान मिलने की आशा है । मै नहीं समझता कि हमने कोई ऐसी नीति स्वीकार करली है कि हम अन्य देशों, चाहे वे हमारे कितने ही गहरे मित्र क्यों न हों से यह प्रार्थना करें कि वे हमारी आजादी की रक्षा की खातिर अपने सैनिक लड़ने को हमारे यहां भेजें । हमें याद रखना चाहिये कि हम 55 करोड़ भारतवासियों ने ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु लड़ना है । यह विचार कि हमें दूसरे देशों से सैनिक मांगने चाहिये हमें कभी स्वीकार नहीं है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : किसने यह कहा है ।

श्री स्वर्ण सिंह : यही उन्होंने पूछा था। प्रश्न पढ़िये। उनका प्रश्न था : किस देश ने सैनिक और सामान देने का वायदा किया है।

• **Shri Bal Raj Madhok** : The hon. Minister has not heard that properly. The hon. Member had said military equipment (सैनिक साज-सामान) not soldiers (सैनिक)

अध्यक्ष महोदय : उनका अभिप्राय था सैनिक साज-सामान।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। जहां तक साज-सामान देने का सम्बन्ध है, उस समस्या पर दृष्टि डालने का यह एक विशिष्ट तरीका है। उन्होंने कहा है : आक्रमण के समय हमें कौन से देश साज-सामान देंगे। वह साज-सामान तो वास्तव में बेकार होगा यदि उसे उस समय मांगे जबकि कोई देश वास्तव में आक्रमण करता है अथवा हम पर वास्तव में धावा बोलता है। हमारे पास सारा साज-समान पहले से ही होना चाहिये। हमारे पास भी ऐसे स्रोत हैं, जहां से हम अपनी इच्छानुसार साज-सामान प्राप्त कर सकते हैं। सारे संसार में, इस क्षेत्र में किसी एक देश का एकाधिकार नहीं है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हम भी अपने देश की आवश्यकतानुसार अधिकतम साज-सामान स्वयं बनाने की ओर ध्यान दे रहे हैं। और पिछले कई वर्षों में हमने इस सम्बन्ध महत्वपूर्ण प्रगति करली है।

डा० सुशीला नैयर : माननीय मन्त्री ने इसकी पुष्टि की है कि पाकिस्तान में भारत विरोधी प्रचार बढ़ रहा है। क्या सरकार ने सोवियत संघ का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है जो कि ताशकन्द समझौते के गठन के लिये बहुत अधिक सीमा तक उत्तरदायी हैं और जिसने अब पाकिस्तान के साथ एक बडी नई गहरी दोस्ती करली है; ताकि सोवियत संघ इन बुरी वृत्तियों को मूर्त रूप होने से रोकने के लिये अपना योगदान दे सकें ? दूसरे, यह भी सर्वविदित है कि पाकिस्तान नागाओं तथा मिजों लोगों की सहायता कर रहा है तथा हर समय काश्मीर में भारत के विरूद्ध उपद्रव कराने की सोच रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, मैं जानना चाहूंगी कि सरकार पख्तूनों तथा पश्चिम व पूर्वी पाकिस्तान में आजादी के लिये लड़ने वाले अन्य तत्वों को नैतिक सहायता देने में भी क्यों सकुचा रही है ? जब पाकिस्तान हमारे देश में विद्रोही तत्वों को शास्त्रास्त्र दे रहा है तो हम उनकी ओर के लोगों को नैतिक समर्थन तक भी क्यों नहीं देते ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहले प्रश्न के बारे में; पाकिस्तान के भारत के प्रति घृणा उत्पन्न करने प्रचार, जो कि पाकिस्तानी नेताओं की एक सामान्य क्रिया हो गई है तथा जो कि पहले ही काफी जोरों से किया जा रहा है; के बारे में हमने सोवियत संघ को पूरी पूरी जानकारी दे रखी है। दूसरे प्रश्न पर मैं मानता हूं कि पाकिस्तान नागा, मिजो और काश्मीर के अन्य कानूनी तत्वों की सहायता कर रहा है तथा हमें इसे रोकने के लिए समुचित उपाय करने हैं। और इसको रोकने की गरज से मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करुंगा कि वे इसके साथ पख्तूनिस्तान के मामले को न जोड़ें। हमें अपनी इसी नीति पर दृढ़ रहना चाहिए कि किसी देश को किस अन्य देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह मामला नागाओं, मिजो लोगों अथवा अन्य किसी से सन्बन्धित है। पख्तूनिस्तान का एक अलग

मामला है, और मुझे विश्वास है कि जब भी यह मामला उठाया जायेगा, वैदेशिक कार्य-मंत्रालय उस पर कार्यवाही करेगा।

Shri R. S. Vidhyarthi : The hon. Minister has just now admitted that Pakisthanis Spies are active in Kashmir and Punjab and some of them have arrested also; so, is it not a fact that recently when the Rajasthan Governor Shri Hukam Singh gave submitted a report to the Centre about the drought in Rajasthan, he had stated that Pakistani spies are active in Rajasthan also; if so, the action taken by Govt. to check and arrest them.

I want to ask one more question whether it is not a fact that there is no coordination between all the intelligence agencies working in Kashmir and a rivalry is going on between them as a result of which a number of our officers have been arrested by Pakistan ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न पंजाब से सम्बन्धित था तथा उत्तर भी वहीं तक सीमित था, परन्तु भारत के किसी भी भाग में जहां कहीं भी पाकिस्तानी जासूसी गतिविधियां है, या जासूस हैं, उचित कार्यवाही की जाती है। प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, मैं यह स्वीकार नहीं करता कि काश्मीर में कार्य कर रही विभिन्न ऐजन्सियों के महत्व यथोचित समन्वय नहीं है, समन्वय है। यदि माननीय सदस्य के मस्तिष्क में कोई विशिष्ट बात है वह मुझे बाद में बता सकते हैं तथा मैं प्रसन्नता से उसकी जांच करूंगा।

Shri Ranjit Singh : It has become the main function of the Ministers to conceal the seriousness of the situation. Pakistan has doubled her might what she had in 1965. At present, Pakistan has 13 Divisions and 15 more are to be added to that whereas even after taking away from our borders along China, we have only a divisions to face Pakistan. The attention of the hon. Minister has perhaps not been attacted towards these figures and I would request you, Mr. Speaker, to ask the Hon. Minister to place the seriousness of the situation before the House instead of repeating 'We are well prepared'. This House is in all possible ways to help them in defending the country and is ready to make any sacrifice for the nation's security. But it is a matter of regret that the Govt. always deceives the House and does not make the House aware of the actual position, and that is why the House is not alert. I would like to ask whether it was published in the newspapers only three days ago that Pakistan infiltrators were arrested and they had informed that preparations were being made in Pakistan to attack India ? But the press has not gathered this report from the infiltrators; and it must have been released by some one. So, I want to know any intelligence branch of the Govt. of India, working in Kashmir has released such a report, as the hon. Minister is stating here that we do not anticipate any attack.

The hon. Minister may please state the actual position before the House.

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे वास्तविक प्रश्न समझ नहीं आया है, सिवाय इसके कि वह यह नहीं पसन्द करते कि..................

Shri Hukam Chand Kachwai : It is 12 O'Clock.............(interruptions).

Shri Swaran Singh : Kachwai Sahib, it is beyond your brain.

श्री बलराज मधोक : हमें इसका बहुत खेद है।

श्री स्वर्ण सिंह : यह कोई पहला अवसर नहीं है कि वह सभा में इस प्रकार की असभ्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं इसे भूलने का प्रयत्न करूंगा तथा इसे शत्रुता के रूप में नही लूंगा। यदि ये लोग इसी प्रकार का व्यवहार अपनायेंगे तो मुझे नहीं मालूम कि वे फिर क्यों इतना अधिक शोर मचाते है.............. (व्यवधान)

Shri A. V. Bajpai : We are sorry for that. It should have not happened but there is no use now to further the matter.

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। मैं अक्सर ये चाजे देखता हूं। मेरे विचार से कोई दल, पार्टी अथवा कोई व्यक्ति इस के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रत्येक दल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इस आधार पर आप यह नहीं कह सकते कि इसके लिए कोई दल विशेष दोषी है। दलों के नेताओं को माननीय सदस्य के व्यवहार पर खेद है। उन्हें इस बारे में बड़ी अप्रसन्नता हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि दल के नेताओं को इस पर खेद है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में वे सावधान रहेंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे आशा है कि आप इसे कार्यवाही से निकाल देंगे।

अध्यक्ष महोदय : दूसरी ओर मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करुंगा कि वह अपने शब्द वापस लें। कार्यवाही से निकालना ठीक नहीं होगा। माननीय सदस्य यह अनुभव करें कि उन्होंने गलती की हैं तथा फिर अपने शब्द वापस लें।

Shri Hukam Chand Kachwai : I have not said any thing specific. The question hour was over at 12.0 clock and I wanted to inform the hon. Minister about it.

Shri Shiv Kumar Shastri : While replying to the questions The hon. Minister has admitted that Pakistan's war preparations have increased at lot and also the anti-India propoganda. I want to know that when he visited the U. S. S. R., whether he informed the U. S. S. R. authorities about the preparations and attitude of Pakistan ? If so, the reaction thereof ? Also I want to know what information has been received from the Pakistani spies caught recently in Punjab and Kashmir.

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक बड़ा ही सामान्य प्रश्न है। जैसा कि मैंने कहा, हम सोवियत सरकार को पूरी तरह अवगत कराते रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या तैयारियां तथा मनोवृति हैं। जहां तक जासूसों से पूछ-ताछ का सम्बन्ध है, सो उन्होंने बड़ी लाभप्रद जानकारी दी है।

Shri Shiv Kumar Shastri : I wanted to know about the reaction.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह सत्य है कि पाकिस्तान ने युद्ध न करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है तथा बड़े जोरों से युद्ध की तैयारी कर रहा है। उसने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं तथा भारत पर विदेशी आक्रमण के हर चिन्ह नजर आ रहे हैं। इस स्थिति को मन में रखते हुए क्या प्रतिरक्षा मन्त्री तथा माननीया प्रधान मन्त्री राष्ट्र को विश्वास में रखने के लिए राष्ट्र से यह अपील करना उचित समझेंगे कि लोग विभिन्न प्रकार के उपद्रवों को बन्द करदें, जिनके कारण देश की एकता और शक्ति कम होती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक अच्छा सुझाव है, श्रीमान।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नागालैंड में प्रवेश के लिए परमिट

*63. **श्री बलराज मधोक** क्या वैदेशिक–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड में दाखिल होने के लिए शेष भारत के नागरिकों को नागालैंड के मुख्य सचिव से परमिट लेने की आवश्यकता होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नागालैंड से गुजरने वाले यात्रियों को भी ऐसे ही परमिट की आवश्यकता होती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क), (ख) और (ग): बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1873 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नागालैंड के पुराने वाशिन्दों को मणीपुर-दीमापुर सड़क पर जाते समय मणिपुर के निवासियों और सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर, बाकी किसी को भी जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो मार्ग में हों जिले के मुख्य कार्यकारी से सरकारी पास लिये बिना नागालैंड़ की पहाड़ी की तराई में अंकित एक रेखा से आगे जाने की इजाजत नही है । 1960 के 16 सूत्री ज्ञापन में यह विचार किया गया था कि नागालैंड के कम विकसित क्षेत्रों के हित में नागालैंड में अनिवासियों के प्रवेश पर वर्तमान नियंत्रण ही चालू रखना चाहिए ।

Productian of Sodium Phosphate at Indian Rare Earths Ltd.

*64. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the quantity of Sodium phosphate being produced on an average annually in Indian Rare Earths Ltd., Alwaye and the names of industries consuming it ;

(b) whether it is a fact that the consumption and export of sodium phosphate can be increased manifold ; and

(c) if so. the reasons for slow pace of expansion of this factory ?

The Prime Minister Minister of Atomic–Energy, Minister of Planing and Minister of Extarnal-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : The Honourable Member is presumably referring to Trisodium Phosphate which is produced at the Alwaye Plant of Indian Rare Earths Limited.

The average annual production of this chemical is about 4,200 tonnes. Trisodium Phosphate is used in the Textile, Sugar, Paper and Soap industries; it is also used as a water softener, descaler for boilers and as a detergent.

(b) A recent survey of the indigenous and overseas demand does not support this view.

(c) Does not arise.

खान अब्दुल गफार खां का भारत का दौरा

*65. श्री एस० पी० रामर्मूति :
श्री प्र० के० देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री समर गुह :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री 14 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4077 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान अब्दुल गफार खां के भारत आने के कार्यक्रम को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस स्थिति में प्रश्न नहीं उठता।

जोंड 5–का हिन्द महासागर में उतरना

*66. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने हिन्द महासागर में किसी विशिष्ट स्थान से स्वचालित अन्तरिक्ष केन्द्र जोंड–5 को प्राप्त करने की अपनी योजना के बारे में सरकार को अग्रिम जानकारी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो सूचना कब प्राप्त हुई थी और क्या जहाजों तथा अन्य पोतों को उस स्थान से जहा जोंड–5 के उतरने की आशा थी, दूर रहने के लिए कहा गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने सोवियत संघ के साथ भविष्य में उचित सूचना देने का मामला उठाया है, ताकि ऐसी स्थितियों में ऐसे क्षेत्रों में जहाज तथा मछुओं को शारीरिक हानि न हो।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि यह घटना खुले समुद्र में हुई थी, भारत के प्रादेशिक समुद्र में नहीं, और चूंकि हमारे मछेरों अथवा जहाजों को कोई खतरा पैदा नहीं हुवा था, इसलिए सरकार ने इस मामले को सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की सरकार के साथ नहीं उठाया है।

रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता

***67. श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री क० लकप्पा :
श्री रवि राय :
श्री अदिचन :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री ओंकार सिंह :
श्री बसुमतारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए हाल में एक रूसी प्रतिनिधि मंडल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो रूसी प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता का ब्यौरा तथा स्वरूप क्या था ;

(ग) क्या रूसी प्रतिनिधि मंडल के साथ चेकोस्लोवाकिया में हुई घटनाओं पर भी चर्चा हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ग) जी हां।

(ख) और (घ) इस विचार विमर्श से दोनों देशों को भांति भांति के अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय प्रश्नों पर निःसंकोच ढंग से और मित्रता पूर्वक विचार विनिमय करने का अवसर मिला। इस प्रकार का विचार विनिमय गोपनीय प्रकृति का होता है और उसे बताया नहीं जाता।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

***68. श्री हेमराज :**
श्री देवकी नंदन पाटोदिया :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कितनी तथा कौन कौनसी योजनाएं शामिल करने का विचार है ;

(ख) कौन-कौन सी योजनाओं को राज्य सरकारों के लिये छोड़े जाने का विचार है ; और

(ग) भविष्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित की जाने वाली नई विकास योजनाओं के सम्बन्ध में क्या मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (**श्रीमती इंदिरा गान्धी**) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2070/68**]।

(ख) राज्य सरकारें जिन स्कीमों को अपने राज्य के विकास के लिये आवश्यक समझें उन्हें अपने राज्य की योजना में शामिल कर सकती हैं पर ऐसा करते समय उन्हें समग्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का ध्यान रखना पड़ेगा और ये प्राथमिकताएं राज्य सरकारों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा तय की जायेंगी।

(ग) केन्द्रीय मन्त्रालय स्वीकृत स्कीमों के ब्यौरे तैयार कर रहे हैं। इन ब्यौरों की जांच के बाद मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्णय किया जाएगा।

चीन के साथ वार्ता

*69. श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी विमानों द्वारा पिछले तीन वर्षों में भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि यह चीनी सरकार के भारत के प्रति रवैये में एक स्वागत योग्य परिवर्तन है ;

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि अब समय आ गया है कि भारत दोनों देशों के बीच अनिर्णीत विवादों पर चीन के साथ वार्ता प्रारम्भ कर दे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०रा० भगत): (क) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों में चीनी विमानों द्वारा भारतीय वायुक्षेत्र का उल्लंघन किये जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने कई बार यह कहा है कि भारत सभी देशों के साथ, जिनमें चीन भी शामिल है, अपने मतभेद अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप शांतिपूर्ण बात चीत के जरिए दूर करने के लिए तैयार है। लेकिन चीन सरकार ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वह भारत के साथ अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण विचार-विमर्श के माध्यम से दूर करने को तैयार है।

पाकिस्तान से श्री त्रिलोक चन्द्र की रिहाई

*70. श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री लताफत अली खां :
श्री योगेंद्र शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा नजर बन्द किये गये दिल्ली के एक विद्यार्थी श्री त्रिलोक चंद की रिहाई के लिए सरकार द्वारा और क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) क्या उसके शीघ्र ही रिहा किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत सरकार ने यह पेशकश की है कि वह त्रिलोक चन्द्र के बदले में किसी एक ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रिक को रिहा करने के लिये तैयार है जिसने भारत में अपनी कैद की अवधि पूरी कर ली हो, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया है और वह ऐसे पाकिस्तान राष्ट्रिकों की रिहाई के लिए मांग कर रहें हैं जो अब भी भारत में कैद काट रहें हैं।

सरकार ने इस मामले को भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के साथ उठाया है तथा इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन को यह हिदायत भी दी है कि श्री त्रिलोकचन्द्र को रिहा कराने के लिए वह पाकिस्तान में सुलभ कानूनी सहायता लेने की कोशिश करें।

(ख) भारत सरकार को इस बारे में पाकिस्तान सरकार से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है कि त्रिलोक चन्द्र को रिहा कर दिया जायेगा।

श्री लंका के महासर्वेक्षक द्वारा कच्चाटीबू के बारे में प्रकाशित नक्शे

***71. श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री गयूर अली खां :
श्री केदार पस्वान :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका के महासर्वेक्षक द्वारा प्रकाशित नक्शों की प्रतियां भेजी हैं, जिनमें कच्चाटीबू को श्रीलंका का राज्य क्षेत्र दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन नक्शों का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख): जी हां।

(ग) कच्चा टीबू के प्रश्न पर भारत और श्रीलंका के बीच इस महीने विचार-विमर्श होना है ; उसमें इन नक्शों सहित सभी संगत आंकड़ों को ध्यान में रखा जाएगा।

तीन मूर्ति हाउस

***72. श्री मधु लिमये :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्री मंडल ने तीन मूर्ति हाउस को भारत के प्रधान मन्त्री का स्थायी निवास स्थान बनाने का अन्तिम रूप से निर्णय किया है।

(ख) क्या यह सच है कि इस भवन को नेहरु स्मारक बनाने का निर्णय भी 1964 में सरकार/मन्त्री मण्डल द्वारा किया गया था ;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखकर इस निर्णय का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के पक्ष में उनके मुख्य तर्क क्या है ; और

(ङ) इस निर्णय के बारे में सरकार का निश्चित मत क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) (ख) और (ङ): श्री लाल बहादुर शास्त्री तीन मूर्ति हाउस का प्रधान मन्त्री के निवास स्थान के रुप में अपने लिए प्रयोग नहीं करना चाहते थे। 21 जून, 1964 को मंत्री मण्डल ने यह निर्णय किया था कि प्रधान मन्त्री द्वारा एक छोटी समिति नियुक्त की जाये जो राष्ट्रीय समिति से, जिसका उस समय स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरु की स्मृति सम्बन्धी कार्य के समन्वय के लिये स्थापित किये जाने का प्रस्ताव था, परामर्श से इस बात पर विचार करे कि तीन मूर्ति हाउस की सम्पति का क्या उपयोग किया जाये। तदनुसार सितम्बर, 1964 में मन्त्री मंडल ने अन्य बातों के साथ यह निर्णय भी किया था कि स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरु की स्मृति में तीन मूर्ति हाउस का संग्रहालय के रुप में, जिसमें एक पुस्तकालय हो, प्रयोग किया जा सकता है।

हाल में भारत के प्रधान मंत्री के लिए एक स्थायी निवास स्थान के प्रश्न पर विचार करते समय मन्त्री मंडल के पास दो विकल्प थे—

(1) तीन मूर्ति हाउस को नेहरु संग्रालय तथा पुस्तकालय के लिये बनाये रखना और प्रधान मन्त्री के लिए पूरी तरह एक नये निवास स्थान का निर्माण करना अथवा (2) तीन मूर्ति हाउस को पुन: भारत के प्रधान मन्त्री का निवास स्थान बनाना और नेहरु संग्रहालय एवं पुस्तकालय के लिये किसी उपयुक्त स्थान पर पूरी तरह एक उपयुक्त नये भवन का निर्माण करना। दूसरे विकल्प को अधिक उपयुक्त समझकर मंत्रि मंडल ने यह निर्णय किया कि तीन मूर्ति हाउस को पुन: प्रधान मन्त्री का स्थायी निवास स्थान बनाया जाये तथा नेहरु संग्राहलय एवं पुस्तकालय के उपयुक्त नये भवनों का सेट बनाया जाये जो श्री नेहरु की स्मृति का प्रतीक हो।

(ग) और (घ) : संभवतः माननीय सदस्य इस विषय में प्रधान मन्त्री को भेजे गये अपने पत्र तथा अपने सहयोगी श्री जार्ज फरनेन्डीज के पत्र का उल्लेख कर रहे हैं। निस्संदेह इन पत्रों में लिखी बातें उन्हें ज्ञात है। प्रधान मन्त्री द्वारा उनके पहले पत्र का उत्तर, जिसमें माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये कुछ झूठे आक्षेपों और आरोपों का खंडन किया गया है, दिया जा चुका है। इस पत्र का सार समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है।

ईरान और तुर्की के भूकम्प पीड़ितों के लिए सहायता

*73. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान और तुर्की में हाल में आये भूकम्प के पीड़ित व्यक्तियों को कोई सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कुल कितनी राशि की सहायता दी गई ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय वायु सेना के एक विशेष विमान से 2,000 ऊनी कंबल, 2,000 पूरी बाहों के स्वेटर, 35 टेंट और 66 दवाइयों के पैकेट भेजे गये थे।

(ग) कुल रकम थी 1,78,979/60 रुपये।

क्यूबा में गिरफ्तार किये गये डा० आर० एस० वासुदेव की रिहाई

*74. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री जि० मो० विस्वास :
डा० रानेन सेन :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री सीताराम केसरी :
श्री राम सेवक यादव :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तथा कृषि संगठन में कार्य करने वाले भारतीय विशेषज्ञ डा० आर०एस० वासुदेव को, जिन्हें क्यूबा में गिरफ्तार किया गया था; रिहा करा लिया है;और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। सरकार के बीच में पड़ने पर, डा० आर० एस० वासुदेव को एक अक्तूबर 1968 को क्यूबा के अधिकारियों ने इस शर्त पर रिहा कर दिया था कि उन पर जो आरोप लगाये गये हैं उनके सिलसिले में जब तक कतिपय जांच पड़ताल पूरी न हो जाए तब तक वे क्यूबा में ही रहेंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीन से नागाओं की वापसी

*75. **श्री शारदा नन्द :**
श्री कार्तिक उराव :
श्री देवेन सेन :
श्री जो० ना० हजारिका :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 1000 नागा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद चीन से वापस आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें भारत में प्रविष्ट होने से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि युद्ध विराम समझौते के कारण सैनिक अधिकारियों को यह अधिकार नहीं है कि वे सीमाओं के आस-पास कहीं भी गश्त लगा सकें, जिससे वे उन्हें भारत में दाखिल होने से रोक सकें ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन सब विद्रोही नागाओं को पकड़ने के लिए सैनिक अधिकारियों को पूर्ण अधिकार देने का है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) और (ख): छिपे नागाओं के चीन और भारत के बीच यातायात के बारे में सरकार को जानकारी है और वह इस बात की हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वे भारत में वापस न घुसने पाएं। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के प्रबन्ध मजबूत कर दिये गए हैं। सदन इस बात को तो स्वीकार करेगा ही कि विवरण बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ग) जी नहीं। यह सच नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

1964 के भारत-लंका करार की कार्यान्विति

*76. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंका से भारत मूलक राष्ट्रिकताहीन व्यक्तियों के स्वदेश प्रत्यावर्तन सम्बन्धी 1964 के भारत-लंका करार की कार्यान्विति की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि लंका सरकार करार के अपने भाग को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में उदासीन रही है ;

(ग) उक्त करार को कार्यान्वित करने के बारे में भारत और लंका के बीच अधिकारी स्तर पर वार्ता इससे पहले कब हुई थी तथा उसका परिणाम क्या निकाला ; और

(घ) ऐसे अधिकारियों की अगली बैठक कब होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 1964 के करार के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 1968 तक भारतीय मूल के 25,142 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी थी। इसमें से 5818 व्यक्ति 31-8-1968 तक भारत आ चुके थे।

(ख) जी नहीं। ऐसा समझा जाता है कि श्री लंका की सरकार ने भी उपयुक्त प्राथियों को अपने यहां की नागरिकता प्रदान करना शुरु कर दिया है।

(ग) और (घ) : जैसा कि सब को मालूम ही है, इस समूचे प्रश्न पर दोनों सरकारों के अधिकारियों की एक सम्मिलित समिति में और राजनयिक सूत्रों के माध्यम से बराबर विचार होता रहता है। हमारी प्रधान मन्त्री सितम्बर, 1967 में जब श्रीलंका की यात्रा पर गई थीं उस समय भी इस मामले पर पुनर्विचार किया गया था। 1964 में भारत श्रीलंका करार की क्रियान्वित की प्रगति पर दोनों देशों के अधिकारियों की आगामी बैठक में (जो इस महीने के आखीर में नई दिल्ली में होगी) और 27 नवम्बर से श्री लंका के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा के दौरान फिर विचार किया जाएगा।

विमानों के फालतू इंजनों की बिक्री

*77. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 7 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 361 के उत्तर तथा 30 अगस्त, 1968 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गठरियों को पहले खोले बिना ही उनको नीलाम करने के क्या कारण हैं; जिनमें इंजन थे ;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने नीलामी के समय बोली लगाई थी और अन्ततोगत्वा ये इंजन किन-किन फर्मों को बेचे गये थे ; और

(ग) फर्म से इंजन वापिस खरीदने के लिये की गई बातचीत का क्या परिणाम निकाला हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) यह पहलू परिवहन मंत्रालय से सम्बन्ध रखते हैं, जो प्रशासनिकतौर पर मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के लिए उत्तरदायी है। उस मंत्रालय ने बताया है कि पोर्ट ट्रस्ट को जो बेची गई थीं वह टैंक जैसी मदें थी। वह बंद नहीं थीं, न ही कोई ऐसा इंगित ही था, कि वह इंजन है। पोर्ट ट्रस्ट द्वारा नीलामी के लिए सूचिबद्ध सभी पैकेज निरीक्षण के लिए कस्टम्ज द्वारा ही खोले जाते है। जमानती के तौर पर ट्रस्ट पेकेजों को उसकी बाहरी स्थिति के सन्दर्भ में अपने प्रभार में ले लेते हैं और पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कोई पेकेज नहीं खोले जाते सफल बोली देने वाला कि जिसे इंजन बेचे गये, श्रीवरदन, 14 मूर मार्केट, मद्रास 3 था। नीलामी आम होती है, और प्रति बोली देने वाले का नाम लिखने की परम्परा नहीं है।

(ग) भारतीय वायु सेना को इन इंजनों की कोई आवश्यकता नहीं, और फर्म को ऐसा बता दिया गया है।

सम्पूर्ण मामले की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने सविस्तार जांच की है।

Non-Aligned Summit Conference

*78. **Shri Bibbuti Mishra :**
Shri P. Venkatasubbaiah :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 743 on the 28th August, 1968 and state :

(a) the progress since made in regard to holding the non-aligned summit conference proposed by President Tito of Yugoslavia ; and

(b) whether the date and venue have been fixed ?

The Minister of State in the Ministry of External-Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) Inter-Governmental consultations are still in progress.

(b) No. Sir.

मुस्लिम राष्ट्र

*79. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पूर्वी पाकिस्तान के अपने दौरे के दौरान ढाका में 23 सितम्बर, 1968 को भारत पर यह आरोप लगाया था कि भारत अपनी विदेश नीति के अंग के रूप में मुस्लिम राष्ट्रों के बीच फूट डालने का प्रयास कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है और यह इस लायक भी नहीं कि हम इस पर कार्यवाई करें ।

नौसेनाध्यक्ष का विदेशों का दौरा

*80. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना अध्यक्ष ने हाल ही में कुछ आधुनिक समुद्रवर्ती देशों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो नौसेना अध्यक्ष ने किन-किन देशों का दौरा किया ;

(ग) क्या इन देशों के दौरे के परिणामस्वरुप नौसेना अध्यक्ष ने भारतीय नौसेना को आधुनिक रूप देने के बारे में कोई सुझाव दिये हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ) : ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालय से निमन्त्रण की स्वीकृति के अवसर से नौसेनाअध्यक्ष ने यू० के० के भ्रमण का लाभ उठाया, और पश्चिमी जर्मनी, स्वेडन, नीदरलैण्डज, फ्रान्स और फिनलैंड के भ्रमण का भी। नए साज-सामान समेत भारतीय नौसेना की रुचि के उन देशों में आधुनिकतम नौसैनिक विकासों से नौसेना अध्यक्ष परिचित होने में समर्थ हो पाए। नौसेना अध्यक्ष की रिपोर्ट सरकार का ध्यान आकर्षित किए हैं ।

Visit of Naga Delegation to Meet Mr. Phizo in U. K.

*81. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of External-Affairs be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that any decision has been taken at the All Naga Conference held in Kohima in August, 1968 that a eight members Naga delegation should go to U. K. to meet the Naga leader, Mr. Phizo.

(b) if so, whether this delegation has since gone to U. K. to meet the Naga leader, Mr. Phizo ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External-Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a), (b) and (c): No resolution about contacting Shri Phizo was passed by the Conference. However, the members of the Special Committee constituted by the Conference indicated to the Governor when they met him on the 25th September, 1968 that they wanted to meet Phizo. It was made clear to them that Phizo was a foreign national, and Government would not countenance his interference in the domestic affairs of India, nor would they agree to his return for any such purpose. No Member of the Committee is known to have gone to London to meet Phizo.

Resentment Over Demarcation of Boundary

*82. **Shri J. B. Singh** : Will the Minister of External-Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is great resentment among; the public against the demarcation to be done for the purpose of giving Indian territory of Kutch to Pakistan ; and

(b) whether Government propose to postpone the work of demarcation, keeping in view the public resentment against it ?

The Minister of State in the Ministry of External-Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) The public and the Parliament have supported Government's decision to implement the Award.

(b) Does not arise.

विद्रोही नागाओं के साथ बातचीत

*83. **श्री वे० अमात** : **श्री काशी नाथ पांडेय** :
श्री गु० च० नायक : **श्री श्रीगोपाल साबू** :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छिपे हुए नागाओं के साथ पुनः बातचीत आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) बातचीत कब आरम्भ होगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

नई दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन

***84. श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1968 में नई दिल्ली में हुए सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में किस-किस विषय पर चर्चा हुई ; और

(ख) उसमें क्या निर्णय किये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति-मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2071/68) ।

Re-Organisation of Army

*** 85. Shri Atal Bihari Yajpayee :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Vasudevan Nair :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Indian Express of the 29th September, 1968 to the effect that great difficulties are being experienced in re-organising the Army on the basis of castelessness;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a), (b) and (c): Government have seen an article in the Indian Express dated 19th September, 1968, on the subject of re-organisation of the Army by abolition of class, caste and religious distinctions in various formations. As has been indicated in answer to Lok Sabha Unstarred Question No. 6319 dated 28th August, 1968, the policy of reorganising the Army Units which, prior to Independence, were based on uncalled for distinctions, so as to remove the same, has been in force now for quite some time and gradual reorganisation has been going on for many years. While no difficulty has been experienced in giving effect to this policy, naturally care is taken to ensure that the change does not affect the fighting efficiency of the Army.

Dr. Rajendra Prasad Memorial Lectures

***86. Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it was decided to arrange Dr. Rajendra Prasad Memorial Lecture Series in Hindi from the Delhi Station of All India Radio;

(b) if so, the progress made in speeding up this scheme; and

(c) whether any more schemes of this type are also under consideration of Government ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) The first series of lecture is expected to be organised during 1969.

(c) No, Sir, not for the time being.

चीनी दूतावास द्वारा निमन्त्रण पत्रों का भेजा जाना

***87. श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी दूतावास ने 1 अक्तूबर, 1968 को अक्तूबर क्रान्ति की वर्षगांठ मनाने के लिये अनेक भारतीय लोगों को सीधे निमंत्रण पत्र भेजे थे;

(ख) क्या ये निमंत्रण पत्र सरकार के उन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए भेजे गये थे कि भारतीय नागरिकों को दूतावास में दावत के लिये भेजे जाने वाले निमन्त्रण पत्र उनके मन्त्रालय के माध्यम से दिये जायें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में तथा भविष्य में अनुदेशों के ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) चूंकि चीनी राजदूतावास ने भारतीय राष्ट्रिकों को निमन्त्रण पत्र भेजने में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना की थी, इसलिए आमंत्रित भारतीयों को स्वागत के लिए चीनी राज दूतावास में घुसने की इजाजत देने से पूर्व उन्हें पहचानने का समुचित प्रबन्ध किया गया था। ये कदम इसलिए उठाए जाते हैं कि चीनी राजदूतावास की सुरक्षा का सुनिश्चिय हो सके और ये पीकिंग के व्यवहार के अनुसार भी है।

Contract System in A. I. R.

*** 88. Shri S. M. Banerjee : Will the Minister of Information and Broadcasting be** pleased to state :

(a) whether steps are being taken to end contract system in All India Radio;

(b) if so, whether any scheme has been chalked out for the purpose; and

(c) the salient features thereof ?

The Minister of Information and Baoadcasting (Shri K. K. Shah) : (a), (b) and (c): The whole matter is under examination.

सिक्किम में समाचार पत्र

***89. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के एक मात्र समाचार पत्र के लिये सिक्किम के शासक द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है और उस पर उनका नियन्त्रण है;

(ख) क्या उक्त समाचार पत्र नियमित रूप से भारत के विरुद्ध प्रचार करता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सिक्किम के शासक का सम्बन्ध सिक्किम में किसी गैर-सरकारी प्रकाशन से है ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते ।

पाकिस्तान को रूसी सहायता

***90. श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पैट्रियट" के अगस्त, 1968 के किसी अंक में प्रकाशित हुआ यह समाचार सच है कि "मास्को अधिकारियों ने नई दिल्ली को इस बारे में सूचित किया है कि रूस अपने वायदे के अनुसार पाकिस्तान को कितने हथियार तथा सैनिक साज-सामान बेचेगा; और

(ख) यदि हां, तो भारत को दी गई सूचना के अनुसार रूस ने पाकिस्तान को कुल कितने हथियार देने का वचन दिया है और रूस से प्राप्त पत्र में क्या लिखा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) यू० एस० एस० आर० सरकार ने हमें पाकिस्तान को सैनिक साज सामान की सप्लाई के सम्बन्ध में साधारण तौर पर सूचित किया है, परन्तु इन सप्लाइयों के गुणस्वभाव और राशियों के बारे में हमें सूचित नहीं किया गया ।

समाचार बुलेटिन

401. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 18,19 और 20 सितम्बर, 1968 को आकाशवाणी केन्द्र, नई दिल्ली से प्रसारित किये गये समाचार बुलेटिनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : आकाशवाणी का समाचार विभाग दिल्ली से प्रतिदिन अपनी घरेलू और वैदेशिक सेवाओं के अन्तर्गत 31 भाषाओं में एक सौ समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है । तथापि 18,19 और 20 सितम्बर, 1968 को प्रसारित किए गए अंग्रेजी और हिन्दी के मुख्य बुलेटिनों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 2072/68**]

चीन के राष्ट्रीय दिवस समारोह में आमंत्रित भारतीय राष्ट्रजन

402. श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1968 को चीन के राष्ट्रीय दिवस समारोह में कितने भारतीय राष्ट्रजन आमन्त्रित किये गये थे तथा कितने भारतीय नागरिकों ने उसमें भाग लिया; और

(ख) इस समारोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों के पद-नाम तथा पते क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणुःशक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) चूंकि चीनी राजदूतावास ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के विपरीत भारतीय राष्ट्रिकों को सीधे ही निमन्त्रण जारी किये थे, इसलिए यह नहीं मालूम कि चीनी राजदूतावास ने कितने भारतियों को आमन्त्रित किया था। मालूम यह हुआ है कि 1 अक्तूबर, 1968 को चीनी राजदूतावास ने जो स्वागत समारोह किया था, उसमें 12 भारतियों ने हिस्सा लिया था।

(ख) जिन जिन लोगों ने समारोह में भाग लिया था उनके नाम ओहदे पते निम्न-लिखित है :-

1) श्री रोशन लाल समरवाल सुपुत्र श्री दौलत राम समरवाल 67, मुखर्जी पार्क, तिलक नगर, दुकान नम्बर 132, भगत सिंह मार्केट, नई दिल्ली।

2) श्री शिव नन्दन शर्मा सुपुत्र पंडित संतराम, 11, कृष्ण मार्केट, पहाड़ गंज, नई दिल्ली। (सचिव, हिंदी मजदूर संघ)

3) श्री मंगत राम गुप्त 17-बी/25, देव नगर, दिल्ली, संपादक इवेन्ट्स

4) नाभा की महारानी गुरचरन कौर, 101 ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।

5) श्री रामधर सुपुत्र श्री गिया दीन प्रसाद, 30, टोडरमल मार्ग, नई दिल्ली।

6) श्री पुरुषोत्तम पाल,
7) श्री जानकी बल्लभ पत्नी सहित
8) श्री आर० के० वत्तल पत्नी सहित
9) श्री आनन्द अग्निहोत्री पत्नी सहित
10) श्री मोरी दास
11) श्री पंदा रंगन
12) श्री वाकर अली

} भारतीय कर्मचारी, चीनी राजदूतावास, नई दिल्ली

"महात्मा" का वृत्त चित्र

403. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 अक्तूबर, 1968 को प्रदर्शित किये गये 23 रील के जीवनी वृत चित्र "महात्मा" के निर्माण पर फिल्म डिविजन द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) इस वृत चित्र के भारतीय और विदेशी भाषाओं में कितने रूपान्तर तैयार करने का विचार है और उन पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या विदेशों में "महात्मा" के प्रदर्शन की कोई विशेष मांग है;

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से देश किन-किन शर्तों पर इस फिल्म का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं;

(ङ) क्या "महात्मा" सारे विश्व में व्यापारिक आधार पर प्रदर्शित की जायेगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) फिल्म "महात्मा" गांधी स्मारक निधि ने फिल्म प्रभाग के सहयोग से बनाई थी। प्रभाग ने निधि को कुछ कर्मचारियों की सेवाएं और कुछ उपकरणों को इस्तेमाल के लिए दिया है, इनका खर्च लगभग 21,88,001—रुपये हैं जो अधिकांशतया निधि द्वारा दी गई धन-राशि में से है।

(ख) अभी तक फिल्म हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतरों में बनाई गई है। गांधी स्मारक निधि का बंगला, तमिल, तेलुगु और सम्भाव्य गुजराती रूपांतर भी बनाने का विचार है। प्रत्येक भाषा के रूपांतर पर आने वाली लागत गांधी स्मारक निधि द्वारा अभी तक निकाली नहीं गई है।

(ग) और (घ) किसी भी विदेश से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि विदेशों में स्थित कुछ भारतीय दूतावासों ने गांधी शताब्दी समारोहों के बारे में अव्यावसायिक प्रदर्शन के लिए फिल्म की प्रिंटों की उपलब्धि के बारे में पूछ-ताछ जरूर की है।

(ङ) और (च) जी, हां। पता लगा है कि गांधी स्मारक निधि फिल्म को व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए रिलीज करने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विमानों का निर्माण

404. श्री बाबू राव पटेल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की स्थापना से अब तक कितने पुष्पक, कृषक, एच एफ 24, एच एफ 748 (एवरो) तथा परिवहन विमान बनाये गये तथा प्रत्येक की उत्पादन लागत कितनी थी;

(ख) अब तक उक्त विमान कितने कितने तथा किन देशों को बेचे गये हैं, उनके नाम क्या हैं, ग्राहकों के नाम क्या है और वे किस मूल्य पर बेचे गये हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(घ) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के महाप्रबन्धक का 3 अक्तूबर, 1968 को बंगलोर में एक समाचार-पत्र सम्मेलन में भविष्य में प्रतिरक्षा के लिये विमान के माडलों का निर्माण सम्बन्धी ब्यौरा बताना उचित था जब कि ऐसे मामलों में गोपनीयता अत्यावश्यक है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने अब तक 130 पुष्पक हल्के प्रशिक्षक विमान तथा 16 एच एस 748 (एवरो) विमान बनाये हैं। एच० एस 748 विमान के अतिरिक्त भारत

में कोई परिवहन विमान नहीं बनाये जाते हैं। अन्य विमानों के निर्माण आंकड़े अथवा विमान की निर्माण लागत बताना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) किसी देश को कोई विमान नहीं बेचा गया है किन्तु मलाया तथा सिंगापुर सरकारों को एक-एक पुष्प-विमान उपहार के रूप में दिया गया था।

(ग) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ इस प्रकार है :-

वर्ष	लाभ (रुपये लाख में)
1963-64	109.80
1964-65	103.75
1965-66	121.98
1966-67	129.24
1967-68	129.98

वर्ष 1963-64 का लाभ तत्कालीन हिन्दुस्तान एयरक्राफ्टस लिमिटेड से, जो हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की स्थापना करने के लिये 1 अक्तूबर, 1964 से एरोनाटिक्स इंडिया लिमिटेड में मिला दिया था, सम्बन्धित है।

(घ) 3 अक्तूबर, 1968 को संवाद-दाता सम्मेलन में प्रबन्ध निदेशक ने सामान्यत केवल यह संकेत दिया था कि नये सैनिक विमान जिनका डिजायन तैयार करने का कार्य तथा निर्माण हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है, अधिक अच्छी गति, रेंज तथा भार के साथ एच० एफ 24 विमानों के स्थान पर प्रयोग में लाये जायेंगे। गोपनीय किस्म की कोई जानकारी नहीं दी गई है।

वायुसेना मुख्यालय का शिक्षा निदेशालय

405. **श्री सूरज भान :** क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1967 में वायुसेना मुख्यालय के शिक्षा निदेशालय में विशेष स्वीकृति प्राप्त किये जाने के बाद तकनीकी अधीक्षक (हिन्दी) का पद बनाया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिरक्षा विभाग के सभी अंगों के कई पात्र अधिकारियों द्वारा विभिन्न अभ्यावेदनों के बावजूद दूसरी स्थापना के समय से उक्त पद खाली पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो अभी तक पद न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का उक्त पद कब तक तथा किस प्रकार भरने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) वायुसेना मुख्यालयों में शिक्षा निदेशालय में 11-9-1967 से तकनीकी सुपरिन्टेन्डेंट के लिये स्थान स्वीकार किया गया था।

(ख) अभी तक स्थान की पूर्ति नहीं की गई, इस स्थान के लिए, विचारार्थ, एक अभिवेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) तथा (घ) निर्णय किया गया था कि स्थान की पूर्ति न की जाए कि जब तक ए० एफ० एच० क्यू० और अंतस्सेवा संगठनों के प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अनुवादन स्थानों का एक संयुक्त रोस्टर न बन जाए और उनकी नियुक्ति सम्बन्धी नियमों को अन्तिम रूप रेखा न दी जाए।

17-2-1968 को नियुक्ति नियम जारी किए गए थे और ऐसे स्थानों के लिए एक रोस्टर पुरस्थापित किया गया था। नियुक्ति नियमों के अनुसार यह स्थान निर्धारित अर्हताएं रखने वाले वरिष्ठ अनुवादकों/अनुसंधान सहायकों की पदोन्नति द्वारा पूर्ण किए जाएंगे।

उनके स्थायी रिक्तियों में सेवाओं के मुख्यालयों में भिन्न रोस्टरों के आधार पर उनके स्थायीकरण के फलस्वरूप और बातों सहित उनकी वरिष्ठता का निर्धारण करते हुए उनकी पदोन्नति के लिए एक पैनल बनाया जाएगा।

भारतीय हाकी टीम का मैनेजर

406. श्री अ० दीपा : श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रा० रा० सिंह देव : श्री एस० पी० राममूर्ति :

क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना में काम कर रहे एक जनरल भारतीय हाकी टीम के मैनेजर के रूप में मैक्सिको गये थे; और

(ख) क्या सरकार ने उनकी अनुपस्थिति की अवधि का लेखा रखा है तथा सेना में काम कर रहे एक जनरल के देश की रक्षा से भिन्न कार्य के लिये देश से बाहर रहने के महत्व पर विचार किया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह):(क) तथा (ख): मेजर जनरल डी०एस० कल्हा डारेक्टर जनरल राष्ट्र-छात्र दल की सेवाएं मेक्सिको की हाल की विश्व खेलों में भाग लेने वाले भारतीय हाकी टीम के साथ जाने के लिये भारतीय हाकी संघ को समर्पित की गई थी। इस सम्बन्ध में मेजर जनरल कल्हा की ड्यूटी से अनुपस्थिति उसकी छुट्टी के अधिकार के विरुद्ध गिनी गई है, इसके तुरन्त बाद इन अधिकारि की थोड़े समय की प्रतिनियुक्ति ने अनुसरण किया, मेक्सिको से वापसी पर वह यूनाईटिड किंगडम में छात्र-दल और उससे सम्बन्धित संगठनों का अध्ययन करने के लिए उस देश में गए।

भूटान में प्रवेश

407. श्री बे० कृ० दास चौधरी : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव : श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ : श्री श्रीनिवास मिश्र :

श्री विश्व नाथ पाण्डेय : श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर : श्री श्रीचन्द्र गोयल :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विभूति मिश्र : श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रवि राय : श्री वासुदेवन नायर :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रा० की० अमीन : श्री रा० कृ० सिंह :
श्री हिम्मत सिंहका : श्री धी० ना० देव :
श्री सु० कु० तापड़िया : श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री मीठा लाल मीना : डा० सुशीला नैय्यर :
श्री वि० नरसिम्हाराव : श्री जे० ना० हजारिका :
श्री ए० श्रीधरन : श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भूटान सरकार ने एक अधिसूचना जारी की कि भारतीयों सहित सभी विदेशियों को उस देश में दाखिले के लिये भूटान सरकार द्वारा जारी किये गये पहचान-पत्र रखने होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भूटान सरकार के साथ यह मामला उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) भूटान सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें यह कहा गया था कि भूटान में आने वाले सभी विदेशियों के पास एक पहचान-पत्र होना चाहिए। भूटान सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि इसकी व्यवस्थाएं भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होंगी।

(ख) भूटान में भारत के विशेष अधिकारी ने भूटान सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि भारत में आने वाले भूटानी राष्ट्रिकों को पहचान-पत्रों की जरूरत नहीं होती. और इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है यह अधिसूचना भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं की गई थी।

Thumba Rocket Project

408. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Prime Minister be pleased to state when Thumba Rocket Project is expected to be able to manufacture and launch a four phased rocket wholly made in India ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : It is expected that in adout four years from

now the SpaceSicence and Technology Centre on Veli Hill near Trivandrum would be able to lunch an Indian desigened and manufactured four-stage rocket.

Meat Processing Plant

409. **Sbri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) when the meat processing plant, Tundla, U. P. is likely to go into production and what is its production capacity;

(b) whether the requirements of Defence Establishments would be met by it and if not, by what time and to what extent the capacity of the said plant will be expanded to meet the requirements of the Defence establishments; and

(c) the total number of sheep and goats required for the said plant in the beginning and number of those required after expansion ?

The Minister of State in Defenec Production in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) The factory has already commenced trial production. The full installed capacity is 1.8 metric ton per day of freeze dried meat.

(b) The requirements would be met when production according to installed capacity is achieved.

(c) The present requirement is 75/100 sheep/goats per day; at full installed capacity the daily requirement would go up to about 1,500.

Reuqirement of Milk and Milk Products for Defence Establishments

410. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the total requirement of Milk and Milk products of the Defence establishments that will be met from its dairy farms and that which is to be met from other sources during the year 1968-69; and

(b) whether any project has been drawn up to achieve self-sufficiency in milk production and if so, the details thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra): (a) Approximate requirements of milk and milk products for the Defence Services for 1968-69 and the sources from which they are planned to be met.

Item	Unit	To be Supplied by Military Farms	To be Obtained from other Sources.	Total
1.	2.	3.	4.	5.
Milk Fresh	Lakh Litres	470	110	580
Tinned Milk/ Whole Milk Powder	Tonnes	-	12,000	12,000
Butter Fresh	Tonnes	132	-	132

Tinned Cream	Tonnes	–	400	400
Fresh	"	21	–	21

Note : Approximately 1/3rd of the quantities supplied by the Military Farms as per Col.3 above are met from their own production and the remainder from milk purchased.

(b) No, Sir.

भारत में रूसी शिष्ट मन्डल के लिये उपयोग की गयी डी० एल० जेड० कारें

411. श्री एस० पी० राममूर्ति : श्री गार्डिलिंगन गौड़ :
श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० के० देव :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रूसी शिष्ट मण्डल द्विपक्षीय बातचीत के लिये हाल ही में नई दिल्ली आया था;

(ख) क्या शिष्ट मण्डल का हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिये मन्त्रालय ने कई डी० एल० जेड० कारों की व्यवस्था की थी;

(ग) यदि हां, तो वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के पास कितनी स्टाफ कारें हैं;

(घ) क्या आवश्यकता के अनुसार और कारें राष्ट्रपति भवन से नहीं ली जा सकती थीं; और

(ङ) रूसी शिष्ट मण्डल के लिये ली गई डी० एल० जेड० कारों पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 10

(घ) जी, नहीं।

(ङ) 1705.77 रुपये ।

छोटा केन्द्रीय मंत्रिमंडल

413. श्री एस० पी० राममूर्ति : श्री रा० की० अमीन :
श्री क० प्र० सिंह देव : श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रवि राय : श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री श्रद्धाकर सुपकार : श्री रणजीत सिंह :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा : श्री जि० ब० सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी : श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री रा० बरुआ : श्री शारदा नन्द :
श्री स० च० सामन्त : श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री नि० रं० लास्कर : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री क० लकप्पा :
श्री बे० कृ० दासचौधरी : श्री ए० श्रीधरन :
श्री प्र० के० देव : श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री ओम प्रकाश त्यागी : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हिम्मत सिंहका : श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने हाल ही के प्रतिवेदन में यह प्रस्ताव रखा है कि एक-रूपता, कार्य-दक्षता तथा लक्ष्य-पूर्ति के हित में केन्द्रीय मन्त्रिमन्डल में 16 मन्त्री होने चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) "भारत सरकार के शासन-तंत्र एवं कार्य विधियों" के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2073/68]**

(ग) और (घ) यह प्रतिवेदन सरकार को 16 सितम्बर, 1968 को प्राप्त हुआ और उसकी समीक्षा की जा रही है।

"सिक्किम छोड़ो" आन्दोलन

414. श्री एस० पी० राममूर्ति : श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री प्र० के० देव : श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ : श्री रा० की० अमीन :
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री म० ला० सोंधी : श्री हिम्मत सिंहका :

श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री दी० चं० शर्मा :
डा० सुशीला नैयर : श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री श्रोंकार लाल बेरवा : श्री श्रोम प्रकाश त्यागी :
श्री मधु लिमये : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री श्रीचन्द गोयल : श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री गार्डिलिंगन गौड़ : श्री धी० ना० देव :
श्री मीठा लाल मीना : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में विद्यार्थियों ने हाल ही में सिक्किम छोडो आन्दोलन चलाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सिक्किम में अपने प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में कोई सूचना मिला है;

(ग) क्या इस आन्दोलन के कारणों तथा परिणामों के बारे में सिक्किम सरकार द्वारा कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, श्रणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 15 अगस्त, 1968 को गंगतोक, सिक्किम, में भारत सरकार के राजनीतिक अधिकारी के निवास स्थान के सामने एक मामूली प्रदर्शन हुआ था। इसमें भाग लेने वाले स्थानीय स्कूलों के लड़के थे, जिन्होंने तख्तियां उठाई हुई थीं, जिन पर ऐसे नारे लिखे हुए थे जिनमें संभवतः भारत सरकार से भारत और सिक्किम के बीच संधी सम्बन्धों पर पुनः विचार करने की मांग की गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) सिक्किम अधिकारियों द्वारा की गई एक जांच से यह संकेत मिलता है कि यह प्रदर्शन कतिपय कुप्रभावित तत्वों का आकस्मिक भावावेग प्रदर्शन था।

(घ) भारत सरकार ने सिक्किम के चौग्याल के साथ सख्ती से मामले को उठाया। सिक्किम सरकार ने जांच-पड़ताल करने के बाद इस दुर्घटना पर खेद व्यक्त किया। सिक्किम सरकार ने इस सिल-सिले में 9 सितम्बर, 1968 को जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जो इस प्रकार है :-

"15 अगस्त को गंगतोक में नारेबाजी की तख्तियों की जो दुर्घटना हुई थी उसकी और शक्ति की निहित धमकी की सिक्किम सरकार निंदा करती है। सिक्किम एक बौद्ध-देश है और उसने शांति और अहिंसा को अपनाया है। भारत और सिक्किम के बीच अत्यन्त सुखद और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध है और इस तरह की दुर्घटनाएं, चाहे छोटी ही हों, सिक्किम के हित में नहीं हैं तथा उनकी निंदा और भर्त्सना की जानी चाहिए।"

मसानी समिति का प्रतिवेदन

415. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रवि राय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसानी समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति के बारे में आकाशवाणी के स्टाफ कलाकारों के प्रतिनिधियों के साथ बात-चीत करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) रिपोर्ट विचाराधीन है।

(ख) और (ग) अन्तिम निर्णय लेने से पहले आल इंडिया रेडियो के स्टाफ आर्टिस्टों के प्रतिनिधियों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। अगले एक दो महीने में उनसे बात चीत की जाएगी।

प्राग में भारतीय दूतावास में लगाया गया रूसी झण्डा

416. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि चैकोस्लोवाकिया पर रूसी आक्रमण की निन्दा करने वाले संकल्प पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा मत न देने के बाद प्राग के कुछ नागरिकों ने एक प्रदर्शन किया तथा प्राग में भारतीय दूतावास के द्वार पर एक रूसी झण्डा लगाया;

(ख) यदि हां, तो उस झण्डे का क्या किया गया; और

(ग) क्या सरकार ने प्राग में अपने राजदूत को इस कार्यवाही के प्रति विरोध प्रकट करने के लिये कहा है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी दूतावासों द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें

417. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में विदेशी दूतावासों अथवा उनसे सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा प्रकाशित पत्रों समाचार पत्रिकाओं, सामयिक पत्रिकाओं, तथा अन्य बुलेटनों के नाम क्या हैं, उनकी कितनी प्रतियां छापी जाती हैं और उनके प्रकाशन की अवधि क्या है;

(ख) ऐसे जो प्रकाशन मुफ्त नहीं बांटे जाते, उनके चन्दे की दर क्या है;

(ग) क्या विदेशी दूतावासों के लिये अपने प्रकाशनों के लिये सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है; और

(घ) क्या उन अभिकरणों द्वारा हमारे देश में विदेशी प्रचार सामग्री छापने तथा वितरण के बारे में कोई संहिता बनाई गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु–शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत में विदेशी मिशनों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रिकाओं तथा अन्य बुलेटिनों आदि की एक सूची सभा पटल पर रखी गयी है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल. टी. 2074/68]** इनमें से प्रत्येक की कितनी कितनी प्रतियां छापी जाती हैं, इस बारे में जानकारी नहीं है । इनके प्रकाशन की अवधि प्रत्येक प्रकाशन के सामने दी गयी है ।

(ख) इन प्रकाशनों में से कुछ तो मुफ्त बांटे जाते हैं जबकि अन्य प्रकाशनों के लिए दाम देने पड़ते हैं । इनके दाम भिन्न-भिन्न हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस बारे में व्यवहार का संचालन प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट, 1957 तथा कितना वियना कन्वेनशन ऑन डिपलोमेटिक रिलेशन्स 1961 से होता है ।

रूसी शिष्ट-मण्डल के विरुद्ध पालम हवाई अड्डे पर प्रदर्शन

418. श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० के० देव : श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह ब की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस का एक शिष्ट मंडल द्विपक्षीय वार्ता के लिये भारत आया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब यह शिष्टमंडल 11 सितम्बर, 1968 को पालम हवाई अड्डे पर उतरा तो कई संसद सदस्यों सहित बहुत से लोगों ने उनके विरुद्ध इस दृष्टि से प्रदर्शन किया कि वह हमारे देश में रूसी शिष्ट मंडल के आने का उचित समय नहीं था और उन्होंने चैकोस्लोवाकिया के पक्ष में नारे लगाये; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कुछ व्यक्तियों ने, जिनमें कुछ संसद सदस्य भी शामिल थे, इस प्रतिनिधि मंडल के आने के विरुद्ध प्रदर्शन किया था ।

जाति भेद को समाप्त करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की विचार गोष्ठी

419. श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हेम बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी प्रकार के जातिभेद को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में हाल में नई दिल्ली में एक विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) इस विचार गोष्ठी में कितने देशों ने भाग लिया था;

(ग) उसमें क्या-क्या निर्णय किए गये; और

(घ) इस सम्बन्ध में भारत ने क्या योगदान किया ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) चौबीस ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने इस गोष्ठी की रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की है । संक्षेप में, इस गोष्ठी में जातीय भेदभाव की क्रमवार नीति की निन्दा की गई,: दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का राज्यस्तर पर व्यवहार इसका उदाहरण है । इस बारे में आम सहमति दी थी कि रंगभेद की नीतियों में मानवाधिकारों को जबर्दस्त उल्लंघन तथा आचार के सम्य स्तरों के विरुद्ध गंभीर अपराध निहित है, और इनको किसी भी रूप में माफ नहीं किया जाना चाहिए । इस गोष्ठी का यह मत था कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों ही स्तरों पर जनता में इस बात के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार के माध्यमों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि जाति, रंग अथवा जातीय मूल के आधार पर भेदभाव करना मानव की गरिमा का निरादर है । इस बारे में आम सहमति थी कि जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह को खत्म करने में कानून और शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है । इस बारे में भी आम सहमति थी कि संयुक्त राष्ट्र और उसकी विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से जातीय भेदभाव मिटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्नों को और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और इसके लिए सभी सुलभ साधनों से काम लेना चाहिए ।

(घ) इस गोष्ठी में भारत सरकार मेजवान थीं । भारतीय सहभागियों ने, जिन्होंने इस गोष्ठी की कार्रवाई में निजी हैसियत से हिस्सा लिया था, विचार-विमर्श में सक्रिय हिस्सा लिया और बहुत से मसलों पर आम राय कायम करने में सहायता पहुँचाई ।

चीन के साथ भारत के सम्बन्धों के बारे में संसद सदस्यों द्वारा दिया गया ज्ञापन

420. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री रा० की० अमीन :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री अ० दीपा :
श्री क० लकप्पा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री शारदा नन्द :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लगभग 150 संसद सदस्यों ने एक ज्ञापन में सरकार से चीन के साथ राजनयिक सम्बन्धों को समाप्त करने, संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश का समर्थन न करने तथा ताइवान सरकार को मान्यता देने की प्रार्थना की है।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उक्त ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) : सरकार ने अखबारों में ऐसी खबरें देखी है कि इस आशय का एक सम्मिलित बयान जारी किया गया है जिसका उद्देश्य 125 संसद सदस्यों के दस्तखत लेना है।

(ख) चीन लोकगण राज्य को मान्यता प्रदान करने और उससे राजनयिक संबंध बनाये रखने की भारत सरकार की नीति सर्वविदित है और उसमें कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

योजना आयोग के दल की रूस यात्रा

421. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रा० की० अमीन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नि० रं० लास्कर :
डा० रानेन सेन :
श्री क० लकप्पा :
श्री रवि राय :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री जनार्दनन :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

डा० सुशीला नायर : **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री हेम बरुग्रा : **श्री गार्डिलिंगन गोड़ :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री धी० ना० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के उप प्रधान सहित योजना आयोग के अधिकारियों के एक दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये सहायता तथा व्यापार सम्बन्धी बातचीत करने के लिए सितम्बर, 1968 में रूस का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो रूस सरकार के साथ किन-किन विषयों पर बातचीत हुई; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्ट मंडल ने 22 सितम्बर से 3 अक्तूबर, 1968 तक सोवियत संघ का दौरा किया था। भारतीय शिष्ट मंडल और सोवियत योजना अधिकारियों के बीच हुए विचार विमर्श की मुख्य बातों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं।

विवरण

अध्यक्ष, गोस्प्लान, सोवियत संघ के निमंत्रण पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा० डी० आर० गाडगिल ने 22 सितम्बर, 1968 से 3 अक्तूबर, 1968 तक सोवियत संघ की यात्रा की। उनके साथ श्री आर० वेंकटरमन, सदस्य योजना आयोग तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल गया था। अपनी यात्रा के दौरान डा० गाडगिल, श्री वेंकटरमन और राजदूत श्री केवल सिंह सोवियत संघ के मंत्री परिषद् के अध्यक्ष श्री ए० एन० कोसिजिन से मिले थे। डा० गाडगिल ने माननीय श्री ए० एन० कोसिजिन को चौथी पंचवर्षीय योजना के मुख्य पहलुओं से अवगत कराया।

शिष्ट मंडल ने अध्यक्ष, गोस्प्लान और उनके साथियों के साथ दोनों देशों के औद्योगिक सहयोग और वाणिज्य विस्तार की संभावनाओं पर अनेक लाभदायक बातें कीं। यह विचार विमर्श भावी सहयोग की संभावनाओं पर केन्द्रित रहा। सोवियत संघ की विदेशों से आर्थिक संबंधों की राज्य समिति के अध्यक्ष ने भी, शिष्ट मंडल का स्वागत किया। उनके साथ सोवियत संघ से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के पूर्ण उपयोग तथा भविष्य में आर्थिक सहयोग एवं तकनीकी सहायता की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। शिष्ट मंडल ने विदेश व्यापार मंत्रालय से भी लाभप्रद विचार-विमर्श किया। दोनों देशों के मध्य परस्पर व्यापार में अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रस्तावों की जांच की गई।

शिष्ट मंडल ने मास्को, लेनिनग्राड और टिबलीसी में अनेक औद्योगिक संस्थाओं को देखा। उन्होंने जोर्जिया के गणतंत्र के नियोजन अधिकारियों से भी बातचीत की जो सोवियत संघ के गणतंत्रों की नियोजन पद्धति को समझने में उपयोगी रही।

इस विचार-विमर्श के दौरान दोनों देशों ने यह अनुभव किया कि भारत की औद्योगिक उपकरण और इंजीनियरी सामान के निर्माण की क्षमता से औद्योगिक सहयोग और व्यापार का ढांचा भी अवश्य ही बदलेगा। यह अनुभव किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत-सोवियत व्यापार में तेजी से, विस्तार से दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में दृढ़ता आई है तथा चौथी योजना की अवधि में व्यापार में और भी वृद्धि होने की काफी गुंजाइश है। विचार-विमर्श करते हुए विशेष क्षेत्र जैसे उर्वरक, पेट्रो-रसायन तथा वन-आधारित उद्योगों में भारत-सोवियत सहयोग की संभावनाएं भी देखी गई। दोनों ही शिष्ट मंडल इस बात पर सहमत थे कि तकनीकी विशेषज्ञों के दलों को दोनों सरकारों के विचारार्थ विस्तृत विवरण और विशिष्ट परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए। आर्थिक विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को और भी सुदृढ़ करने के लिये इन वार्ताओं को जारी रखने के लिए भी सहमति प्रकट की गई। इन वार्ताओं का दूसरा दौर नई दिल्ली में होगा।

पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने का समझौता

422. श्री कामेश्वर सिंह : श्री भोगेन्द्र झा :
श्री श्रीचन्द गोयल : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ : श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री रामगोपाल शालवाले : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री क० लकप्पा : श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री ए० श्रीधरन : श्री रा० बरुआ :
डा० सुशीला नायर : श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने 15 अगस्त, 1968 को प्रधान मंत्री द्वारा युद्ध न करने के समझौते के सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख): 1सितम्बर को राष्ट्रपति अयूब ने अपने भाषण में प्रधान मंत्री के "युद्ध न करने की घोषणा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन 26 अक्तूबर के भाषण में कई मामलों में भारत की आलोचना करते समय राष्ट्रपति अयूब के भारत के "युद्ध न करने की संधि के प्रस्ताव का जिक्र किया था और कहा कि वे यह समझौता करना चाहेंगे बशर्ते कि इसके साथ एक दूसरा समझौता किया जाये जिसमें दोनों देशों के बीच की वर्तमान समस्याओं और भविष्य में पैदा होने वाली समस्याओं के हल करने की व्यवस्थाओं

को परिभाषित किया गया हो। सरकार राष्ट्रपति अयूब के इस भाषण पर विचार कर रही है।

चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना

423. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री शिव चरण लाल :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **ी केदार पस्वान :**
श्री बे०कृ० दास चौधरी : **श्री गयूर अली खान :**
श्री रा० बरुआ : **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री जि० ब० सिंह :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल के सत्र में चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किये जाने का प्रश्न आया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा क्या दृष्टिकोण अपनाया गया था?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधित्व का प्रश्न महासभा के वर्तमान सत्र की कार्य-सूची में एक मद के रूप में शामिल किया गया है। जब यह मद विचारार्थ आएगा तो हमारा प्रतिनिधिमंडल इस प्रश्न पर अपना सुस्थिर रवैया ही अपनाएगा।

'स्लीपिंग आइल्स'

424. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री शिव चरण लाल :**
श्री गयूर अली खान : **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री जि० ब० सिंह :**
श्री केदार पस्वान :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 सितम्बर, 1968 के पेट्रियाट में 'स्लीपिंग आइल्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) यह आलोचना, जो कि एक अतिव्याप्त सामान्यीकरण है, एक व्यक्तिपरक आकलन मात्र है जो तथ्यों पर आधारित नहीं। विदेश स्थित भारतीय मिशनों और विदेश मंत्रालय के बीच निरन्तर सम्पर्क बना रहता है। विदेशों में भारत के प्रतिनिधियों को देश

की विभिन्न समस्याओं से और उनके परवर्ती परिणामों से पूरी तरह सूचित रखा जाता है। मिशनों की कुल क्षमता पर भी बराबर निगाह रखी जाती है और जब कभी आवश्यक होता है उन्हें सुधारने के आवश्यक उपाय भी किए जाते हैं।

गैर-कांग्रेस सरकारों के कार्य संचालन के बारे में केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा वक्तव्य

425. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री क० लकप्पा :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय विधि-मंत्री द्वारा हाल में संयुक्त राज्य अमरीका की अपनी यात्रा के दौरान दिये गये भाषणों की ओर दिलाया गया है जिनमें उन्होंने भारत में गैर–कांग्रेसी सरकारों तथा उनमें भाग लेने वाले राजनैतिक दलों की निंदा की थी,

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी एक स्थायी प्रथा है कि जिम्मेदार लोगों को विदेशों की यात्रा करते समय आन्तरिक राजनैतिक मतभेदों का उल्लेख नहीं करना चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ने मंत्री द्वारा प्रकट किये गये विचारों की रिपोर्ट देखी है।

(ख) तथा (ग) ऐसी कोई स्थाई प्रथा नहीं है, यद्यपि सब राजनैतिक पार्टियों के लिये यह वांछनीय है कि वे विदेशों में आन्तरिक राजनैतिक मतभेदों का उल्लेख करने से परहेज करें।

इस मामले में मंत्री के विचार एक पत्र प्रतिनिधि से भेंट के दौरान व्यक्तिगत तथा गैर सरकारी हैसियत में प्रकट किये गये थे।

P. M's Interview To "Look"

426. **Shri Madhu Limaye** : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Mr. William Wood, the Chief Editor of the Magazine Look of USA had an interview with her in February, 1968;

(b) if so, whether it is also a fact that in reply to questions as published in the April, 1968-Edition of the said Magazine, she had told that Congress was the only party in India which upheld the Constitution of the country;

(c) if so, whether this statement of her is correct;

(d) whether other opposition parties in India do not uphold the Constitution of the country; and

(e) whether this statement of her does not project abroad a wrong picture of the opposition parties in India ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning, and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (e) The observations made by the Prime Minister should be read in the context of the question put. When she made her comments, the Prime Minister had in mind the experience at that time of some parties resorting to or encouraging violence and extra constitutional agitation. Her intention was to suggest that the Congress Party had observed a greater deg ee of constitutional propriety than those other parties.

Agreement with Sikkim

427. **Shri Madhu Limaye ; Shri Kanwar Lal Gupta : Dr. Sushila Nayar : Shrimati Sushila Rohatgi :**

Will the Minister of External-Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that anti-India reports had been published in the issue of the English magazine Sikkim of the 7th August, 1968 published from Gangtok and therein it was demanded that the agreement of 1950 should be renewed and the new agreement thus finalised should be sent to the U. N. O. and if it was not done, the people of Sikkim would start underground Naga type operations; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) It is a fact that English language Fortnightly called "Sikkim" published an editorial along these linese in its issue of 7th August, 1968.

(b) The Government of India's representative in Sikkim invited the attention of the Sikkim Darbar to the improper tone of the article. At the same time the Sikkim Darbar drew our Political Officer's attention to the fact that certain sections of the Indian Press often indulged in abusive and vulgar references to Sikkim, its Ruler and his wife.

सरकारी उपक्रम

428. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब अन्तिम निर्णय होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कच्छ सम्बन्धी बैठक

429. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री बसुमतारी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की हाल में इस्लामाबाद में बैठक हुई है और उसमें कच्छ पंचाट की शर्तों के अनुसार सिंध--कच्छ सीमा के निर्धारण के लिए कार्यवाही करने के बारे में चर्चा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन निर्णयों पर विचार किया है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) कुछ न्यायाधिकरण के फैसले के अनुरूप गुजरात-पश्चिम पाकिस्तान सीमा को अंकित करने के दूसरे चरण के प्रबन्धों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक 16 सितम्बर से 19 सितम्बर, 1968 तक इस्लामाबाद में हुई थी। कार्य से सम्बद्ध कई बातों पर तो सहमति हो गई थी, लेकिन इन प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया कि जहां तक कतिपय सैक्टरों में सीमा से इसका सम्बन्ध है, दोनों पक्षों के प्रभारी कार्यभारियों की हुसैनीवाला में शेष प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने और उनपर निर्णय लेने के लिये होनी चाहिए । इन प्रभारी अधिकारियों की बैठक 30 और 31 अक्तूबर, 1968 को हुसैनीवाला में हुई। कच्छ के रन के सीमांकन से सम्बन्ध सभी शेष तकनीकी प्रश्नों का निबटारा हो गया। यह निश्चय किया गया था कि 300 मील लम्बी सीमा पर कोई 1000 स्तम्भ लगाए जाएं और दोनों पक्ष करीब पांच-पांच सौ स्तम्भ बनाए। उम्मीद की जाती है कि यह कार्य आगामी मार्च के अंत तक पूरा हो जाएगा। दोनों देशों के प्रतिनिधि काम की प्रगति की रिपोर्ट हर महीने न्यायाधिकरण को जेनेवा में भेजेगा, जैसा कि कच्छ फैसले में व्यवस्था दी गई है। इन प्रभारी अधिकारियों की 26 नवम्बर को थेरार, सिंध में फिर बैठक होगी जिसमें क्षेत्र कार्य की प्रगति पर विचार किया जाएगा।

भुवनेश्वर में सैनिक केन्द्र

430. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में भुवनेश्वर में सैनिक केन्द्र स्थापित करने के बारे में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है; और

(ख) यह केन्द्र कब तक स्थापित होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) भुवनेश्वर में पहले से स्थित सैनिक यूनिटों के अतिरिक्त वह कुछ और सैनिक युनिटें स्थापित करने का विचार है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

431. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री राम सेवक यादव :

क्या प्रति रक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान में अमरीका की सूचना सेवा के अध्यक्ष ने यह कहा था कि अमरीका ने अब तक पाकिस्तान को 6,400 लाख डालर के मूल्य के हथियार दिये हैं जो अमरीका द्वारा भारत को दिये गये हथियारों से छः गुना से भी अधिक है;

(ख) अमरीका तथा विभिन्न अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में भारत सरकार की क्या जानकारी है; और

(ग) वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद से अब तक पाकिस्तान को अपनी सैनिक शक्ति में अनुमानतः कितनी वृद्धि की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) यू० एस० आई० एस० अध्यक्ष श्री जान मेकार्थी द्वारा 8 अगस्त, 1968 को पाकिस्तान में दिए गए वक्तव्य का सरकार को ज्ञान है। सितम्बर 1965 तक, अनुमानतः 150 करोड़ से 170 करोड़ डालर तक की सैनिक सहायता का पाकिस्तान को दिया जाना विदित है कि जिसमें मुख्यतः शामिल में आक्रामक क्षमता के आयुध, जैसे कि पेटन और शफी टैंक, एफ-86 और एफ०–104 विमान, आधुनिक तोपखाना और नेपाम बम इत्यादि, तथा भारी संख्या में सैनिक शक्ति खड़ी करने और बनाये रखने के लिए नकद सहायता। यह भी विदित है कि चीन ने पाकिस्तान को दो इन्फेंट्री डिवीजनों के लिये पूरा साज सामान, लगभग 250 टैंक, 120 मिग विमान, और 11–28 बाम्बरों के स्क्वैड्रन दिए हैं, इसके अतिरिक्त कई तोपें और गाड़िए तथा भारी राशि में गोली बारूद और टैंकों और विमानों के लिए फालतू पुर्जे भी चीन द्वारा सप्लाई किए गए हैं।

यह भी विदित है कि मुख्यतः सैनिक साज-सामान और स्टोर खरीदने के लिए पाकिस्तान को समर्थ बनाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता भी दी है। पाकिस्तान ने अन्य देशों से भी आयुध और साज-सामान प्राप्त किया है।

(ग) 1965 से लेकर पाकिस्तान ने अपनी स्थल सेनाओं को दुगना कर लिया है, जिन में अब शामिल है 2 कवचित डिवीजन, और उसने लड़ाकू विमानों की संख्या भी दुगुनी करली है। आधुनिक पोत, जिनमें पनडुब्बिए शामिल हैं, पाकिस्तान के नौसैनिक अंग में

शामिल किए गए हैं। उसने अनियमित सेनाओं जैसे कि मुजाहिन्दों की शक्ति भी काफी बढ़ा ली है।

मद्रास में राष्ट्रीय छात्र-सेना दल

432. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री रवि राय :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय छात्र-सेना दल को समाप्त करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय छात्रसेना दल के एक अनुभवी अधिकारी द्वारा राज्य में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि राज्य में राष्ट्रीय छात्र-सेना दल को पुनः आरम्भ करने के लिये सर्वसम्मति से मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) राज्य सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) ऐसा कोई सर्वेक्षण आदिष्ट नहीं किया गया। सरकार ने समाचार पत्रों में ऐसी रिपोर्टें देखी हैं कि मद्रास के छात्रों और अध्यापन कर्मचारीगण की मांग है कि राज्य में एन० सी० सी० यूनिटों के स्थगित क्रियाकलाप का फिर से पुनर्जीवन दिया जाए।

(ग) मामला विचाराधीन है।

गुजरात में राष्ट्रीय छात्र-सेना दल

433. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 1968-69 में गुजरात राज्य में राष्ट्रीय छात्र सेना दल पर कितना-कितना धन व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : एन० सी० सी० का समस्त खर्च अलग-अलग रखा जाता है। 1968-69 में गुजरात में एन० सी० सी० की प्रायोजित जनशक्ति पर प्रतिव्यक्ति पर उठे खर्च के आधार पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लगभग खर्च होगा क्रमशः 60.05 लाख रुपये और 40.54 लाख रुपये।

गुजरात के लिये ट्रांसमीटर

434. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में एक ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसके कहां लगाये जाने की संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के०के० शाह) : (क) और (ख): जी, हां। एक अति ऊंची शक्ति वाला ट्रांसमीटर राजकोट में लगाया जा रहा है। यह 1969-70 तक लग जाएगा। एक और ट्रांसमीटर सूरत में लगाने पर विचार किया जा रहा है। इसके कार्यक्रम को वित्तीय मंजूरी प्राप्त होने पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

कच्चा टीबू द्वीप के स्वामित्व के बारे में बातचीत

435. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय समुद्र में स्थित कच्चाटीबू द्वीप के स्वामित्व के बारे में भारत और श्रीलंका की सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस बारे में दोनों सरकारों का अपना-अपना दृष्टिकोण क्या था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) इस बारे में राजनयिक सूत्रों के माध्यम से श्रीलंका की सरकार के साथ सम्पर्क रखा गया है। इस मामले पर बाद में इस महीने श्रीलंका के प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान विचार-विमर्श किया जाएगा। दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच तैयारी सम्बन्धी बातचीत भी होगी।

सर जफरुल्लाखां के भारत विरोधी भाषण

437. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 8 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10141 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर मुहम्मद जफरुल्ला खां द्वारा भारत के विरुद्ध दिये गये भाषणों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को भेजे गये हमारे नोट के बारे में भारत सरकार को कोई उत्तर प्राप्त हो गया है।

(ख) यदि हां, तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले को सुरक्षा परिषद में उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लन्दन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा श्री फिजो की सहायता

438. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग नागालंड में भूमिगत नागाओं को संदेश तथा हिदायतें भेजने में श्री फिजो की सहायता कर रहा है।

(ख) क्या उस उच्चायोग से संदेश रावलपिंडी को तथा रावलपिंडी से नागालैंड में भूमिगत नागाओं को प्रेषित किये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) लंदन स्थित पाकिस्तान के हाई कमीशन ने छिपे नागाओं से सम्बन्ध स्थापित करने में फिजो को सहायता दी है। इससे अधिक ब्योरा बताना राष्ट्र के हित में न होगा।

(ग) सरकार ने इस बात की हर मुमकिन कोशिश की है कि छिपे नागाओं का संपर्क बाहरी एजेंसियों से न होने पावे और इसके लिए उसने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के प्रबंध और मजबूत कर दिए हैं।

Travelling Allowance to Employees of Socio-Economic Section of National Sample Survey Directorate

439. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Prime Minister be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that there is a provision for giving the present travelling allowance to all the employees of the Directorate of the National Sample Survey in the Department of Statistics;

(b) whether it is also a fact that amenity is not given to the Research workers of the Socio-Economic Section of this Directorate;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether suitable provision is proposed to be made to give the travelling allowance also to the Research workers working in the Socio-Economic Section in future ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir. Investigators in the Socio-Economic Division in the Directorate of National Sample Survey are paid fixed monthly travelling allowance in view of the nature of their duties. All other officials of the Directorate are eligible for travelling allowance under the normal rules.

(b), (c) and (d) : Do not arise as there are no Research workers in the Socio-Economic Division of the Directorate of National Sample Survey.

Agro-Industrial Section of National Sample Survey Directorate

440. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the minimum qualifications prescribed for basic workers in the Agro-Industrial Section of the Directorate of the National Sample Survey in the Department of Statistics;

(b) the minimum qualifications prescribed for the research workers in the Socio-Economic Section;

(c) whether different minimum qualifications have been prescribed for both these categories;

(d) if so, the reasons therefor and whether Government propose to prescribe same qualifications for similar nature of work; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) There is no Agro-Industrial Section in the Directorate of National Sample Survey in the Department of Statistics. There are, however, separate Divisions for Agricultural Statistics and Industrial Statistics. The basic workers in these Divisions are called Assistant Superintendents. The minimum qualifications prescribed for their posts are given in the statement laid on the Table (**Placed in Library. See No. LT-2075/68.**)

(b) There are no research workers in the Socio-Economic Division of the Directorate.

(c), (d) and (e) : Do not arise.

Research Workers in National Sample Survey Directorate

441. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the minimum qualifications prescribed for the research workers employed in the Directorate of National Sample Survey and for the research workers working in the Departments of Finance and Statistics of the State Governments are different from each other whereas their duties are identical;

(b) if so, whether Government propose to take over suitable steps to prescribe the same qualifications for them; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi):(a), (b) and (c) : There are no research workers in the Directorate of National Sample Survey in the Department of Statistics. The question therefor does not arise.

Arrangements made for Translation of letters in Regional Languages in Naval Headquarters

442. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of letters in different languages are received in the Naval Headquarters to enquire about recruitment in the Navy;

(b) if so, the number of letters received, separately, in each language by the Naval Headquarters during the last six months;

(c) the number of letters, separately. in each language which were replied to in the same language; and

(d) the details of the arrangements made for the translation of the letters received in various languages ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b)	English	...	920
	Hindi	...	101
	Malayalam	...	2
	Tamil	...	1
	Telugu	...	2
	Gujarati	...	4
	Marathi	...	3
	Bengali	..	2

(c) and (d) : The staff available in Naval Headquarters for translation work has been mainaly employed on work relating to translation of manuals, rules and regulations, and forms etc. and so all letters have so far been replied to in English only. The position is being reviewed.

Atomic Policy

443. **Shri Bibhuti Mishra**
Shri Ram Swarup Vidyarthi
Shri Bharat Singh Chauhan
Shri Hardayal Devgun
Shri Prakash Vir Shastri
Shri Shri Chand Goyal
Shri Shiv Kumar Shastri
Shri George Fernandes
Shri P. K. Deo
Shri Gadilingana Gowd
Shri P. N. Solanki
Shri Samar Ghua
Shri R. K. Amin
Dr. Sushila Nayar
Shri Ram Singh Ayarwal

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether any change is contemplated by Government in her atomic policy in view of increasing atomic power of China; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Ennergy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) No, Sir.

(b) Gevernment believe that the present policy of developing our scientific and technological capability and expanding our programme for the peaceful uses of atomic energy is in the best overall interests of the nation. Government keep their policy in this matter, as in others, under constant re-assessment.

Per-Capita Income

444. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the per capita income of people in Bihar is very low in comparison to people in other States even after 22 years of Independence;

• (b) if so, whether any scheme is being perpared by Government to bring it at par with other States; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indra Gandhi) : (a) The estimates of per capita income of individual States on comparable basis are not yet available. According to the available statistics, however, Bihar is one of the States which have a per-capita income below the national average.

(b) and (c) Accelerating the pace of development in each State is one of the principal objectives of Planned development at the State level. It has been decided to distribute 10% of the divisible pool of Central Assistance only among those States which have per capita income below the national average, so as to enable them to improve their position.

संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला उठाया जाना

445. **श्री दी० च० शर्मा : श्री बेणी शंकर शर्मा : श्री कामेश्वर सिंह : श्री रबि राय :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि मानव अधिकारों के दमन के आधार पर तिब्बत का मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में नहीं उठाया जाये;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किन आधारों पर किया गया; और

(ग) इस मामले को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। लेकिन सरकार ऐसे किसी भी काम का समर्थन करेगी जो ऐसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए किया जाए जिनके परिणाम स्वरूप तिब्बत में मानवाधिकारों का दमन होता हो।

(ख) और (ग) : यह स्थिति 21 अगस्त, 1968 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 571 के उत्तर में विस्तार पूर्वक समझाई गई थी, जो संलग्न है।

21 अगस्त, 1968 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 571 का उत्तर।

भारत सरकार महासभा के ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करेगी जिसमें ऐसी प्रथाओं को खत्म करने की बात कही गई हो, जिनके कारण तिब्बत में मूलभूत मानवाधिकारों का हनन होता हो।

दक्षिण तथा उत्तर कोरिया में वाणिज्य महादूतावास

446. श्री दी० चं० शर्मा : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री अदिचन :
श्री विभूति मिश्र : श्री ए० श्रीधरन :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया में भारतीय वाणिज्य महादूतावास स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1962 से भारत में इन देशों के दूतावास हैं;

(ग) यदि हां, तो इन देशों में अभी तक भारतीय दूतावास न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह निर्णय किन कारणों से किया गया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां । कोरिया लोकतन्त्रात्मक जन गण-राज्य और कोरिया गण-राज्य में भारत के प्रधान कोंसल क्रमशः प्यांगयांग और सिओल पहुँच गये हैं । वे अपने-अपने कार्यालय जमाने में लगे हुए हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) वित्तीय, खासतौर से विदेशी मुद्रा संबंधी, कठिनाइयों की वजह से कोरिया लोकतन्त्रात्मक जन गण राज्य और कोरिया गणराज्य में प्रधान कोंसलावास खोलने का निर्णय पहले क्रियान्वित नहीं किया जा सकता था, हालांकि यह निर्णय 1962 में लिया गया था ।

(ग) एक ओर कोरिया लोकतन्त्रात्मक जन गणराज्य के साथ और दूसरी ओर कोरिया गणराज्य के साथ व्यापार और दूसरे संबंध बढ़ने की अच्छी संभावना है ।

कार्डाइट फैक्ट्री

447. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री बे०कृ० दास चौधरी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरावकाडू स्थित कार्डाइट फैक्ट्री, जो कि एक प्रतिरक्षा कारखाना है; बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं; और

(घ) फैक्ट्री को पुनः चालू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ला० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) (ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

Honour to Shri Burhanul-Din by Airman

448. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Burhanul-Din, the religious head of Daudi Bohra Sect, was accorded honour by Indian Airmen, similar to that accorded to the Heads of States, on the instructions of Government at the time of his foreign tour from January, 1968 to September, 1968;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government in the matter if the honour accorded to the religious head was not in conformity to the rules in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No.

(b) and (c : Do not arise.

Smuggling of Military Uniforms to Pakistan

449. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 80,000 old uniforms of the officers and soldiers of Indian Army, Air Force and Navy were smuggled to Pakistan during the period for 1962 to August, 1968; and

(b) if so, the names of parties involved and the action taken by Government to stop smuggling of uniforms of the armed forces personnel ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Government have no information on the reported smuggling of uniforms.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

451. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 को हुई हड़ताल में भाग लेने के कारण कितने व्यक्तियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है;

(ख) कितने व्यक्तियों की पहली सेवा समाप्त कर दी गई है;

(ग) क्या हड़ताल के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंची; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) कोई नहीं।

(ख) 2।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

सिक्किम में प्रतिनियुक्त अधिकारी

452. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय अधिकारी सिक्किम सरकार के पास पांच वर्षों से अधिक समय से प्रतिनियुक्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिनियुक्त अधिकारियों को सिक्किम सरकार की प्रार्थना पर उसे सौंप दिया जाता है। वैसे तो ये अधिकारी असल में तीन वर्ष की अवधि के बाद बदल दिए जाते हैं लेकिन अगर सिक्किम सरकार कहे तो उन्हें अधिक समय के लिए छोड़ दिया जाता है या जब कोई उपयुक्त स्थानापन्न स्वयं अपनी सेवाएं अर्पित करने के लिए तैयार नहीं होता अथवा नहीं मिलता तो भी उसे अधिक अवधि के लिए रहने दिया जाता है।

अहमदाबाद में फिल्म स्टूडियो

453. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में एक फिल्म स्टूडियो स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में फिल्म स्टूडियो में रुचि रखने वाले व्यक्तियों या उद्योगपतियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) गुजरात सरकार ने सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) तथापि, फीचर और डाकूमेंट्री फिल्मों के लिए एक स्टूडियो स्थापित करने के हेतु सुविधाएं हांसिल करने के लिए एक गैर सरकारी पार्टी से नवम्बर के शुरु में एक अभ्यावेदन मिला था।

(ग) अभ्यावेदन पर सरकार विचार करेगी।

Powerful Transmitter for Rajasthan

454. **Shri Onkar lal Berwa :** Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a powerful transmitter proposed to be installed in Rajasthan has not so far been installed to cater to the needs of border areas;

(b) if so, the reasons therefor and when it will be installed; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government in the meantime to cater to the needs of border areas ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) : The work on the installation of a powerful transmitter at Jodhpur is in progress and is expected to be completed, as scheduled, in the later half of 1969.

(c) Apart from the general programmes being broadcast from Jaipur, Ajmer, Udaipur and Bikaner stations of All India Radio in Rajasthan, a special programme consisting of a news bulletin, a commentary on topical items and music is broadcast daily from AIR Jaipur for the border areas of the State.

पाकिस्तान द्वारा भारतीय स्थल तथा आकाश सीमा का अतिक्रमण

455. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान द्वारा कितनी बार भारतीय भूमि और आकाश सीमा का अतिक्रमण किया गया; और

(ख) प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) गत 6 मासों में अर्थात 1 मई से 31 अक्तूबर, 1968 तक पाकिस्तान द्वारा 27 स्थल अतिक्रमण और 6 अन्तरिक्ष अतिलंघन किए गए हैं। इनमें शामिल हैं जम्मू तथा काश्मीर में युद्धविराम रेखा के 18 स्थल अतिक्रमण और 3 अन्तरिक्ष अतिलंघन ।

(ख) युद्ध विराम रेखा के इस पार के अतिक्रमणों के सबंध में संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों को शिकायतें भेज दी गई हैं, और अन्य अतिक्रमणों के संबंध में विरोध पत्र भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त अपनी सीमा सुरक्षा सेनाओं द्वारा सीमा/युद्ध विराम रेखा की गश्त जारी है।

International Awards for Indians

456. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of External Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 724 on the 28th August. 1968 and state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to curb the tendencies of some persons who seek to co-operate with certain countries of the world under the guise of International awards;

(b) whether it is a fact that a lot of foreign money is received by some of these organisations and persons through advertisements and publications; and

(c) if so, the measures proposed to be takento check it ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No Sir. There is no bar on Indian nationals receiving international awards;

(b) and (c): Foreign funds can be received by individuals and organisations in India provided they satisfy our Foreign Exchange Regulations. All irregularities are investigated and dealth with on the merits of each case.

डिफेन्स कालोनी, जालन्धर

457. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में जालन्धर नगर में एक डिफेंस कालोनी बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह केवल पंजाब के लोगों के लिये ही होगी; और

(घ) इस कालोनी में कितने परिवारों को बसाने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) जालन्धर में एक रक्षा उपनिवेश स्थापित करने संबंधी प्रश्न राज्य सरकार के निरीक्षण अधीन है ।

(ग) तथा (घ): योजना के विस्तार और अलाटमेंट की [illegible] के संबंध में अभी निर्णय नहीं हुआ हैं ।

डिफेन्स कालोनी, चन्डीगढ़

458. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्डीगढ़ में डिफेन्स कालोनी बनाने का निर्णय कब किया गया था;

(ख) इसका उद्घाटन कब किया गया था;

(ग) अब तक कितने मकान बनाये जा चुके हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उस कालोनी में जल निकासी के लिए नालियों की और बिजली तथा पानी सम्बन्धी योजनाओं को पूर्ण कर लिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) दिसम्बर 1966 में ।

(ख) 11 सितम्बर 1967 को ।

(ग) तथा (घ) भवनों का निर्माण अभी शुरू होना है, यद्यपि प्लाटों का अधिकतर अलाटमेंट हो चुका है, और सड़कों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं का, जैसे कि पानी, बिजली की सप्लाई और स्युरेज का विकास सम्पूर्ण होने जा रहा है ।

तिरूचिरापल्ली का आयुध कारखाना

459. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरूचिरापल्ली के आयुध कारखाने में अभी तक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा सप्लाई की गई मशीनरी बेकार सिद्ध हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस सौदे के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं; और

(घ) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री(श्री ल०ना० मिश्र):(क) जी नहीं ।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज ने कई प्रकार की मशीनों की जैसे कि केटरलेथों, सेलेंड्रिकल ग्राईडिंग मशीनों और विभिन्न मिलिंग मशीनों की सप्लाई की हैं । इनमें कुछ विद्युत द्वारा नियन्त्रित मिलिंग मशीनें जो डारेक्टर जनरल सप्लाईज और डिस्पोसल्ज के माध्यम से प्राप्त की थीं सन्तोषपूर्वक काम नहीं कर रहीं । यह अभी फैक्टरी प्रबन्ध द्वारा स्थायी तौर पर नहीं ली गई है । सर्वश्री एच० एम० टी० इन त्रुटियों की ओर ध्यान दे रहे हैं, और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना एक दल तिरूचिरापल्ली में प्रतिनियुक्त कर रखा है ।

(ग) तथा (घ): प्रश्न नहीं उठते ।

सिक्किम और भूटान में अमरीकी गतिविधियां

460. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उनके भूटान और सिक्किम के दौरे के बाद अमरीका के राजदूत अथवा उनके सहायक अधिकारियों ने उक्त देशों का दौरा किया था;

(ख) क्या कलकत्ता में नियुक्त अमरीकी अधिकारी प्रायः सिक्किम और भूटान जाते रहते हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त अधिकारी वहां पर भारत-विरोधी भावनाओं को भड़का रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भूटान और सिक्किम के शासकों के निमंत्रण पर, भारत में अमरीका

के राजदूत महामान्य श्री चेस्टर बाउल्स अपनी पत्नी तथा चार अधिकारियों के साथ 7 मई, 1968 को भूटान और 8 मई, 1968 को सिक्किम गए थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गिलगित एजेंसी तथा सिक्यांग के बारे में चीन-पाकिस्तान करार

461. **श्री हेम बरुआ :**
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गिलगित एजेन्सी और सिंक्यांग के बीच स्थल मार्ग से व्यापार की सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले चीन-पाकिस्तान करार के बारे में भारत ने पाकिस्तान को विरोध-पत्र भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इनके बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। माननीय सदस्यों का ध्यान अतारांकित प्रश्न संख्या 604 के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है जो कि 24 जुलाई, 1968 को दिया गया था।

(ख) हमारे विरोध–पत्र के उत्तर में पाकिस्तान सरकार ने यह तर्क दिया है कि 1963 के तथाकथित सीमा करार के अन्तर्गत अथवा अक्तूबर, 1967 के करार के अन्तर्गत जो क्षेत्र आते हैं, वे भारतीय प्रदेश के अंग न तो हैं और न कभी रहे हैं।

(ग) सरकार ने पाकिस्तान के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि यह इतिहास के तथ्यों के विरुद्ध है और सत्य का पूर्ण उपहास। 1947 में विलयन के परिणामस्वरूप समूचा जम्मू और काश्मीर भारत में मिल गया है और यह तथ्य कि इस राज्य के कोई अंग पाकिस्तान अथवा चीन के गैर–कानूनी कब्जे में हैं, समूचे जम्मू और काश्मीर पर भारत की प्रभु-सत्ता किसी भी तरह नहीं बदलती। अपने उत्तर में सरकार ने यह बात फिर से कही है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के बारे में जो समझौते किए हैं ये गैर–कानूनी, अवैध और एकदम अस्वीकार्य हैं।

ब्रिटेन में मैसूर के व्यापार अभिकर्ता का कार्यालय

श्री हेम बरुआ : **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री श्रीधरन : **श्री क० लकप्पा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री 21 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 581 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन स्थित मैसूर के व्यापार अभिकर्ता के कार्यालय के भविष्य के प्रश्न पर इस बीच विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकाला है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) लंदन में मैसूर के व्यापार अभिकर्ता के कार्यालय के भविष्य के प्रश्न पर अभी सभी पहलुओं से विचार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीन की पीपल्स लाइब्रेशन आर्मी के एक सदस्य का वक्तव्य

463. श्री हेम बरुआ : **श्री नी० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ : **श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन की तिब्बत में पिपल्स लाइब्रेशन आर्मी के एक वरिष्ठ सदस्य, श्री जेन यंग द्वारा दिये गये एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें भारत को इस प्रकार की चेतावनी दी गई हैं कि यदि भारत ने उनकी पवित्र भूमि में घुसने का साहस किया, तो वे भारत का पूरी तरह विनाश कर देंगे; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) इस बयान में, जो कि तिब्बत में क्रांतिकारी समिति की स्थापना के अवसर पर दिया गया था कोई नई बात नहीं है। स्पस्ठतः यह बयान भारत के प्रति चीन के अपने ही शत्रुतापूर्ण रवैये पर पर्दा डालने के लिए किया गया था।

सिक्किम द्वारा दार्जिलिंग पर दावा जताया जाना

464. श्री ए० श्रीधरन : **श्री गणेश घोष :**
श्री कामेश्वर सिंह : **श्री विजय मोडक :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री क० लकप्पा : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 सितम्बर, 1968 को 'पैट्रियट' में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सिक्किम ने दार्जिलिंग पर अपना दावा जताया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) 'पैट्रियट' का समाचार बहुत ही सोद्देश्य है। सिक्किम के किसी भी जिम्मेदार वर्ग ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले पर दावा नहीं किया है।

अमरीकी दूतावास द्वारा दिल्ली के एक न्यायालय द्वारा जारी किये गये सम्मन लेने से इन्कार

465. श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के एक न्यायालय द्वारा एक अधिकारी को, जो सी० आई० ए० के भूतपूर्व एजेन्ट श्री जान स्मिथ के हस्ताक्षर पहचान सकता, भेजने के लिए जारी किए गए सम्मन को लेने से दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर अमरीकी दूतावास से बातचीत की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास ने इस सम्मन को विदेश मन्त्रालय को वापस लौटा दिया था क्योंकि इसे राजदूतावास के स्वागती के पास छोड़ दिया गया था।

(ख) और (ग): जब ये सम्मन विदेश मन्त्रालय के जरिये फिर उन्हें भेजा गया तो उन्होंने सम्मन नहीं लिया और पूछते हुए वापस कर दिया कि मन्त्रालय की सम्मन से सम्बद्ध प्रार्थना अन्तर्राष्ट्रीय कानून और सौजन्य के किन सिद्धान्तों के आधार पर की गई है। इस पर मन्त्रालय ने इस सम्मन को बिना तामील कराए ही न्यायालय को वापिस कर दिया।

राज्यों की प्रति व्यक्ति आय

466. श्री ए० श्रीधरन :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री क० लकप्पा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से देश में छः राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 1964–65 के जो अस्थायी अनुमान तैयार किये गये हैं उसके अनुसार उक्त वर्ष सात राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय औसत से कम थी ।

(ख) उनकी चौथी योजना के आकार का निश्चय करने तथा उन्हें केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के समय इस तथ्य पर समुचित ध्यान रखा जायेगा ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने के लिये ससद् सदस्यों का चयन

467. श्री ए० श्रीधरन :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० लकप्पा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री 17 अप्रेल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1263 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन संसद् सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा जाता है, क्या उनके बारे में लोकसभा से सलाह लेने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब इसे कार्य-रूप दिया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख): संयुक्त राष्ट्र महासभा के 23वें अधिवेशन के लिये जो प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा है, उनमें शामिल होने वाले संसद् सदस्यों के नामों की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दे दी गयी है ।

हरिजन कर्मचारियों की हड़ताल

468. श्री रवि राय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 सितम्बर, 1968 के 'लिंक' में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हरिजनों के किसी नेता ने हरिजन कर्मचारियों की हड़ताल से अलग रहने की अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) 16 सितम्बर, 1968 को अपराह्न 1.30 बजे के अंग्रेजी बुलेटिन में आकाशवाणी ने निम्नलिखित समाचार प्रसारित किया था :—

'आल इंडिया हरीजन लीग के अध्यक्ष भगत अमर चन्द ने हरीजन, अनुसूचित जाति और दलित वर्गों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वे हड़ताल में भाग न लें । उन्होंने एक वक्तव्य में कहा है कि देश के सामने अनेक आंतरिक और

बाह्य समस्याएं हैं और इस समय प्रत्येक भारतीय को देश के कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ प्रधान मंत्री की मुलाकात

469. श्री रवि राय :
श्री प्र० के० देव :
श्री श्रीधरन :
श्री रा० की० अमीन :
श्री क० लकप्पा :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह लातीनी अमरीकी देशों को जाते समय मार्ग में लंदन हवाई अड्डे पर ब्रिटेन के विदेश मन्त्री श्री माइकेल स्टिवार्ड से मिली थीं।

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने ब्रिटेन की आप्रवास नीति पर विशेषतः कीनिया के संबंध में बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ब्रिटेन के विदेश मन्त्री श्री माइकेल स्टिवार्ड ने प्रधान मन्त्री का स्वागत किया था और न्यूयार्क जाते समय रास्ते में 23 सितम्बर को जब वे कुछ देर के लिए लंदन हवाई अड्डे पर रुकी थीं उस समय उन्होंने शिष्टाचार-स्वरुप अभिवादन किया था।

(ख) और (ग): प्रमुख राजनीतिक मसलों पर कोई महत्वपूर्ण बातचीत करने का मौका ही नहीं था। लेकिन ब्रिटेन के विदेश मन्त्री से उत्प्रवास के प्रश्न पर सरसरी तौर पर जिक्र किया था और भारतीय मूल के व्यक्तियों की कठिनाइयों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया था।

डा० धर्म तेजा को देश में लाना

470. श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० के० देव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कृ० मा० कोशिक :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोस्टारिका से डा० धर्म तेजा तथा उसकी पत्नी को भारत में लाने में सरकार को कितनी सफलता मिली है; और

(ख) उन्हें कब तक भारत में लाया जा सकेगा तथा विलम्ब के क्या कारण है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना, मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख): कोस्टारिका से डा० धर्म तेजा और उसकी पत्नी के प्रत्य-

पंण के लिए हमारी मांग पर कोस्टरिका के सर्वोच्च न्यायालय में अभी विचार किया जाना है। इस बात की प्रतीक्षा की जा रही है कि कास्टरिका का सर्वोच्च न्यायालय को वहां की सरकार को इस मामले में क्या सलाह देता है। इस मामले में जल्दी करवाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। कोस्टरिका सरकार को अनुमति मिलते ही तेजा दम्पति के प्रत्यर्पण के बारे में प्रबन्ध किये जाने की संभावना है।

हरियाणा में आकाशवाणी केन्द्र

471. श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा राज्य में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के स्थान के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कब तक निर्णय हो जाने की संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) प्रसारण के विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के समदि में हरियाणा में एक रेडियो केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। इस परियोजना की क्रियान्विति साधनों की उपलब्धि और राज्य की राजधानी के बारे में निर्णय के अभाव में, केन्द्र किस स्थान पर स्थापित होना चाहिये इसके बारे में राज्य सरकार की ठोस सिफारिश पर निर्भर करती है।

चीन जाने वाले विद्रोही नागाओं का बर्मा में प्रवेश

472. श्री यशपाल सिंह :
श्री बे०कृ० दास चौधरी :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री हेमराज :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री क० लकप्पा :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 29 मई, 1968 के 'लंदन टाइम्स' में छपे इन समाचारों को देखा है कि चीन जाने के लिए विद्रोही नागा सीमा पार करके बर्मा में प्रवेश कर गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ विद्रोही नागा भारतीय सुरक्षा बल से मुठभेड़ में मारे गये; और

(ग) यदि हां, तो विवरण क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) और (ग): सरकार ने 27 मई, 1968 के (29 मई, 1968 के नहीं) लंदन 'टाइम्स' में यह रिपोर्ट देखी है। मई, 1968 में भारत की सुरक्षा सेनाओं और छिपे नागाओं के बीच इस तरह की कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी। माननीय सदस्यगण सम्भवत: सीमा के बर्मा की ओर की कथित मुठभेड़ों का जिक्र कर रहे हैं जिसमें कि, ऐसा समझा जाता है, नागा उपद्रवी बहुत बड़ी संख्या में मारे गए हैं इस। सिलसिले में लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 211 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका उत्तर 31 जुलाई, 1968 को दिया गया था।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का दूसरा कारखाना

473. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इलैक्ट्रानिक्स उपकरण बनाने के लिये भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का दूसरा कारखाना स्थापित करने के स्थान के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थान चुन लिया गया है तथा इसके लिये धन नियत कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अभी नहीं।

(ख) तथा (ग): इस समय प्रश्न नहीं उठते।

नागालैन्ड में युद्ध विराम की अवधि बढ़ाना

474. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री हेम बरुआ :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विद्रोही नागाओं के साथ युद्ध-विराम समझौते की अवधि को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह अवधि कितनी बढ़ाई गई है;

(ग) इस अवधि को बढ़ाने का निर्णय किन कारणों से किया गया; और

(घ) क्या सम्बन्धित पक्षों ने कोई निश्चित आश्वासन दिया है कि युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन नहीं होगा ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) और (ख): इसे युद्ध-विराम की संज्ञा देना गलत है। कार्रवाई संबंधी करार की अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा दी गई है अर्थात् 30 नवम्बर, 1968 (मध्य-रात्रि) तक के लिए।

(ग) यह नागालैंड के गवर्नर और वहां की राज्य सरकार के परामर्श से और स्थिति को पूरी तरह आंक कर किया गया है।

(घ) 20-4-68 को दीमापुर में शांति पर्यवेक्षक दल की देख-रेख में जो सम्मिलित बैठक हुई थी उसमें छिपे नागाओं ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि कार्रवाई बंदी संबंधी करार की शर्तों का पालन किया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय

475. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे कम है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अखिल-भारतीय स्तर तक लाने के लिये चौथी योजना में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) अन्य राज्यों को केन्द्र द्वारा दी जा रही सहायता के अलावा, हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ क्या विशेष व्यवहार किया जा रहा है या उन्हें क्या महत्व दिया जा रहा है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सब संघ राज्य क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय के प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है। हिमाचल प्रदेश और मनीपुर दो संघ राज्य क्षेत्रों में से, जिनमें ये प्रकल्लन उपलब्ध हैं, वर्ष 1960–61 से 1964–65 तक की अवधि में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मनीपुर की प्रति व्यक्ति आय से अधिक थी।

(ख) और (ग): हिमाचल प्रदेश सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों की चौथी पंचवर्षीय योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की साँकेतिक हड़ताल के कारण हुई हानि

476. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री म० ला० सोंधी :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा संस्थानों को हुई हानि का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई और किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख): सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

गार्डन रीच वर्कशाप, लिमिटेड

477. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1968 को उसकी अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख) इस कम्पनी पर 31 मार्च, 1961 को कितना ऋण केन्द्रीय सरकार का, बैंकों का तथा अन्य पक्षों का था;

(ग) इस कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों में ब्याज के रूप में कितनी राशि दी है;

(घ) गत तीन वर्षों के काम-काज के क्या परिणाम निकले हैं और इस कम्पनी को कितना लाभ अथवा हानि हुई है; और यदि हानि हुई तो उसके मुख्य कारण क्या थे; और

(ङ) वर्ष 1968-69 के बारे में क्या अनुमान है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) गार्डन रीच वर्कशाप लि० कलकत्ता को जो लगभग 1890 से विद्यमान है, 1934 में एक जायंट स्टाक कम्पनी में परिवर्तित कर दिया गया था। सरकार ने इस कम्पनी को अप्रैल, 1960 में एक चालू संस्था के रूप मे खरीदा था। अधिग्रहण करते समय इसका अधिकृत सरमाया 300 लाख रुपये था और पेडअप सरमाया 70 लाख रुपये। 31-3-1968 को इसका अधिकृत सरमाया 300 लाख रुपये था और पेडअप सरमाया 150 लाख रुपये।

(ख) केपिटल लोन समेत बैंक ओवरड्राफ्ट के कारण ऋण 31-3-1968 तक 252.57 लाख रुपये था। इसमें 115.97 लाख रुपये केपिटल लोन था जो सरकार को देय था और 136.60 लाख रुपये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से आवर ड्राफ्ट के रुप में लिया गया था।

(ग) पिछले तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा केपिटल लोन पर और बैंक ओवर ड्राफ्ट पर दिया गया ब्याज था :—

1965-66	11.45 लाख रुपये
1966 67	14.09 लाख रुपये
1967-68	18.12 लाख रुपये

(घ) पिछले तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित किए गए लाभ इस प्रकार हैं :—

लाख रुपयों में

	1965–66	1966–67	1967–68
उत्पादन	365.44	481.75	628.55
कर से पहले लाभ	35.33	42.34	64.58
करदान के पश्चात् लाभ	19.33	19.34	26.08
डिविडेन्ड	6.00 (6 प्रतिशत)	8.40 (7 प्रतिशत)	10.50 (7 प्रतिशत)

(ङ) 1968–69 में अनुमानित उत्पादन और लाभ नीचे दिये गए हैं :—

	लाख रुपयों में
उत्पादन	762.00
कर से पहले लाभ	67.50
कर के पश्चात् लाभ	62.50

वायुसेना अध्यक्ष का विदेश दौरा

478. डा० सुशीला नैयर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने सितम्बर-अक्तूबर, 1968 में कुछ यूरोपीय तथा अमरीकी देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन तथा कितने देशों का दौरा किया; और

(ग) उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था और उन देशों के विभिन्न अधिकारियों तथा नेताओं के साथ उन्होंने क्या बातचीत की थी;

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग): संयुक्त राज्यों (यू० एस०) की वायुसेना और राज्य केनेडियन वायु सेना के निमन्त्रणों के उत्तर में वायुसेना अध्यक्ष ने यू० एस०ए० और केनेडा के सितम्बर, 1968 में सद्भावना भ्रमण किये थे। वापसी यात्रा में उन्होंने यू० के० फ्रांस और स्वीडन का भी भ्रमण किया था, जहां उन्होंने उन वैमानिक उद्योग से बातचीत की थी।

निजाम हैदराबाद द्वारा भूमि की खरीद

479. डा० सुशीला नैयर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री नारायण स्वरुप शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री जुगल मंडल :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 14 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4021 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के निजाम द्वारा भूमि की खरीद के बारे में सरकार ने अब जानकारी प्राप्त कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निजाम द्वारा भूमि की खरीद

आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने हैदराबाद के प्रिंस मुक्करम जाह को कुछ शर्तों पर विशाखापत्तनम में 5.39 एकड़ भूमि देनी मन्जूर की थी। यद्यपि इससे सुरक्षा को प्रश्न में व्यक्त किये गये जैसा कोई खतरा नहीं है तथापि इस क्षेत्र के नौसैनिक क्षेत्र के निकट होने के कारण भारत सरकार की प्रार्थना पर राज्य सरकार भूमि देने के बारे में अपने पहिले आदेश में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ने ये आदेश भी जारी किये हैं कि डाफलिन्स नोज के किसी क्षेत्र में तथा उसके चारों ओर दो मील के क्षेत्र में किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन को कोई भूमि न दी जाये।

हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे

480. डा० सुशीला नैयर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री मधु लिमये :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने भारतीय महासागर में सैनिक अडडे स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका की सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है;

(ग) क्या अड्डा सरकार की पूर्व अनुमति से स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख), (ग) और (घ) इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ उठाया गया था। उनका कहना यह है कि इस द्वीप समूह प्रस्तावित सुविधाओं को 'अड्डा' नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वहां सैनिक रखने का कोई इरादा नहीं है। हमारे विचार उन पर स्पष्ट कर दिये गए हैं। विदेशी सैनिक अड्डों की स्थापना के हम विरुद्ध हैं और हमारा यह विश्वास है कि हिंद महासागर का यह क्षेत्र शांति का क्षेत्र होना चाहिए जिसमें किसी तरह के सैनिक अड्डे न हों।

T. V. Programmes

481. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the duration of Television Programmes in Delhi every day;

(b) whether Government propose to increase this duration; and

(c) the steps taken by Government to make these programmes more attractive and educative and to inculcate the spirit of patriotism and to impart the knowledge of Indian culture amongst the people ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Three hours on the average, including School Television Programmes.

(b) Not in the immediate future. But duration of the programmes will be increased when additional resources become available.

(c) Improvement of programmes is a continuous process which is carried on in the light of periodic evaluation of programmes, reactions of viewers, informed criticism in press and views of advisory committes etc. Attempt is also made to inculcate the spirit of patriotism and to impart knowledge of Indian culture amongst people by intelligent and imaginative planning and presentation of programmes, particularly school broadcasts, programmes for children, krishi darshan, women's programmes, etc.

प्रधान मन्त्री की लातिनी अमरीकी देशों की यात्रा

482. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामसिंह अग्रवाल :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके हाल ही के दक्षिणी अमरीकी देशों की यात्रा के साथ जाने वाले सरकारी दल के सदस्यों के नाम और संख्या क्या है; और

(ख) प्रधान मन्त्री सहित दल की यात्रा पर सरकार का कुल खर्च कितना आया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) प्रधान मन्त्री के हाल के लातिनी अमरीकी देशों के दौरे में उनके साथ निम्नलिखित व्यक्ति गये थे :—

1. श्री राजेश्वर दयाल, भूतपूर्व विदेश सचिव ।

2. श्री पी० एन० हक्सर, प्रधान मन्त्री के सचिव ।
(वेनेजुला की राजधानी काराकस में दल में आकर शामिल हुए)

3. श्री जे०एस० मेहता, सह सचिव, विदेश मन्त्रालय ।

4. श्री एस० बनर्जी, प्रधान मन्त्री के सह सचिव ।
(चिली की राजधानी पेरु से भारत वापिस लौट आए)

5. श्री के० नटवर सिंह, निदेशक (विशेष) प्रधान मन्त्री सचिवालय ।

6. श्री एस० के० सिंह, निदेशक, वाणिज्य मन्त्रालय ।

7. श्री एच० वाई० शारदा प्रसाद, प्रधान मन्त्री के उप सूचना सलाहकार ।

8 श्री एफ० एस० डेवर्स, उप निदेशक, गृह मन्त्रालय ।

9. डाक्टर के० पी० माथुर, प्रधान मन्त्री के निजी चिकित्सक ।

10. श्री बी० एल० जोशी, सुरक्षा अधिकारी ।

11. कुमारी ऊषा भगत, प्रधान मन्त्री की सामाजिक सचिव ।

12. श्री ओम प्रकाश, प्रधान मन्त्री के अपर निजी सचिव ।

13. श्री एस० मी० राघवान, प्रधान मन्त्री के निजी सहायक ।

14. श्री नाथू राम, प्रधान मन्त्री के निजी परिचारिक ।

15. श्री के० एल० शर्मा, आल इण्डिया रेडियो का प्रतिनिधि ।

16. श्री ई० एच० डेविड, न्यूजरील कैमरामैन ।

17. श्री पी० राय, स्टिल कैमरामैन ।

(ख) खर्चे का ब्यौरा उन सभी देशों में स्थित मिशनों से एकत्रित किया जा रहा है जिनका दौरा प्रधान मन्त्री ने किया था ।

राज्यों की योजनाओं के प्रारूप

483. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री बाल्मिकी चौधरी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री अदिचन :
श्री दे० जि० सिंह :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये पुनरीक्षित योजना के प्रारुप राज्य सरकारों से प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो वे सभा-पटल पर कब रखे जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक उन्हें अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) मद्रास, पश्चिम बंगाल तथा नागालैंड को छोड़ कर सभी राज्यों से चौथी योजना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं।

(ख), (ग) और (घ): इन पर विभिन्न कार्यकारी दलों द्वारा विचार किया जा रहा है और अभी अन्तिम रुप नहीं दिया गया है। दिसम्बर 1968। जनवरी 1969 में किसी भी समय राज्य के मुख्य मन्त्रियों और राष्ट्रीय विकास परिषद् के साथ विचार-विनिमय करने के बाद इस विषय में निश्चय किया जायेगा। इसके बाद चौथी योजना का प्रारुप संसद् के सामने प्रस्तुत किया जायेगा और जिससे अपेक्षित सूचना उपलब्ध होगी।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कटौती

484. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बे०कृ० दास चौधरी :
श्री अविचन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 में योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में राज्यों के योजना सचिवों की एक बैठक हुई थी तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित वर्तमान 92 योजनाओं की सूची में भारी कटौती करने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस बैठक में अन्य क्या सिफारिशें और निर्णय किये गये ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग): नई चौथी पंचवर्षीय योजना में जिन स्कीमों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है, उनकी जांच के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति द्वारा एक सरकारी समिति गठित की गई थी। इस समिति ने सभी विद्यमान तथा मन्त्रालयों और राज्यों द्वारा प्रस्तावित नई स्कीमों की जांच कर अपनी सिफारिश राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति को प्रस्तुत करदी है।

क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन

485. श्री यमना प्रसाद मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन के क्या कारण हैं;

(ख) क्या क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को दूर करने के हेतु कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद ने श्रीनगर में अपनी पिछली बैठक में प्रस्ताव पारित किया था; और

(ग) यदि हां, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों तथा बिहार के आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों, विशेषतः बिहार के सीमावर्ती जिलों के पिछड़े हुए सीमावर्ती खण्डों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) किसी भी समय विद्यमान क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन के लिए कई भौतिक-भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक और ऐतिहासिक घटक जिम्मेदार हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्यों से कहा गया है कि असंतुलन को कम करने के लिए वे अपने योजना प्रस्तावों में अवस्थापना (इन्फ्रा-स्ट्रक्चर) सुविधाओं के निर्माण और पिछड़े क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा विकास जैसे कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें। यह निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय सहायता का विभाज्य पूल का दस प्रतिशत केवल उन राज्यों में वितरित किया जाय जिनकी प्रतिव्यक्ति आय अखिल भारतीय औसत से कम है, ताकि उनके योजना परिव्ययों में वृद्धि हो सके। पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण और उनमें पूंजीगत संसाधनों का अन्तः प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से योजना आयोग ने दो कार्यकारी दल नियुक्त किये हैं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

486. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्रीमती सुशीला नायर :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री रवि राय :
श्री देव राव पाटिल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संभवतः अप्रैल, 1969 से आरम्भ होने वाले चतुर्थ योजना का आकार योजना आयोग अभी तक निश्चित नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जायेगा और इस योजना को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क), (ख) और (ग): चौथी पंचवर्षीय योजना की तैयारी के सिलसिले में उसके आकार तथा अन्य सम्बन्धित विषयों का प्रश्न इस समय योजना आयोग के विचाराधीन है। जनवरी, 1969 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार हो जाने की सम्भावना है। तारांकित प्रश्न संख्या 744 दिनांक 28 अगस्त, 1968 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

मास्को, टोकियो और ओटावा के साथ टेलक्स/टेलिप्रिंटर का सम्बन्ध

487. श्री क० लकप्पा :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री 10 अप्रेल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6826 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को, टोकियो और ओटावा के साथ इस बीच टेलक्स/टेलीप्रिंटर सम्बन्ध स्थापित कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके देरी होने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) मास्को स्थित अपने मिशन के साथ टेलीप्रिंटर सम्पर्क स्थापित करने के प्रश्न पर महानिदेशक, विदेश संचार सेवा, के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

टोकियो तथा ओटावा स्थित अपने मिशनों के साथ टेलक्स सम्पर्क के लिए प्रबन्ध को अन्तिम रुप दिया जा चुका है, उम्मीद की जाती है कि यह निकट भविष्य में अपना काम शुरु कर देंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमान्त क्षेत्रों के लिये ट्रांसमीटर

488. श्री अविचन :
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि 13 सितम्बर, 1968 को जयपुर में केन्द्र के सूचना और प्रसारण उप मंत्री ने संकेत दिया था, क्या सीमान्त क्षेत्रों में काफी ट्रांसमीटर लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने ट्रांसमीटर स्थापित किए जायेंगे, वे कहां कहां स्थापित किए जायेंगे और उनकी क्षमता कितनी होगी, और

(ग) इस योजना पर कितनी लागत आएगी और यह कब पूरी हो जायेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर 16 ट्रांसमीटर लगाने का काम चालू है —

कलकत्ता, राजकोट, डिब्रुगढ़, गोरखपुर, कुमायूं, शिमला, जोधपुर, जम्मू, कोहिमा, इम्फाल, सिलचर, लेह, तवंग, लोंगडिंग, अमीनी और कोलीचियांग।

इनमें अल्प शक्ति, मध्यम शक्ति, उच्च शक्ति और अत्युच्च शक्ति के ट्रांसमीटर शामिल है। ये उन पाच ट्रांसमीटरों के अलावा हैं जो कलकत्ता, जालंधर, पासीघाट, तेजू और अज्जल में पहले ही लगाए जा चुके हैं।

(ग) वर्तमान अनुमान के अनुसार, इस योजना पर 1250 लाख रुपये खर्च होंगे। आशा है यह कार्य लगभग तीन वर्षों में पूरा हो जाएगा।

Ban on Landing of Hindus at Karachi Port

489. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that no Hindu belonging to any country is allowed to land at Karachi Port;

(b) whether Government have lodged any protest to Pakistan in this regard; and

(c) if so, the reply received therefrom ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) According to information avail ble with the Government of India, Indian passport holders of any religious denomination are generally not granted permission to land at Pakistani ports. People of Indian origin holding passports of other countries particularly Hindus, are also not generally permitted to land.

(b) and (c): The Government of Pakistan were approached to permit landing facilities to Indian nationals at Pakistani ports, but they have not agreed.

Supply of Patton Tanks to Pakistan by Italy

490. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have succeeded in stopping the supply of American Patton tanks to Pakistan by Italy;

(b) if not, the number of Patton tanks likely to be supplied to Pakistan by Italy:

(c) whether Italy has been supplying Patton tanks to Pakistan with or without the permission of U. S. A;

(d) if the tanks are being supplied with the permission of U. S. A., whether U. S. A., has furnished any explanation or reasons to Government in this regard; and

(e) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) : According to our information no agreement has yet been signed between Italy and Pakistan for the supply of patton tanks to Pakistan.

(c), (d)and(e) : Do not arise.

सरकार के लिये फिल्मों का निर्माण

492. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के लिये फिल्में ठेके पर बनाई जाती हैं और वह फिल्म निर्माताओं को फिल्म के स्वीकृत भाग तथा काटे गये भाग के लिये भी भुगतान कर रही है, और

(ख) यदी हां, तो क्या सरकार का भविष्य में यह सुनिश्चित करने का विचार है कि भुगतान का दायित्व केवल फिल्म के स्वीकृत भाग पर ही लागू होता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : फिल्में ठेके के आधार पर बनाई जाती हैं और आम तौर पर सरकार फिल्म की अंतिम लम्बाई के आधार पर भुगतान करती है । परन्तु कुछ मामलों में ठेके की शर्तों के आधार पर जहां उचित समझा जाता है, निकाले गये अंशों के लिये भी भुगतान किया जाता है । निकाले गये अंशों के लिये बिलकुल भुगतान न करना सम्भव नहीं है ।

Landing of Zond-5 in the Indian Ocean

493. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Defence be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Zond-5, the Russian space craft encircling around the Moon, which landed in Indian Ocean near Mauritius was brought to Bombay with the help of Indian Navy ; and

(b) the name of place from where Indian Navy guided the said space craft and the distance in miles covered by the said space craft in Indian territorial waters under the guidance of Indian Navy ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विद्रोही नागाओं तथा मिजो को पाकिस्तानी सहायता सम्बन्धी दस्तावेजी सबूत ।

494. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मि० सु० मूर्ति :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास इस समय कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे हथियारों, छापामार युद्ध प्रशिक्षण तथा धन के रूप में पाकिस्तान द्वारा नागा तथा मिजो विद्रोहियों की सहायता का प्रमाण मिलता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि इन दस्तावेजों से पाकिस्तान सरकार की सहायता से महत्वपूर्ण पुलों, कारखानों आदि तथा भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को क्षत करने की योजना का भण्डाफोड़ होता है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी प्रतियां सभा-पटल पर रखने का है, और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा-गांधी) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) जो दस्तावेज़ पकड़े गए थे उनमें से कुछ की प्रतियां सदन की मेज़ पर रख दी गई हैं। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2076/68]

(घ) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजे हैं लेकिन उसने इस बात को मानने से इन्कार किया है कि वह सहायता दे रहा है । इस बारे में अंतिम विरोध 16 अगस्त, 1967 को किया गया था । इस संदर्भ में लोक सभा का अतारांकित प्रश्न संख्या 10110 देखें जिसका उत्तर 8 मई, 1968 को दिया गया था ।

लेह जाने वाले ए० एन० 12 विमान की तलाश

495. **श्री बाल्मीकी चौधरी :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
डा० सुशीला नैयर : **श्री वसुमतारी :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के ए०एन०-12 विमान का जो लेह जाते हुए 7 फरवरी, 1968 को हिमालय की पहाड़ियों में गुम हो गया था अब पता लग गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसका पता लगाने के लिये और क्या प्रयत्न किये गये हैं ;

(ग) क्या इसके पाकिस्तान में भटक जाने की कोई संभावना है ; और

(घ) इस बारे में की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) 2 नवम्बर 1968 तक हेलिकाप्टरों समेत विभिन्न प्रकार के विमानों द्वारा लगभग 300 घंटों के लिए अन्तरिक्ष अनुसंधान किया गया था । अनुसंधान ग्रस्त क्षेत्र इस समय हिमालीन हैं ।

(ग) तथा (घ) : कोर्ट आफ इन्क्वायरी ने विमान के पाकिस्तानी भूक्षेत्र में भटक कर चले जाने की किसी प्रकार की संभावना को मान्यता नहीं दी ।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in I. & B. Ministry

496. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4111 on the 14th August, 1968 and state.

(a) whether the information regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other castes employees if the Ministry has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a), (b)and (c : The information is still being collected from the Media Units and subordinate offices of the Ministry spread all over the country. It will be laid on the table of the house as soon as it is received. The delay is regretted.

Civilian Employees in Defence Ministry

497. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4112 on the 14th August, 1968 regarding civilian employees in Defence Ministry and state :

(a) whether the requisite information has since been collected; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Three Statements are laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2077/68]

Industrial Undertakings Under Defence Ministry

498 Shri Molahu Prasad: Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6531 on the 10th April, 1968 regarding Industrial Undertakings under Defence Ministry and state the further time likely to be taken in arriving at the final decision ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : It is difficult to give a difinite indication but a decision is likely to be taken in the next six months.

Resources of U. P. for Fourth Plan

499. Shri Molahu Prasad : Will the Prime Minister be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3068 on the 7th August, 1968 and state :

(a) whether a decision has since been taken on the amount to be collected by the U. P. Government during the fourth five Year plan from their own resources ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The matter is still under consideration in consultation with the State Government.

भूतपूर्व इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारी

500. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भूतपूर्व इमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें 1 सितम्बर, 1968 को सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में नियुक्त किया गया था ; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वे अधिकारी विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं शेष सभी ऐसे अधिकारियों को सीमा सुरक्षा पुलिस तथा रेलवे संरक्षण दल में नियुक्त करने की सम्भावना पर सरकार विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) : अन्त अक्तूबर 1968 तक 4987 ई० सी० ओज़० स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने या विमुक्त किए जाने के लिए, कि जैसा भी मामला हो, विचारे गये थे। इन में से 1739 ई० सी० ओज़० को स्थायी कमीशनें प्रदान कि जा चुकी हैं। 1197 विमुक्त किए गए ई० सी० ओज़० को सरकारी विभागों और राजकीय क्षेत्र के उपकरणों में खपाया गया है। 239 ई० सी० ओज़० या तो निजी उपकरणों में खपाए गए थे, या अपने असैनिक नियुक्तियों पर लौट गए थे, या उन्होंने अपने आप को खेती बाड़ी या कारोबार में लगा लिया था। 238 भूतपूर्व ई० सी० ओज़० का प्रबंध नहीं किया जा रहा, क्योंकि या तो उन्हें पेशकश किए काम उन्होंने अस्वीकार कर दिए, या इसलिए कि उन्हें अनुशासनिक कारणोंवश बाहर निकाल दिया गया था। इस प्रकार कुल 4987 अंतर्गस्त अफसरों के विरुद्ध 3413 पुनरावासित किए गए है, या उनका उपयुक्त प्रबंध कर दिया गया है। शेष 1574 अफसरों में से 200 अभी तक कमीशन प्रदान किए जाने के लिए विचाराधीन हैं। शेष ई० सी० ओज़० को सीमा सुरक्षादल, रेल सुरक्षादल इत्यादि में खपाने के लिए, इन दलों की आवश्यकताओं से सगत, पूरा पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई

501. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री राम सेवक यादव :

क्या विदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट ने पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की और सहायता देने के बारे में बातचीत की थी : और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) भारत सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं।

(ख) भारत सरकार मित्र देशों के सम्मुख, जिसमें अमरीका भी शामिल है, बहुत स्पष्ट कर चुकी है कि इस प्रकार हथियार सप्लाई करने से इस उपमहाद्वीप में तनाव पैदा होगा और भारत के प्रति पाकिस्तान के दुराग्रह को प्रोत्साहन मिलेगा।

सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार

502. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले भारत-विरोधी तीव्र आन्दोलन का खण्डन करने की दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार तेज करने के लिये उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, संलग्न है ।

विवरण

पाकिस्तानी प्रचार का खंडन करने के लिये सरकार विभिन्न माध्यमों से एक व्यापक प्रचार आन्दोलन चला रही है ।

आकाशवाणी से, विशेषतः इसके सीमावर्ती केन्द्रों से पाकिस्तान द्वारा प्रसारित प्रच्छन्न प्रयोजनयुक्त वक्तव्यों तथा झूठे समाचारों का विश्लेषण करने के लिये विभिन्न भाषाओं में नियमित रुप से समाचार टिप्पणियां तथा वार्ताएं प्रसारित की जाती है ।

रेडियो काश्मीर, श्रीनगर से सर्वाधिक श्रवण समय में (8.00 म० से 8.30 म०प०. तक), विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रों के श्रोताओं के लिये, एक निश्चित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है । यह कार्यक्रम "वादी की आवाज" कहलाता है । श्रीनगर से इस तरह की समाचार टिप्पणियां प्रसारित की जाती हैं जो परोक्ष रुप से सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाले भारत विरोधी प्रचार का खंडन करने के लिये होती हैं ।

जालन्धर से भी प्रतिदिन 15 मिनट के लिये "साडे वतन" नामक एक निश्चित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है ।

रात के सवा नौ बजे दिल्ली से प्रसारित किये जाने वाले तथा अनेक केन्द्रों से रिले किये जाने वाले मुख्य उर्दू समाचार बुलिटेन के प्रसारण के बाद "आजकल के हालात पर तबसरा" नामक दैनिक टिप्पणी प्रसारित की जाती है । काश्मीरी, उर्दू तथा बंगाली कार्यक्रम विशेष रुप से पाकिस्तान से सम्बन्धित रहते हैं । दैनिक "स्पाट लाइट" तथा "सामयिकी" टिप्पणियां जो मुख्यतः भारत के श्रोताओं के लिये प्रसारित की जाती हैं, पाकिस्तान में भी विस्तृत रूप से सुनी जा सकती हैं । जालन्धर, श्रीनगर,जम्मू तथा कलकत्ता से प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों के अतिरिक्त जयपुर, गोहाटी आदि अन्य विभिन्न सीमावर्ती केन्द्रों से इसी प्रकार की स्थानीय समाचार टिप्पणियां प्रसारित की जाती हैं ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार सेवा का विस्तार करने के लिये जालन्धर और कलकत्ता में शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगाये जा चुके हैं ।

(2) पाकिस्तान द्वारा प्रसारित गलत अथवा बढ़ाचढ़ाकर बताये गये समाचारों के बारे में सही स्थिति बताने के लिये प्रेस सूचना विभाग समाचार पत्रों को सुव्यवस्थित ढंग से सामग्री देता है।

(3) प्रकाशन विभाग ने भारत विरोधी प्रचार का खंडन करने वाला साहित्य प्रकाशित किया है जिसे राज्य सरकारों की क्षेत्र प्रचार व्यवस्था, इस मंत्रालय की क्षेत्र प्रचार यूनिट तथा सीमा सुरक्षा दल के अन्य संगठनों के द्वारा बड़े पैमाने पर सीमावर्ती क्षेत्रों में बांटा जाता है।

(4) पाकिस्तान के झूठे प्रचार का भंडाफोड़ करने और भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों, काश्मीर के विलय आदि के बारे में वास्तविक जानकारी देने के लिये 40 प्रतिशत क्षेत्र प्रचार यूनिटें पाकिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यकर रही हैं। इसके अतिरिक्त भ्रमण दल, जिसमें विभिन्न समुदायों तथा उन क्षेत्रों के सदस्य लिये जाते हैं, विभिन्न राज्यों में जाकर यह बताते है कि इस देश में धर्म निर्पेक्ष प्रजातंत्र किस प्रकार कार्य कर रहा है।

(5) सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी प्रचार का खंडन करने के लिये सजीव मनोरंजन साधनों से भी काम लिया जाता है और इस प्रयोजन के लिये दरभंगा, गोहाटी, इम्फाल, जोधपुर, नैनीताल शिमला तथा श्रीनगर, सात केन्द्रों में सीमावर्ती प्रचार योजना आरंभ की गई है।

(6) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री की अध्यक्षता में पदाधिकारियों का एक दल देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में, जिसमें पाकिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, प्रचार की विशेष आवश्यकताओं का अध्ययन किया जा रहा है। यह समिति जम्मू तथा काश्मीर और त्रिपुरा मनीपुर संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा कर चुकी है। राष्ट्रीय जागृति, एकता तथा अखंडता का भावना बढ़ाने के लिये यह विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार में सुधार करने के बारे में सिफारिश करेगी।

प्रचार हेतु शक्तिशाली ट्रांसमीटर

503. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी अफ्रीका के लिये प्रचार कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने और भारत की स्थिति को स्पष्ट करने तथा चीन तथा पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध उन क्षेत्रों में किये गये मिथ्या प्रचार के कारण फैली हुई बहुतेरी गलत धारणाओं को दूर करने के लिये दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : जी, हां। आकाशवाणी की वैदेशिक सेवाओं के लिए दिल्ली, मद्रास और बम्बई में शक्तिशाली ट्रांसमीटर पहले ही चालू हैं। अलीगढ़, राजकोट और कलकत्ता के निकट भी शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का काम चालू है। इनके लग जाने पर वैदेशिक सेवाएं और मजबूत हो जाएंगी।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भूटान का प्रतिनिधिमण्डल

504. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**
श्री काशीनाथ पाण्डेय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान के चार-सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने संयुक्त राष्ट्र सघ की महासभा में भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने में भूटान सरकार का उद्देश्य क्या था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) : चूंकि भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

प्रेस आयोग

505. **श्री शिवचन्द झा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस उद्योग में प्रचलित सकेन्द्रण प्रक्रिया की जांच करने के लिये एक नया प्रेस आयोग स्थापित करने का सरकार का विचार है,

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठते। तथापि, अपने एक कार्य के अनुसार, प्रेस परिषद एक मालिक के हाथ में कई समाचार-पत्रों के आने के प्रश्न पर विचार कर रही है और इस बारे में परिषद जो सिफारिशें देंगी उनको दृष्टि में रखते हुए सरकार आगे कार्यवाई करने पर विचार करेगी।

सरकारी उपक्रमों का प्रचार कार्य

506. **श्री लोबो प्रभू :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने यह विचार किया है कि सरकारी उपक्रमों के प्रचार-कार्य को विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय में सम्मिलित किया जाना चाहिये,

(ख) क्या सरकारी उपक्रमों का विज्ञापन विभिन्न सिद्धान्तों पर दिया जाता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) सरकारी उपक्रमों के अन्तर्गत गत वर्ष एजेन्टों को कितना धन दिया गया था तथा यदि यह काम निदेशालय द्वारा किया जाता तो क्या यह धन बचाया नहीं जा सकता था ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के शाह) : (क) जी, हां। सरकारी नीति के अनुसार, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय उन सरकारी उपक्रमों का हिसाब रख सकता है, जो वाणिज्य तौर से प्रतियोगी नहीं है। उन उपक्रमों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की एजेन्सी को इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। उनमें से अब तक 80 उपक्रमों ने निदेशालय को अपने लेखे सौंपे हैं।

(ख) जी, नहीं, वाणिज्यिक तौर से अप्रतियोगी सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पास आवश्यक संगठन, साधन और विशेषज्ञ हैं।

(ग) विज्ञापक, विज्ञापन एजेंसियों को, जो अपना कमीशन समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं से लेते हैं, कोई कमीशन नहीं देते।

विदेशों में अपने प्रतिनिधि भेजने वाले मंत्रालय

507. श्री लोबो प्रभु : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से मंत्रालय हैं जिनके विदेशों में अपने प्रतिनिधि हैं तथा उन्होंने कितने अधिकारी नियुक्त किये हुए हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि उन अधिकारियों और उनके काम को हमारे मिशनों में सम्मिलित नहीं किया गया है, और

(ग) क्या विदेशों में कर्मचारियों को उन्हीं शर्तों पर नियुक्त किया जाता है जो भारत में लागू होती हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) विदेशों में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त किसी भी अन्य मंत्रालय का "स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व" नहीं है। लेकिन विदेश-स्थित भारतीय मिशनों में कुछ मंत्रालयों ने अपने कार्यालय खोल रखे हैं जो अन्ततः संबद्ध मिशन प्रमुख के सर्वेक्षण और नियन्त्रण में ही कार्य करते हैं।

(ख): दूसरे मन्त्रालयों के ये कार्यालय विशिष्ट और तकनीकी विषयों का काम करते हैं। जब कभी आवश्यक होता है, उनका काम भारतीय मिशन में ही मिला दिया जाता है।

(ग) आम तौर से ऐसा ही होता है।

अमरीका में हिन्दू धर्म के विरुद्ध प्रचार

508. श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में न्यूयार्क तथा अन्य नगरों में टेलिविजन फिल्मों तथा वार्ताओं द्वारा सुनियोजित ढंग से हिन्दू धर्म के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीका में बिल्ली ग्रहाम नामक एक इंजील प्रचारक ने एक टेलिविजन वार्ता में हिन्दू धर्म को "भाग्यवादी, बर्बर तथा भावुकतावादी" बताया है और यह भी कहा है कि "विश्व के कल्याण के लिये ईसाई धर्म ही एक मात्र धर्म है" और उन्होंने अपना उद्देश्य हिन्दू धर्म को नष्ट करना बताया है जिसे वह मानवता को यातनाओं से बचाने की संज्ञा देते हैं; और

(ग) यदि हां तो क्या वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा अमरीका को कोई विरोध पत्र भेजा गया है और यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में ग्रमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) ग्रौर (ग) : इस प्रकार के प्रचार की कोई जानकारी सरकार को नहीं है । इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच की जा रही है ।

भारत में चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रजनों का कनाडा में चले जाना

509. श्री क० लकप्पा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री पे० वेंकटासुब्बया :
श्री रवि राय :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री हेम बरुग्रा :
श्री काशीनाथ पाण्डेय :
श्री बसुमतारी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेकोस्लोवाकिया के 21 राष्ट्रजन 10 अक्टूबर, 1968 को भारत से कनाडा चले गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि चेकोस्लोवाकिया के ये कुछ राष्ट्रजन रांची स्थित हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन में काम कर रहे थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे कि वे भारत को अचानक ही छोड़ कर चले गये; और

(घ) चेकोस्लोवाकिया के इन राष्ट्रजनों को भारत छोड़ कर जाने की अनुमति क्यों दी गई थी ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 21 चेक-राष्ट्रिक, जिनमें 7 टैक्नीशियन और उनके परिवार थे, 9 अक्टूबर, 1968 को 10 बजे सवेरे भारत से कनाडा के लिए रवाना हुए थे ।

(ख) ये सातों टेक्नीशियन रांची में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में काम कर रहे थे ।

(ग) जैसा कि उन्होंने खुद ही बताया है, वे भारत से यकायक अपने देश की राज-नीतिक स्थिति के कारण चले गए ।

(घ) इन टेक्नीशियनों और उनके परिवारों को उनके पासपोर्ट पर भारत छोड़ने का पृष्ठांकन दे दिया गया था क्योंकि उन्होंने कनाडा जाने का अपना पक्का इरादा प्रकट किया था और उनके पास दिल्ली में कनाडा के हाई कमीशन द्वारा किए गए वीजा सहित वैध पास-पोर्ट थे।

M. Ps. Included in Foreign Delegations

510. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of External Affairs be pleased to refer to the reply given to a supplementary to Starred Question No. 602 on the 13th March, 1968 regarding sending of such Members of Parliament and foreign delegations who have been elected members regularly since 1952 and state the number of such M. Ps. who have been included in the delegations to foreign countries since the 13th March, 1968 ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

नेपाल की सहायता

511. श्री कृ० गु० देशमुख : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल को लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की हाल में मंजूरी दी है;

(ख) क्या यह सहायता उस सामान्य सहायता के अतिरिक्त है जो नेपाल को भारत से मिलती है;

(ग) नेपाल को भारत से प्राय: किस रूप में और कितनी सहायता मिलती थी; और

(घ) भारत ने नेपाल में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) यह सूचना सदन को 21 फरवरी, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर में दी जा चुकी है।

(ग) और (घ) भारतीय सहायता नेपाल के साथ एक सुनियोजित आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाती है और इसके अन्तर्गत संचार के क्षेत्र की कई विकास योजनाएं आती हैं, जिनमें ये भी शामिल हैं : दूर संचार, उर्जा उत्पादन, सिचाई, पीने के पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, बागवानी; पशु-चिकित्सा, वन-विज्ञान, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, भूगर्भीय एवं खनिज सर्वेक्षण आदि। 31 मार्च 1968 तक 49.06 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी थी।

इसके अतिरिक्त, भारत ने 20-9-1964 के भारत–नेपाल करार के अन्तर्गत नेपाल में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए, आमतौर पर जूट, सीमेंट, पेपर और कपड़ा उद्योगों के क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए, एक करोड़ रुपए का ऋण भी दिया है।

अमरीका में भारतीय लोक-सम्पर्क निकाय

512. श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका में कार्य कर रहे हमारे विभिन्न लोक सम्पर्क निकायों के कार्य संचालन के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है;

(ख) उस अनुमान से क्या लाभ हुए हैं; और

(ग) उस अनुमान से किये गये निर्णयों को कहां तक कार्य-रूप दिया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अभी तक इसका मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बर्मा से प्रत्यावर्तन करने वाले भारतीय को मुआवजा

513. श्री एम० नारायण रेड्डी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री भरत सिंह चौहान :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उत्प्रवासियों तथा उनके प्रत्यावर्तन के लिये मुआवजा देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये बर्मा सरकार द्वारा बनाई गई समिति ने अपना कितना काम समाप्त कर लिया है;

(ख) प्रत्यावर्तन के बारे में शीघ्र समझौता कराने के लिए बर्मा स्थित हमारा दूतावास समिति की किस रूप में सहायता करता है; और

(ग) शीघ्र समझौता कराने के बारे में अब तक कितनी सफलता मिली ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ग) यह समिति अब भी इस दिशा में कार्य कर रही है ।

(ख) जल्दी कोई निबटारा करने के लिए हमारा राज-दूतावास इस बारे में बर्मा की सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है ।

स्वीडन द्वारा नये हथियार का आविष्कार

514. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 2 सितम्बर, 1968 के "विश्वमित्र" नामक कलकत्ता के हिन्दी दैनिक समाचार की ओर दिलाया गया है कि स्वीडन ने एक ऐसे नये हथियार का आविष्कार किया है जिसे एक व्यक्ति चला सकता है और जो 250 मीटर की दूरी से छोड़े जाने पर

भी 14 इंच मोटे कवच को फाड़कर उसमें घुस सकता है और उसका भार केवल 2 ?1½ किलोग्राम है तथा उसे ऐसी बन्दूक से भी चलाया जा सकता है जिसमें धक्के को रोकने की विधि हो;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका ब्यौरा जानने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग): साज-सामान के तकनीकी ब्यौरों का अध्ययन किया गया था। वर्तमान वैसे साजसामान की तुलना में वह कोई विशेष लाभकर नहीं पाए गए।

न्यू चाइना न्यूज एजेंसी द्वारा प्रसारण

515. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम के पुनर्गठन की योजना की घोषणा किये जाने के अगले सप्ताह में न्यू चाइना न्यूज एजेंसी द्वारा किये गये प्रसारणों की ओर दिलाया गया है जिनमें उपर्युक्त योजना की पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले पहाड़ी लोगों के दमन और शोषण के रूप में निन्दा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो चाइना न्यूज एजेंसी द्वारा इस प्रकार हस्तक्षेप किये जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ऐसे वक्तव्यों की भर्त्सना करती है क्योंकि वे चीनी सरकारी न्यूज एजेंसी द्वारा भारत के अन्तरिक मामलों में गम्भीर हस्तक्षेप ही है। विगत में भारत सरकार के कड़े विरोध के बावजूद भी यह जारी रहा है। इसलिये इसे भारत के प्रति चीन की निरन्तर शत्रुता की अभिव्यक्त ही समझा जा सकता है।

Urdu Dailies from Bihar

516. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of Urdu dailies being published from Bihar with their names and circulation figures of each;

(b) the names of Urdu dailies included in the approved list of Govt. and the value of Govt. advertisements given to each one of them per month;

(c) whether it is a fact that "Sangam", an Urdu daily of Patna has been removed from the approved list by the Bihar Govt.; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The requisite information is given in the Registrar of Newspapers for India's report entitled "Press in India 1967" (Part II), a copy of which was laid on the Table of the Lok-Sabha on 14.12.1967,

(b) Government advertisements are issued to newspapers taking into consideration their circulation, standing, influence and the clientele required to be reached. It is not decided languagewise.

Disclosure of detailed information in regard to specific newspapers as well as the quantum and value of advertisement issued to such papers will not be in the public interest.

(c) and (d) Information has been asked for from the State Government and will be placed on the Table of the House shortly.

प्रतिरक्षा उत्पादन में विदेश सहायता

517. **श्री लोबो प्रभु :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा मिग विमानों और पनडुब्बियों के उत्पादन के लिये रूसी सहायता लिये जाने के पश्चात् कुछ लोकतंत्रात्मक देशों ने हमें प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये सहायता देना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो हमें तब से कितना सहयोग मिला है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी नहीं। पनडुब्बियों के उत्पादन के लिए अभी तक कोई प्रायोजना शुरू नहीं की गई।

(ख) सामान्यत: कहा जाए तो वर्तमान प्रायोजनाओं तथा नई प्रायोजनाओं के लिए भी अन्य देशों से सहायता प्राप्त की जा रही है।

मास्को में भारतीय फिल्म समारोह

518. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को में दिनांक 18 अक्तूबर, 1968 को एक भारतीय फिल्म-सप्ताह मनाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस फिल्म-सप्ताह के अन्तर्गत मास्को में प्रदर्शन के लिए कौनसी भारतीय फिल्में भेजी गई थीं तथा इन फिल्मों का चयन किस आधार पर किया गया था ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित भारतीय फिल्में भेजी गई थी :—

फीचर फिल्में	वृत्त चित्र
1. ममता (हिन्दी)	1. अकबर
2. वक्त (हिन्दी)	2. आई एम ट्वंटी
3. आखरी खत (हिन्दी)	3. विगनैटीज़ आफ गोआ
4. मिलन (हिन्दी)	4. होमेज़ टु लालबहादुर शास्त्री
5. आंखें (हिन्दी)	5. ड्रीम्स आफ मोजीराम
6. आम्रपाली (हिन्दी)	6. शेंडो एण्ड सबस्टांस
7. बालिका बोधू (बंगला)	7. इण्डिया–1967
8. साक्षी (तेलुगु)	
9. कल्लुम कनीयगम (तमिल)	

फिल्मों का चयन एक तदर्थ जांच समिति द्वारा उन फिल्मों में से किया गया था जिनकी केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रादेशिक अधिकारियों, फिल्म निर्माताओं की संस्थाओं और अन्य प्रतिनिधि संगठनों ने सिफारिशें की थीं। समिति ने 10 फीचर फिल्में चुनी थीं, परन्तु चार फिल्मों के निर्माता प्रिंटें भेजने में समर्थ नहीं थे। प्रिंटों की प्राप्ति पर निर्भर करते हुए तीन अन्य फिल्में, जो अन्यथा उपयुक्त समझी गई, इन फिल्मों के स्थान पर रखी गई।

All-Party Government at the Centre

519. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a resolution has been passed at the Annual Function of Swatantra Party in which emphasis has been laid on the formation of an **All-Party** Government at the Centre in which all available talents may be included; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Reports of such a Resolution have appeared in the newspapers.

(b) Government consider that the suggestion made by the Swatantra Party to have an All-Party Government at the Centre is not feasible.

Application for Passport from Sheikh Abdullah

521. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Shiva Chandra Jha :
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **External-Affairs** be pleased to state :

(a) whether Sheikh Mohammad Abdullah has applied for passport to visit certain foreign countries including Pakistan ;

(b) the citizenship mentioned by him in the application for passport; and

(c) the reaction of Government to the application for passport ?

The Prime Minister, Minister of Atomic-Energy, Minister of Planning and Minister of External-Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Officials Delegations Sent Abroad

522. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of External-Affairs be pleased to state :

(a) the names of countries to which official delegations were sent during the last inter-session period of Lok Sabha and the country-wise duration of stay of these delegations; and

(b) the names of members of the said delegations, both official and non-official ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

फिल्म वित्त-निगम द्वारा दिये गये ऋण

523. **श्री गाड़िलिंगन गौड :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1968 तक फिल्म वित्त निगम ने फिल्म निर्माताओं को अच्छे स्तर की फिल्में बनाने के लिये कितनी राशि के ऋण दिये;

(ख) ऋण प्राप्त करने वालों के नाम क्या हैं तथा किन-किन फिल्मों के निर्माण के लिये इन ऋणों को प्रयोग किया गया;

(ग) किस संस्था द्वारा ऋणों के सही प्रयोग की जांच की जाती है;

(घ) क्या सरकार को ऋणों के दुरुपयोग किये जाने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2078/68**]

(ग), (घ) और (ङ): दुरुपयोग का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। निगम आम तौर पर ऋण किस्तों में देता है और प्रत्येक किश्त, निगम के तकनीकी सलाहकार की जांच के माध्यम से यह तसल्ली किए जाने के बाद दी जाती है कि पहले दी हुई किस्त ठीक तरह से इस्तेमाल हो चुकी है। आगे जांच की जा रही है।

अनुसंधान और विकास संस्था

524. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसन्धान और विकास संस्था की कार्यकारिणी समिति की पूर्व योजनानुसार प्रत्येक मास एक बार बैठक नहीं होती, जिसके परिणामस्वरूप रक्षा, साज-सामान की वृद्धि के बारे में प्रगति धीमी पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसमें सुधार के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस संस्था की कितनी बैठकें हुई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क), (ख) तथा (ग) पहले ऐसा ख्याल किया जाता था कि रिसर्च तथा डेवलपमेंट संगठन की कार्यकारिणी समिति के लिए मास में एक बार मिल बैठना आवश्यक होगा। पिछले अनुभव के आधार पर अब ऐसा निर्णय किया गया है कि जब और जैसे आवश्यक हो तभी कार्यकारिणी समिति को मिल बैठना चाहिए, परन्तु शर्त यह है कि उनकी बैठक किसी भी स्थिति में तीन मास से अधिक स्थगित न हो।

समिति 1963 से काम कर रही है। यह 1963, 1964 और 1965 में प्रतिवर्ष तीन बार मिल बैठी है और 1966 तथा 1967 में दो-दो बार। 1968 में अभी तक वह दो बार मिल बैठी है। इस बात से कि समिति प्रतिमास नहीं मिल बैठी अनुसन्धान तथा विकास कार्य की प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

नागालैंड की सीमा

525. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्मा के साथ लगती नागालैंड की सीमाओं को बन्द करने के संबंध में सारे प्रबन्ध कर लिए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन नाकों को भी बन्द कराने का विचार है जिनसे नागा लोग अब भी चीन जाते तथा वहां से आते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत-बर्मा सीमा के आर-पार 40-40 किलोमीटर के क्षेत्र में दोनों ओर आवगमन, जिस पर पहले बिना अनुमति लिए मुफ्त रूप से आ-जाया जा सकता था, 1-8-1968 से परमिट व्यवस्था करके नियंत्रित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) : नागालैंड सैक्टर में भारत-बर्मा सीमा की सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, इसके लिए सीमा पर चौकियां स्थापित की जा रही हैं और उन मार्गों पर सघन गश्त की व्यवस्था की जा रही है जिनके बारे में शक हो कि उपद्रवी नागाओं के गिरोह उनका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, इस रास्ते को प्रकृति के कारण, उपद्रवी नागा गिरोहों के काम करने के ढंग के कारण और भारत तथा बर्मा सीमा

के आस पास के इलाकों में रहने वाले कबीलों के बीच जातीय घनिष्ठता के कारण समूची सीमा को पूरी तरह बंद करने का विचार संभवतः व्यवहारिक न होगा।

नागा विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ें

526. श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 1968 से 31 अगस्त, 1968 तक की अवधि में सुरक्षा दलों तथा विद्रोही नागाओं के मध्य कुल कितनी झड़पें हुई और सुरक्षा दलों तथा नागाओं के कितने सदस्य मारे गये, तथा कितनी मात्रा में शस्त्रास्त्र पकड़े गये ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : भारत सरकार के पास जो सूचना सुलभ है वह सदन की मेज पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2079/68)

कृषि तथा उद्योग पर आश्रित जन संख्या

527. श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग अलग-अलग से कृषि तथा उद्योग पर आश्रित थे ;

(ख) चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान कृषि व उद्योग पर कुल जनसंख्या के सम्भवतः कितने प्रतिशत लोग आश्रित होंगे ; और

(ग) इस विभिन्नता के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क), (ख) और (ग) : जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, कृषि तथा उद्योग पर आश्रित कामगारों का प्रतिशत क्रमशः 69.7 और 9.0 है। 1961 के तदनुरुप आंकड़े क्रमशः 69.5 और 10.6 थे। इसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कृषि के सम्बन्ध में 1951 और 1961 के मध्य बहुत कम विभिन्नता थी। उद्योग में विभिन्नता उद्योगों के विकास के कारण हुई।

विदेशों में प्रधान मन्त्री के दौरे के सम्बन्ध में दूतावासों द्वारा समाचार आदि देने की व्यवस्था

528. श्री को० सूर्यनारायण : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1968 को विजयवाड़ा से प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस के सन्डे स्टैंडर्ड में छपे इस समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है कि प्रमुख समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के जो सवाददाता प्रधान मन्त्री के लातिनी अमेरिकी राष्ट्रों के दौरों के समय साथ गए थे वे विदेशों में उनके लिये की गई भारतीय दूतावासों की व्यवस्था से असन्तुष्ट हैं ;

(ख) क्या भविष्य में ऐसे अवसरों पर ऐसी बातों को रोकने के विचार से इस बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां तो उसके क्या परिणाम हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) एवं (ग): हमारे सम्बन्धित मिशनों से पूछताछ की गयी है। अब तक की प्राप्त सूचना से यही पता चलता है कि स्थानीय सीमा-शुल्क की सीमाओं के अन्तर्गत आवश्यक प्रबन्ध किए गए और सुलभ सुविधाएं भारतीय संवाददाताओं को उनकी यात्रा पूरी करने के लिए दी गयी।

नागाओं के साथ निकट भविष्य में मुठभेड़ें होने की सम्भावना

529. श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं द्वारा पुनः विद्रोह की कार्यवाहियां किये जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विद्रोही मिजो भी विद्रोही नागाओं के साथ मिल गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(घ) उस क्षेत्र में उत्पन्न होती जा रही स्थिति के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) इस स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस संदर्भ में भारत-बर्मा सीमा पर चीन में प्रशिक्षित नागाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति पर, जो कि नागालैंड में घुसने की फिराक में हैं, हमारी सुरक्षा सेनाएं बराबर निगरानी रख रही हैं और उन्होंने इन नागाओं को अभी तक घुसने नहीं दिया है।

(ख), (ग) और (घ) : छिपे नागाओं और उपद्रवी मीजो लोगों के बीच सांठ-गांठ का प्रमाण है। बहरहाल, नागालैंड और मीजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में हमारे सिविल प्रशासन ने और सुरक्षा सेनाओं ने जो कार्रवाई की है, उसके परिणाम नजर आने लगे हैं। इस क्षेत्र में पुनः शांति स्थापित करने के लिए सरकार प्रत्येक संभव कार्यवाही कर रही है।

रूस के हस्तक्षेप के बारे में श्री अशोक मेहता की कथित टिप्पणी

530. श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित श्री अशोक मेहता का इस कथित टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि रूस भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रेस रिपोर्ट में जो बात कही गई है सरकार उसे मानने के लिए तैयार नहीं ।

Republic day Passes

531. **Shri Nihal Singh : Will the Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament are issued only two passes for four seats for witnessing the Republic Day Parade while many other Members of Parliament are issued 10 or 12 family passes for 20 or 25 seats ;

(b) if so, whether Government propose to fix the maximum quota of passes to be issued to Members of Parliament with a view to enabling their guests coming from their respective constituencies to witness the Republic Day Parades ;

(c) whether it is also a fact that the application forms for passes, which are sent to Members of Parliament contain various columns which are required to fill in and as a result, thereof a Member of Parliament gets only two passes for the members of his family and not for his other friends ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) whether Government propose to make arrangements to accommodate the guests of Members of Parliament near the 'V' enclosure, which is meant for Members of Parliament in future and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a), (b), (c) and (d) : Due to limited seating capacity at Rajpath, normally invitation cards for not more than 4 seats are issued for relations and guests of Members of Parliament for the Republic Day Parade. Cards for more seats were issued mainly in cases where requests were made in respect of close relations or entitled categories e. g. MLAs, for specially those coming from outstations To enable issue of invitation cards for relations and guests of Members of Parliament, they are requested to indicate their names and other particulars, in order of preference. This procedure has in practice been found to be quite fair and efficacious.

(e) Guests of Members of Parliament will continue to be placed in suitable enclosures. It is not possible to accommodate all of them in enclosures near the 'V' enclosure.

कोरिया लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की वर्षगांठ

532. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्योंगयांग में कोरिया लोकतंत्रात्मक गणराज्य की 20 वीं वर्षगांठ के हाल ही के समारोह के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान, नेपाल, श्री लंका, बर्मा तथा अन्य अफ्रीकी-एशियाई देशों समेत अनेक देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस समारोह में भारत की स्पष्ट अनुपस्थिति के क्या कारण हैं?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) : जी हां ।

(ख) : कुछ देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने इन समारोहों में भाग नहीं लिया था । लेकिन, कुछ अफ्रो-एशियाई देशों के गैर-सरकारी प्रतिनिधि मन्डलों ने, जो मैत्री एवं सांस्कृतिक सोसाइटियों आदि की ओर से आए थे, इन समारोहों में भाग लिया था ।

(ग) : श्री चंद्रजीत यादव, संसद सदस्य, के नेतृत्व में भारत-कोरियाई सांस्कृतिक सोसाइटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इन समारोहों में हिस्सा लिया था । कोरियाई लोकतंत्रात्मक जनगणराज्य के अधिकारियों ने इस प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत किया था । भारत के प्रधान मन्त्री ने कोरियाई लोकतंत्रात्मक जनगणराज्य के प्रधान मंत्री का संदेश भेजकर भारत की सरकार और लोगों की ओर से कोरियाई लोकतंत्रात्मक जनगणराज्य के लोगों को हार्दिक बधाई दी थी और भविष्य में उनकी सर्वांगीण सफलता और समृद्धि की कामना की थी ।

सिल्चर में रेडियो स्टेशन

533. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिल्चर में प्रसारण केन्द्र स्थापित होने के बारे में क्या प्रगति हुई है, और

(ख) यह केन्द्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) सिलचर में एक रेडियो केन्द्र खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई है । ट्रांसमीटर और स्टूडियो के लिए स्थानों का चयन करने और आवश्यक उपकरण प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार इसमें तीन साल का समय लग जाने की संभावना है ।

विदेशों में भारतीय मिशनों की कार्य प्रणाली

534. **श्रीमती ज्योत्स्ना चंदा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि विदेशों में जाने वाले अधिकतर भारतीयों का यह विचार है कि विदेशों में भारतीय मिशनों तथा सलाहकारों का कार्य संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) : विदेश-स्थित भारतीय मिशनों के कार्यों के बारे में सरकार को प्रशंसा और शिकायतें दोनों ही मिलती रहती हैं। जो शिकायतें ठीक जचती हैं उनपर ध्यान दिया जाता है और उन्हें दूर करने के लिये उपाय किये जाते हैं।

प्रधान मन्त्री की प्रस्तावित पीरू यात्रा

535. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री की विदेश यात्रा के मूल कार्यक्रम में पीरू की यात्रा भी सम्मिलित थी ;

(ख) किन परिस्थितियों के कारण इस यात्रा के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया तथा पीरू की यात्रा को इस कार्यक्रम में से किन कारणों से निकाला गया ; और

(ग) अपनी विदेश यात्रा आरम्भ करने से पूर्व पीरू की यात्रा को अपने कार्यक्रम से उन्होंने क्यों नहीं निकाला ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग): प्रधान मन्त्री के निर्धारित दौरे के ठीक कुछ ही दिन पहले पीरू की सरकार में अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण दौरा रद्द कर दिया गया।

पीकिंग रेडियो से प्रसारण

537. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के मध्य भाग के हिन्दी भाषी लोगों के लिये 18 अक्तूबर 1968 को पीकिंग रेडियो से प्रसारित किये गये चीन के साम्यवादी दल के उस प्रसारण के बारे में 19 अक्तूबर 1968 के, "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें संयुक्त मोर्चा बनाने और बढ़ाने के लिये भारत में अपने अनुयायिओं द्वारा अपनाई जाने वाली नीति और तरीके बताये गये थे ; और

(ख यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ० रने के प्रयास में चीन इस प्रकार के प्रसारण निरंतर करता ही रहता है और भारत सरकार इनकी निंदा करती है।

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान सेना का जमाव

538. **श्री हेम बरुग्रा :** **श्री रा० बरुग्रा :**
श्री वि० ना० शास्त्री : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पाकिस्तान समूची आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भारी संख्या में सेना जमा कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या हैं ; और

(ग) पाकिस्तान के संभावित आक्रमण से इस सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : गत दिनों में पाकिस्तानी सैनिक असम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भारी संख्या में विद्यमान पाए गए हैं, परन्तु पाकिस्तान द्वारा सैनिक गतिविधि में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त पग जारी हैं ।

सैनिक स्कूल, काजकोथम

539. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में केन्द्रीय सरकार ने काजाकोथम सैनिक स्कूल के लिये कितनी राशि नियत की थी ;

(ख) एक वर्ष में सैनिक स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी के लिये कितनी राशि नियत की जाती है ; और

(ग) क्या सैनिक स्कूल के वर्ष 1966-67 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) : सैनिक स्कूल एक स्वायत्त रजिस्टर्ड समिति द्वारा चलाए जाते हैं, जिसका नाम है सैनिक स्कूल्ज सोसाईटी, और उनका खर्च छात्रों द्वारा अदा की गई फीसों द्वारा पूरा किया जाता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों को वार्षिक राशि अलाट किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। तदपि केन्द्रीय सरकार बिना किसी शुल्क के तीन सेवा अफसर प्राप्त करती है जो स्कूल के प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार और मुख्याध्यापक का काम संभालते हैं। इस पर उठने वाला खर्च है लगभग 50,000 रूपये प्रतिवर्ष। छात्रों में से कई, सेवा कर रहे और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के

लिए छात्रवृतियों की रक्षा मन्त्रालय की योजना के अन्तर्गत और संघीय क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्तियों की गृहमंत्रालय की योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तिए प्राप्त करते हैं । आडिट रिपोर्ट का निरीक्षण सैनिक स्कूल्ज सोसाइटी और बोर्ड आफ गवर्नर्ज का विषय है ।

इंग्लैंड के पत्तनों में भारतीयों के प्रदेश पर रोक

श्री नायनार : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि ब्रिटेन के गृह कार्यालय ने भारतीयों के पत्तनों तथा शाप फ्लोरों में प्रवेश करने पर रोक लगाकर उनके ब्रिटेन में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन में भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) : सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश बंदरगाहों और शाप फ्लोंस में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

Salaries of Army personnel in supply Department

541. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Governments attention has been drawn towards disparity between the salary and duration of service of the army personnel posted in the Supply Department and of those employed in active service ;

(b) if so, whether Government are taking some steps to remove this disparity ; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) : The duration of colour service for other Ranks in the Army is fixed with respect to the trades in which they are engaged and not necessarily according to the Arm or Service to which they belong. Thus, Army Service Corps (which also looks after Army supplies) personnel are to be found in various trades, the colour service of which ranges from 10 to 18 years. Keeping in view the comparatively limited prospects for promotion etc., the age of compulsory retirement for officers of the Army Service Corps, up to the rank of Col., has been fixed at 52 years, against 50 years generally for the Arms.

The pay-scales of Army Service Corps Officers are the same as the pay scales of officers of all Arms other than Army Medical Corps, Army Dental Corps and Veterinary officers, which have different pay scales. Other Rank, whether of Army Service Corps or of other Arms/Services, are grouped together in certain groups and further sub-divided into certain classes. Within the same group and class, the pay scale is the same for all Other Ranks whether belonging to the Army Service Corps or to any other Arm/Service. The Army Service Corps Other Ranks are found in most groups ranging from the highest to the lowest.

In view of the fact that there is no discrimination against Army Service Corps personnel as such, the question of removing any disparity does not arise.

चौथी योजना के लिये कार्यकारी दल

542. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**
श्री सिद्धय्या :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र में योजना आयोग ने मूल चौथी योजना तैयार करने के लिये, जिसका कार्य 1962 के पूर्वार्ध में आरम्भ किया गया था, लगभग 43 अध्ययन दल गठित किये थे ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक दल किस-किस विषय से सम्बन्धित था ;

(ग) क्या सब दलों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(घ) अध्ययन दलों के कितने और कौन-कौन से प्रतिवेदन छापे गये अथवा साईक्लोस्टाईल करके सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों को भेजे गये ;

(ङ) क्या सरकार ने सदस्यों द्वारा पढ़ने के लिये इन प्रतिवेदनों की प्रतियां संसद-पुस्तकालय को भेजी हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यकारी दलों की सूची सभा पटल पर रखी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2080/68**]

(ग) जी, हां।

(घ) सभी प्रतिवेदन मन्त्रालयों/ विभागों को परिचालित किये गये थे।

(ङ) और (च) : क्योंकि प्रतिवेदन आन्तरिक अध्ययन पत्रों के रूप में थे। अत: जैसे ही और जब ये योजना आयोग में प्राप्त हुए संसद के पुस्तकालय में प्रस्तुत नहीं किए गए।

चौथी योजना के लिये कार्यकारी अध्ययन दल

543. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**
श्री सिद्धय्या :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई चौथी योजना तैयार करने के लिये योजना आयोग द्वारा अब तक कितने और कौन-कौन से कार्यकारी/अध्ययन दल बनाये गये हैं ;

(ख) क्या सब दलों ने अब तक अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो प्राप्त हुए प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) अब तक कितने प्रतिवेदन छाप दिये गये हैं अथवा साइक्लोस्टाइल करके सम्बन्धित विभागों को भेज दिये गये हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त प्रतिवेदनों की प्रतियां उपलब्ध होने पर संसद पुस्तकालय में भेजने का है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) कार्यकारी दलों की सूची सभा पटल पर रखी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2081/68**]

(ख) जी नहीं।

(ग) कार्यकारी दलों / उपदलों से प्राप्त प्रतिवेदनों की सूची सभा पटल पर रखी गयी है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2081/68**]

(घ) जिन प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, उन्हें सम्बद्ध मन्त्रालयों / विभागों में प्रचारित कर दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं। ये आन्तरिक कार्यकारी दस्तावेजों के रूप में हैं।

जाति भेद के सम्बन्धों में संयुक्त राष्ट्र संघ की गोष्ठी में भाग लेने के लिए गया भारतीय प्रतिनिधि मंडल

544. श्री प्र० रं० ठाकुर :
श्री सिद्धय्या :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाति-भेद के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की हाल ही में दिल्ली में हुई गोष्ठी में गये सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या किसी अन्य भारतीय ने उस गोष्ठी में चर्चा में भाग लिया अथवा अपना लेख भेजा;

(ग) भारतीयों की ओर से उस गोष्ठी में पढ़े गये अथवा भेजे गये लेखों की कुल संख्या कितनी है, और उनके विषय तथा लेखकों का विवरण क्या है; और

(घ) क्या भारतीयों द्वारा पढ़े गये लेखों की प्रतियां सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) **मुख्य सहभागी**

डा० ए० कृष्णस्वामी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट।

सहभागी

डा० एम० एन० श्रीनिवास, अध्यक्ष, सोशियोलोजी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

प्रो० बी० एन० वर्मा, अध्यक्ष, अफ्रीकन स्टडीज़ विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

श्री ऐरिक गंसाल्वेज़, निदेशक, विदेश मंत्रालय।

श्री एस० शहाब्बुद्दीन, उप-सचिव, विदेश मंत्रालय (संयुक्त राष्ट्र प्रभाग)

वैकल्पिक सहभागी

श्री जी० के० अरोरा, उप-सचिव, गृह मंत्रालय।

श्री एस० के० दास, उप-सचिव, संयुक्त राष्ट्र प्रभाग, विदेश मंत्रालय।

श्री पी० के० कर्था, सहायक विधि सलाहकार, विदेश मंत्रालय।

यह प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सरकारी प्रतिनिधिमंडल नहीं था। मुख्य सहभागी ने, सहभागियों ने तथा वैकल्पिक सहभागियों ने इस गोष्ठी में निजी हैसीयत से हिस्सा लिया था। जैसा कि इस प्रकार की गोष्ठियों को रस्मी तौर पर करना होता है, आमंत्रित सरकारों द्वारा सहभागियों की नामज़दगी की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव द्वारा होनी आवश्यक होती है।

(ख) जी हां। 16 भारतीय राष्ट्रों ने विभिन्न ऐसे गैर-सरकारी सगठनों की ओर से प्रेक्षकों के रूप में इस संगठन में भाग लिया था जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में परामर्शदाता का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य श्री बी० शिवाराओ उन तीन विशेषज्ञों में से थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के निमन्त्रण पर पृष्ठभूमि सामग्री दी थी।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जाति-भेद सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ की गोष्ठी में भाग लेने वाला भारतीय प्रतिनिधि मन्डल

545. श्री प्र० रं० ठाकुर :
श्री सिद्दय्या :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हाल ही में हुई जाति-भेद सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ की गोष्ठी में भाग लेने वाले सरकारी भारतीय प्रतिनिधि मन्डल में अल्प संख्यक

जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कोई भी प्रतिनिधि नहीं लिये गये थे और न ही उन्हें इस गोष्ठी में भाग लेने तक के लिये निमन्त्रित किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस भारतीय दल में देश की जनता की विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(घ) संसद तथा राज्य विधान सभाओं के उन सदस्यों के नाम क्या हैं, जिन्हें इस दल में शामिल किया गया था अथवा गोष्ठी में भाग लेने के लिये निमंत्रित किया गया था तथा उनका किन-किन राजनीतिक दलों से सम्बन्ध था तथा वे किन-किन अल्प संख्यक तथा दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे;

(ङ) क्या इस सम्मेलन में भाग लेने तथा अपने विचार व्यक्त करने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसी सदस्य को औपचारिक रूप से इस गोष्ठी के लिये आमन्त्रित किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) मेजवान के रूप में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भारत सरकार से कहा था कि वह सरकारी अधिकारियों में से अथवा ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से जिनके कार्य अथवा गतिविधियां इस गोष्ठी की विषय-वस्तु से ताल्लुक रखती हों, एक मुख्य सहभागी, चार सहभागी और 5 वैकल्पिक सहभागी नामजद करे जिनकी पुष्टि जरूरी होगी। चूंकि यह एक गोष्ठी मात्र थी, कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं इसलिये सरकार ने मुख्य सहभागी को छोड़कर बाकी सभी लोग शिक्षाविदों और अधिकारियों में से ही नामजद किए।

(ख) भारतीय सहभागियों ने जो योगदान दिया उसमें जातीय भेदभाव के प्रति देश की सामान्य विचारधारा को ही गोष्ठी में पूरी तरह अभिव्यक्ति दी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) कोई नहीं।

(च) गोष्ठी के प्रक्रिया नियमों के अनुसार इस विचार-विनिमय में उनको छोड़कर कोई भी व्यक्ति भाग नहीं ले सकता था जो निमन्त्रण देने वाली सरकार द्वारा नामजद किये गये थे और जिनकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा की जानी थी या जो आमन्त्रित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मनोनीत किये गये थे अथवा जो विशिष्ट एजेन्सियों के प्रतिनिधियों द्वारा आमन्त्रित किये गये थे।

सैनिक कृषि फार्म

546. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न सैनिक कृषि फार्मों के नाम क्या हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में इनमें से प्रत्येक फार्म में कितने कर्मचारी तथा अधिकारी कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या ये सभी कर्मचारी सैनिक कर्मचारी हैं अथवा इनमें असैनिक भी हैं;

(घ) बाहर से भर्ती का क्या तरीका है; और

(ङ) इन फार्मों के कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या कितनी है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ) : आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार समितियां

547. श्री जुगल मण्डल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** 31 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2016 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अधीन सलाहकार समितियों के बारे में सूचना प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क), (ख) और (ग) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत सलाहकार समितियों के बारे में जानकारी अभी एकत्र की जा रही है। आशा है पूरी जानकारी शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी और सदन की मेज पर रख दी जाएगी। विलम्ब के लिए खेद है।

फिल्मों का प्रदर्शन

548. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** 28 अगस्त, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ फिल्मों के प्रदर्शन के बारे में इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह को छोड़कर।

(ख) इन फिल्मों को सारे भारत में प्रदर्शन के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई हैं। "ईवनिंग इन पैरिस" फिल्म को छोड़कर, जिसका प्रदर्शन कुछ समय के लिए पंजाब और अगरतल्ला कस्बे में रोक दिया गया था, अन्य फिल्मों का प्रदर्शन किसी भी राज्य में नहीं रोका गया।

"परिवार" नामक फिल्म को छोड़कर जिसे जम्मू और काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में विभिन्न अवधियों के लिए मनोरंजन कर से छूट दी गई थी, किसी अन्य फिल्म को मनोरंजन कर देने से छूट नहीं दी गई।

(ग) प्रशासक, लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह, कोजीकोड ने अनुस्मारकों के बावजूद भी अभी तक जानकारी नहीं भेजी है।

तुलीहार हवाई अड्डे के लिये अर्जित भूमि का मुआवजा

549. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में तुलीहार हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अर्जित की गई भूमि का मुआवजा सरकार ने दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम भुगतान करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) : अवार्ड की कुल राशि कलेक्टर के पास जमा कर दी गई है, जिसमें से ख्याल है, 3,50,251.56 रुपये दावेदारों को अदा कर दिये हैं और 1,43,398-14 रुपये लैंड एक्वीजीशन एक्ट की धारा 31(2) के अन्तर्गत न्यायालय में जमा कर दिए हैं। 33,979.54 रुपये की एक और राशि अभी कलेक्टर द्वारा अदा की जानी है। इस राशि की अदायगी में विलम्ब का कारण है दावेदारों द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाना और कुछ हालतों में दावेदारों की अप्राप्यता।

आपात कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारी

550. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के लिये सेना से सेवा-मुक्त किये गये आपात कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों की सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(ख) सेवा-मुक्त हुए इन अधिकारियों को रोजगार देने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ऐसी जानकारी दी है कि उसने ऐसे किन्हीं अधिकारियों को नौकरी दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मनीपुर राज्य के 7 ई० सी० ओज विमुक्त किए गए हैं।

(ख) से (घ) : सूचना प्राप्त की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

मनीपुर में प्रदर्शन के बारे में समाचार का प्रसारण

551. श्री मेघचन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने मनीपुर की जनता द्वारा किये गए उस विशाल प्रदर्शन का समाचार प्रसारित नहीं किया, जो मनीपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने उद्देश्य से 21 और 22 अक्तूबर, 1968 को किया गया था, जब केन्द्रीय सरकार के कुछ मंत्री इम्फाल और योइरांग में थे;

(ख) क्या आकाशवाणी के अधिकारियों को कोई ऐसे निर्देश दिये गये थे कि वे उस प्रदर्शन तथा मनीपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जनता की इच्छाओं के बारे में समाचार प्रसारित न करें; और

(ग) यदि हां, तो 22 अक्तूबर, 1968 को आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन में समाचार को प्रसारित न किये जाने के क्या कारण थे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। समाचार 21 और 22 अक्तूबर को इम्फाल से प्रादेशिक बुलेटिनों में और 22 अक्तूबर, 1968 को दिल्ली से केन्द्रीय बुलेटिनों में प्रसारित किया गया था।

(ख) और (ग) : सवाल नही उठते।

पाकिस्तान द्वारा "अयुद्ध समझौता" की पेशकश

552. श्री जुगल मंडल :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री देवेन सेन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के प्रेजिडेन्ट के हाल के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने भारत के साथ सशर्त "अयुद्ध समझौता" करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस विषय का अध्ययन कर रही है।

ताशकन्द करार

553. श्री रा० बरुआ :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताशकन्द करार के विभिन्न उपबन्धों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में आगे कुछ प्रगति हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस करार को क्रियान्वित करने के लिये सरकार रूस से, जिसके तत्वावधान में यह करार किया गया था, मध्यस्थता करने का अनुरोध करेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अक्तूबर, 1967 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूर-संचार करार पर हस्ताक्षर होने के बाद से ताशकन्द घोषणा की क्रियान्विति में और कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ख) सोवियत संघ को तथा दूसरे मित्र देशों को भी भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को शनैः शनैः सामान्य करने की सरकार की निरन्तर कोशिशों के बारे में तथा अब तक पाकिस्तान की जो नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है उसके बारे में पूरी तरह सूचित रखा जाता है। ताशकन्द घोषणा में द्विपक्षीय बातचीत की व्यवस्था है किसी तीसरे देश द्वारा मध्यस्थता की नहीं।

भारतीय सैनिक अकादमी में दाखिला

554. **श्री शिवपूजन शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री, 21 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 584 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सैनिक अकादमी तथा अल्प कालिक सैनिक सेवा कमीशन में प्रवेश के लिए तीन वर्ष के इंजीनियरी से डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा को भी, जिसमें मैट्रिक के बाद दो वर्ष लगते हैं; स्वीकार किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) : त्रिवर्षीय इंजीनियरी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पहले वर्ष की परीक्षा को मान्यता देने का प्रश्न कि जिसकी प्रविष्टि के लिए कम से कम अर्हता है उच्चतर माध्यम परीक्षा में उत्तीर्णता, विचाराधीन है। इस समय इंजीनियरी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पहले वर्ष की परीक्षा भारतीय सैनिक अकादमी या अल्पकालीन सेवा कमीशनों के लिए अफसरी प्रशिक्षण स्कूलों की प्रविष्टि के लिए मान्य नहीं है।

Clash of Army Personnel with Jhonpri dwellers near Poona

555. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6313 on the 28 th August, 1968 regarding clash of Army Personnel with Jhonpuri dwellers near Poona and state :

(a) whether Government have since received the report of the Court of Enquiry which was ordered to investigate the incident ;

(b) if so, the main recommendations thereof ; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) : The report of the Court of Inquiry has been received. The findings of the Court of Inquiry disclose that although

adeqate evidence to prove their complicity is not forthcoming, 12 other ranks have been challaned by police for causing an affray on the basis of identification by local civilian personnel. On examination of the findings of the Court of Inquiry, the supperior Military authorities have taken the view that the civil proceedings should continue in the case of these persons. The Court of Inquiry has also found 15 additional other ranks implicated in the affray. Suitable disciplinary action is being taken against them.

The local Area Commander is examining the question of removal of laxity in discipline which made the affray possible and is also considering the punishment to be awarded to the persons mainly responsible for the laxity.

उत्तर वियतनाम में अमरीकी बमबारी को रोका जाना

556. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने उत्तर वियतनाम पर बमबारी बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) समझौता करवाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार अमरीकी सरकार के इस कदम का स्वागत करती है। यह इसके अनुरूप है, जिसके लिये भारत सरकार काफी समय से कहती आई है।

(ग) समस्या का शांतिपूर्ण हल करने की दिशा में सहायता देने के विचार से भारत सरकार राजनयिक सूत्रों के माध्यम से सम्बद्ध पक्षों से निकट सम्पर्क बनाए हुए है।

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय राष्ट्रजन

557. **श्री अंकिनीडू** : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में भारतीय राष्ट्रजन बिना किसी प्रकार की औपचारिक अदालती कार्यवाही के पाकिस्तान की जेलों में नजरबन्द हैं;

(ख) भारत सरकार ने उन्हें छुड़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) और (ग) : इस बारे में सरकार के पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है। पाकिस्तान सरकार उन भारतीय राष्ट्रिकों के बारे में सूचना नहीं देती जिन्हें पाकिस्तान में

बिना मुकद्दमा चलाये रोका जाता है। सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान से बार बार कहा है लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है।

Himalayan Mountaineering Institute

558. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the annual expenditure being incurred on the Himalayan mountaineering Institute, Darjeeling;

(b) the details of the reasercch work done so far by the said Institute;

(c) whether it is a fact that Accountant General, West Bengal, has submitted a very strong report against this Institute; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) The annual expenditure incurred on the Himalayan Mountaineering Institute Darjeeling during the last three years was as follows :—

1966-67	Rs. 6,19,990
1967-68	Rs. 6,02,526
1968-69	Rs. 5,84,015

(b) The Doctor (Physiologist) atteched to the Institute is primarily responsible for checking up physical fitness of the stndents before their admission to the Institute and also to provide medical cover to them while on the courses. During the off period he undertakes Physiological Research work.

Following the reseach projects have been completed at the Institute :—

(i) Study of climbing efficiencies of three groups people—mountaineers. hill-men and inhabitants of the plains;

(ii) Study of Respiratory metabolism and efficiency of climbing of different groups of ladies (mountaineers and non-mountaineers).

(iii) Experiments on the effect of load and speed in high altitude climbing;

(iv) Assessment of physical fitness of Sherpas;

(v) Assessment of Basal Metabolic Rate of the local people.

(c) and (d) : When certain irrigularities came to the notice of the Secretaries, the Accountant General, West Bengal was asked to undertake a special audit of the accounts of the Institute for the last five years. On receipt of the report of the special audit, a Committee comprising an Officer each from the Ministry of Defence, Controller General of Defence Accounts, and the Government of West Bengal, was set-up, and action is being initiated against those responsible for the irregularities.

मैसर्स कूपर एलन एण्ड कम्पनी

559. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूपर एलन एण्ड कम्पनी को प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसमें कोई कठिनाइयां आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं; और उन पर काबू पाने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) तथा (घ) : अन्य मंत्रालयों से सम्बन्धित कई पहलू हैं, जो इस विषय में रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्णय से संगत हैं। मामला इन मंत्रालयों के सलाह मशविरे सहित विचाराधीन है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इण्डियन रेयर अर्थस्, लिमिटेड बम्बई की सरकार द्वारा समीक्षा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) इण्डियन रेयर अर्थस् लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इण्डियन रेयर अर्थस् लिमिटेड, बम्बई, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 2064/68]

प्रेस परिषद् (संशोधन) नियम और प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर किये गये निश्चय दर्शाने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रेस परिषद (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 7 सितम्बर,

1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 1604 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) वृत्त चित्रों तथा समाचार-दर्शनों के विषय में प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति की तीन अतिरिक्त सिफारिशों पर किये गये निश्चय दर्शाने वाले तीसरे विवरण की एक प्रति ।
[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2065/68]

बाढ़ की स्थिति के बारे में विवरण

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2066/68]**

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

38 वां प्रतिवेदन

श्री व० के० खाडिलकर : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 38वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मंत्रि–परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव–जारी
MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS-Contd.

[अंतर्बाधा]

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): अध्यक्ष महोदय हम इस सम्पूर्ण समस्या पर अधिक से अधिक सहानुभूति और समझ के साथ विचार करना चाहते हैं । तथापि कुछ माननीय सदस्यों का अपनाया गया रुख इसमें सहायक नहीं है । यद्यपि अविश्वास का प्रस्ताव सामान्य विषयक था, परन्तु चर्चा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगों और हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर सरकार के दृष्टिकोण तक ही सीमित रखी गई है । यह एक गम्भीर बात है, और इससे हम सबको बहुत चिन्ता हुई है ।

कल मेरे सहयोगी गृह-कार्य मंत्री ने उठाई गई बातों का उपयुक्त उत्तर दिया । **[अन्तर्बाधा]**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) । गृह-कार्य मन्त्री का समर्थन न कीजिये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहती हूं ।

Shri Rabi Ray (Puri): Mr. Speaker, I would submit that the Home Minister replied to none of the points raised here. We are not prepared to hear the plantitudes of the Prime Minister. Twelve persons were killed, 12,000 persons are on the road. First and foremost we want to know whether suspension orders are going to be withdrawn whether victimisation of employees is going to be atopped or not. Let reply to these points before proceeding any further.

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रधान मन्त्री को सुना ही नहीं है। उन्हें अपनी बात कहने तो दीजिये।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : उन्हें पहले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में अपना निर्णय घोषित करना चाहिये।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : हम लगभग 10,000 कर्मचारियों के बारे में स्पष्ट उत्तर चाहते हैं, जिन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं और नौकरी से निकाला जा रहा है। शेष बातें हम इसके बाद ही सुनेंगे। [**अन्तर्बाधा**]

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : पहले प्रधान मंत्री यह बतायें कि क्या वे मुअत्तली आदि के आदेश वापस लेंगी अथवा नहीं। [**अन्तर्बाधा**]

श्री उमानाथ (पुदूकौटै) : कल श्री चव्हाण ने अपने भाषण के अन्त में कहा था कि कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही वापस नहीं ली जायेगी। उनके प्रधान मन्त्री होने के नाते हम यह जानना चाहते हैं कि इस बारे में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है। वे अपने तर्क बाद में रखें।

अध्यक्ष महोदय : दो दिन से चर्चा हो रही है। प्रधान मन्त्री को उत्तर देने का अधिकार है। वे क्या कहेंगी और किस ढंग और क्रम से अपनी बात कहेंगी, मैं इसकी गारन्टी नहीं दे सकता हूं। यदि किसी बात का उत्तर नहीं आता है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री गुप्त को भी उत्तर देने का अधिकार है। [**अन्तर्बाधा**]

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : कल श्री चव्हाण ने कर्मचारियों को तंग किये जाने के बारे में बहुत उत्तेजक भाषण दिया। इस सभा में और सारे देश में उत्तेजना फैली हुई है। प्रधान मन्त्री ने उनके वक्तव्य का समर्थन करके स्थिति को और खराब कर दिया है। [**अन्तर्बाधा**]

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों को नियम मालूम है, यदि आप प्रधान मन्त्री को नहीं सुनना चाहते हैं, तो मेरे पास उत्तर देने के लिये श्री कंवर लाल गुप्त से कहने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह जाता है। [**अन्तर्बाधा**]

अध्यक्ष महोदय : मेरी प्रार्थना है कि आप सब बैठ जायें। मैं एक समय में एक सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकता हूं। [**अन्तर्बाधा**]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री चव्हाण ने 14 सरकारी कर्मचारियों की हत्या की है। 12,000 कर्मचारियों को सताया जा रहा है। जब तक हमें इसका उत्तर नहीं दिलाया जाता, हम उन्हें आगे बोलने नहीं देंगे। **[अन्तर्बाधा]**

Shri George Fernandes (Bomday-South) : Let her go back to convene a meeting of the Cabinet and then give a statement here. Let the Prime Minister give the contents of her letter to Shri Morarji Desai and Shri Chavan.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अब चर्चा लगभग पूर्ण है और गृह-कार्य मंत्री विस्तृत उत्तर दे चुके हैं। तीन-चार मुख्य बातें हैं, जिनके बारे में सारा देश और सदस्य चिंतित हैं। सारी बातों को दोहराने में समय बरबाद करने से कोई लाभ नहीं। प्रधान मन्त्री केवल इन बातों के बारे में स्पष्टीकरण दें।

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : कल गृह-कार्य मन्त्री ने उत्तर दिया कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरे पास तार आये हैं कि अब भी कर्मचारियों को मुअत्तल किया जा रहा है। इधर प्रधान मन्त्री बोल रही है और दूसरी ओर मुअत्तली जारी है। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या वे इस बारे में पुनर्विचार करेंगी और मुअत्तली के आदेश वापस लेंगी। **[अन्तर्बाधा]**

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : हड़ताल और उससे सम्बन्धित घटनाओं के बारे में गृह-कार्य मन्त्री विस्तृत उत्तर दे चुके हैं। प्रधान मन्त्री को केवल यही स्पष्टीकरण देना है कि मुअत्तली, बर्खास्तगी और सेवा में व्यवधान आदि बातों के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है। वे प्रधान मन्त्री हैं, इस बारे में स्पष्ट उत्तर दें। अन्य बातों पर बाद में चर्चा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या मैं प्रधान मन्त्री को किसी विशेष ढंग से भाषण देने के लिये बाध्य कर सकता हूं। क्या मैं किसी विशेष ढंग से भाषण देने के लिये श्री राममूर्ति अथवा श्री डांगे को कह सकता हूं? क्या मुझे ऐसा अधिकार है? **[अन्तर्बाधा]**

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हम उत्तर देने के प्रधान मन्त्री के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। कल हमें बताया गया कि सरकार सामान्य स्थिति लाना चाहती है। श्री कृपालानी और श्री दांडेकर ने कहा कि हमें पिछली बातों को भूल जाना चाहिए। प्रधान मन्त्री को इस मूल प्रश्न की ओर ध्यान देना चाहिये। सभी जानते हैं कि सामान्य स्थिति लाने के लिये क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। मुख्य प्रश्न कर्मचारियों के तंग किये जाने को रोकना, मुकदमों को रोकना और जांच के आदेश देने का है। हम उन बातों के बारे में उत्तर चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रधान मन्त्री से यह नहीं पूछ सकता कि वे क्या कहने जा रही हैं यह एक गलत परम्परा होगी यदि मैं किसी सदस्य अथवा मन्त्री से किसी विशेष प्रकार से बोलने के लिये कहूं। उन्होंने आप सबकी बातें सुनी हैं, आप शांत होकर उन्हें सुनें और देखें

कि वे आपके द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर देतो हैं या नहीं। यदि कोई शोर हुआ, तो मैं श्री कंवर लाल गुप्त से उत्तर देने के लिये कहूंगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अध्यक्ष महोदय मैंने पहले यह कहा था कि विभिन्न बातों के बारे में मेरे सहयोगी गृह-कार्य मन्त्री उत्तर दे चुके हैं। इस बीच ही यह शोर आरम्भ हो गया है। इससे यह स्पष्ट है कि इन गम्भीर मामलों पर कितनी कम गम्भीरता से सोचा जाता है.......... [अन्तर्बाधा]

श्री उमानाथ : क्या आप गंभीर हैं ? [अन्तर्बाधा]

कुछ माननीय सदस्य : मुअत्तली रद्द करो। कर्मचारियों को वापस लो। मुकदमें वापस लो। [अन्तर्बाधा]

श्री उमानाथ : मुअत्तली रद्द करो। सभी मुकदमे वापस लो।

कुछ माननीय सदस्य : न्यायिक जांच कराओ। [अन्तर्बाधा]

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके आप सब बैठ जाइये। आप सबने खड़े होकर बोलना शुरु कर दिया। दल का एक नेता बोल सकता है। यदि एक व्यक्ति बोलेगा तो बाकी सज्जन सुन सकेंगे। [अन्तर्बाधा] आप अध्यक्ष से क्या चाहते हैं ? [अन्तर्बाधा] दीर्घाओं में बैठे सभी दर्शक हमें देख रहे हैं। सारा विश्व हमें देख रहा है। [अन्तर्बाधा]

श्री जि० सो० बिस्वास : स्त्रियों को नग्न किया गया और उन्हें तंग किया गया... [अन्तर्बाधा]

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) ; यहां शोर मचाकर हम कर्मचारियों के तंग किये जाने को नहीं रोक सकते। इसके लिये सरकार और विरोधी दलों के नेताओं के बीच बातचीत होनी चाहिए।

श्री उमानाथ : श्री चव्हाण ने कहा है कि अन्तिम निर्णय कर लिया गया है।

श्री जी० भा० कृपालानी : कोई निर्णय अन्तिम नहीं होता। यह हम पर निर्भर करेगा, लेकिन उन्हें बोलने देना चाहिए।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण) : हम एक ही बात को बार-बार नहीं सुनना चाहते हैं। [अन्तर्बाधा]

श्री जी०भा० कृपालानी : मैं समझौता चाहता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों और सरकार ने गलती की। सरकार पुलिस को दोष नहीं दे सकती है और जो भी पुलिस करती है, उसके लिये सरकार जिम्मेदार है। लोकतन्त्र में न तो गृह मन्त्री और न ही प्रधान मंत्री की बात अंतिम होती है। विरोधी पक्ष के भी कुछ अधिकार होते हैं, जिन्हें हम अधिकारियों से बातचीत करके प्रयोग करेंगे न कि यहां चिल्लाकर।

श्री जि० मो० बिस्वास ; वे यह वचन दे दें।

श्री नाथ पाई : वे कह दें कि बातचीत करने के लिए सहमत हैं। [अन्तर्बाधा]

अध्यक्ष महोदय : हमें एक वरिष्ठ सदस्य की सलाह माननी चाहिये।

श्री नम्बियार : या तो वे सभी मामले वापस लें अन्यथा हम लोकतन्त्र का यह नाटक नहीं चलने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे सभा की कार्य-वाही नहीं चलने देंगे। अब मैं श्री कंवर लाल गुप्त से उत्तर देने की प्रार्थना करता हूं।

[अन्तर्बाधा]

श्री उमानाथ : जब तक हमें प्रधान मन्त्री से उत्तर नहीं मिलता कि मुअत्तली के सभी आदेश रद्द किये जायेंगे और सभी मुकदमें वापस लिये जायेंगे, हम सभा की कार्यवाही आगे नहीं चलने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जायें। इस सभा में कोई प्रक्रिया होनी चाहिये। मैं 15 तारीख को सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक बुला रहा हूं, उसमें सभी दलों के नेता होंगे। इस सभा की कार्यवाही ठीक प्रकार चलनी चाहिए। इस सभा की पवित्रता को बनाये रखना चाहिए। अब एक बजा है। सभा 2 बजे समवेत होगी। इस एक घण्टे में आप इस बारे में सोचें। यह सभा सारे देश की है, सभी दलों की है, हमें इसकी पवित्रता को बनाये रखना चाहिए।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म.प. तक के लिये स्थगित हुई

The Lok-Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजे म.प.पर पुनः समवेत हुई

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at fourteen of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Speaker** *in the Chair* }

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार का वातावरण है, मैं नहीं समझती कि मेरे प्रयास करने का कोई लाभ है, मुझे कुछ कहना था, परन्तु मुझे दोबारा सोचना है कि मैं इस वातावरण में वे बातें कहूँ या नहीं। क्यों कि डराकर हमसे कोई बात नहीं कहलाई जा सकती है। [अन्तर्बाधा]

श्री उमानाथ : डराने धमकाने का प्रश्न नहीं है, हम हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इस बात को नहीं मानती कि ये कुछ लोग हजारों सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने भी उनके साथ सम्पर्क बनाया हुआ है।

श्री उमानाथ : आप लोग सरकारी कर्मचारियों को मार डालने में दिलचस्पी लेते हो।

Shri Prem Chand Verma : We will not allow them to speak. They have also stopped our leaders from speaking.

अध्यक्ष महोदय : हम यहां सुनने के लिए बैठे हुए हैं अतएव जब कोई बोलता है तो दूसरे को सुनना चाहिये।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं अपने दोस्तों से प्रार्थना करूंगा कि वे विरोधी पक्ष जैसा व्यवहार न करें। सभा में इस प्रकार व्यवहार शोभा नहीं देता।

अध्यक्ष महोदय : अगर दोनों पक्ष एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते तो हमारा यहां बैठने का क्या तात्पर्य है ?

श्री राममूर्ति (शिवकाशी) : अभी कुछ समय पहले आपने विपक्षी दलों के नेता और संसदीय मामलों के मन्त्री को यहां बातचीत के लिए बुलाया था, मुझे आशा थी कि प्रधानमंत्री उसके बाद उत्तेजनात्मक वक्तव्य नहीं देंगी, मुझे आशा है कि डा० रामसुभग सिंह प्रधान मन्त्री को इस भावना के बारे में बताएंगे। बैठक के बाद में ज्योंही इस सभा में आया त्योंहि यह वाद विवाद उठ खड़ा हुआ।

अध्यक्ष महोदय : डा० रामसुभगसिंह प्रधान मन्त्री को बातचीत के बारे में बताएंगे तब तक श्री कवरलाल गुप्त को हम सुनें।

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : It will not be a good tradition if Prime Minister does not express her views. It is my request that the Prime Minister should forget what has happened and give top priority to the interests of Government employees. I will also ask my colleagues of opposition parties to exercise restraint while making speeches. It is not a healthy tradition that no one is allowed to speeak in the House. I will request the Prime Minister to behave as a leader of the house.

Shrimati Indira Gandhi : Had Shri Vajpayee said it before, it would have been better.

श्री म० ला० सोंधी : आपको न्यायिक जांच करानी होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को बोलने या न बोलने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। मेरी तो प्रार्थना यह है कि इस संसद की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आये यह एक ऐसा मंच है जहां हम सब अपने विचारों को प्रकट करते हैं।

श्री चं० चु० देसाई : तब यह वाद-विवाद कल उठाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अविश्वास प्रस्ताव पर वादविवाद कल तक के लिए कैसे टाला जा सकता है ।

Shri Kanwar I al Gupta : To-day it has been cleared that the emotions of the people over the strike of Government employees are very agitated. It would have been good if the emotions are expressed in decorum form. We want to express our anger in a constitutional way.

Mr. Spe ker, there is anger in every house of 21 lakhs employees. I want to inform Mr. Chavan that the employees were physically present in the offices but their souls were outside.

It is a matter of great regret that the Government close their eyes when any problem comes before them. This is very regrettable. I did not like what has happened today. May be a Majority of outsiders do not like this. But what is the answer of this question to the 26 lakhs employees who are dying of hunger. After all what is their demands. Their demand is full neutralisation. Full neutralisation means that the value of their salary should be same as was in 1947. They want that their salary should not be reduced. Why you do not see the soaring prices which are prevalent these days. Why you want to reduce their salary. You see that there are crores of people who cannot expect sufficient meals from you. If you cannot make arrangement for them then you should see the way to which direction the wind is blowing. If such a situation continues then what has happened in the house will take place in every assembly and very parts of the country. I understand that you are worried over this, but it is only concerned do maintain your chair. You should take this as warning. Unless the Government do not improve the economic condition of the people, this situation cannot be improved.

I have a great respect for Mr. Masani and Mr. Ranga. But I want to tell Mr. Masani that by sitting in a airconditioned room and by moving in cars, the lots of the people cannot be improved. If they want to improve the lots of people, they should go to the farmers and poor people. I am sorry that Mr. Chavan told that he would handle this matter firmly. But Mr. Chavan is only firm with his own people. I want to ask Mr. Morarji Desai that what he is doing in Nagaland. Those people, who have formed Government against us and issued President's order and ordinances. Come here and have discussion with the Prime Minister. I want that the Government should be firm with them. But this firmness is only upto tne Government employees. What is happening in Mizo districts ? Sheikh Abduallah is speaking against India in Kashmir. But the Government cannot do aginst them. It will be better if Government express sympathy with their own employees and handle the outsiders and enemies with firm hands. I want to read a resolution before you.

"यह सभा आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता के दृढ़ संकल्प की पुष्टि करती है कि भारतवर्ष की पवित्र भूमि से आक्रमणकारियों को निकाल दिया जायेगा । चाहे यह संघर्ष कितना लम्बा और कठिन क्यों न हो ।"

This resolution was adopted in 12th November, 1962, Seven years have lapsed but nothing has been done so far. I want to see where is the firmness of the Government.

What has happened in the Indraprastha Estate. In the words of Mr. Sondhi thousands employees were arrested and lathi charged.

Such a thing has never happened in the history of world. I have got photographs in which the policemen are shown beating the employees. It is the firmness of the Government ? There is a differences of opinion in respect of the Section 16 of the Constitution of J. C. M. The Government think that the need based minimum wages does not come under this Section whereas the Government employees think that it comes under it. Both the parties do not agree. As such the Home Minister should have referred this question to the supreme Court to know whether this comes undar arbitration or not.

As has been told that the representatives of Government employees said that they bring their demands after amending it. The hon. Home Minister said that they never said anything of this type. If this is correct then why Mr. Chavan did not say before the leaders of Government employees that he had stated such a thing before the representative of the Government employees. The Government have never indicated how far they have gone in this matter.

I am sorry that the Prime Minister had not handled the strike in the appropriate manner. She just disposed of it light heartedly. And then she want away to Latin America. How far it is justified that when there are many problems before the country, the Prime Minister should go abroad. I am sorry that the hon. Prime Minister and Mr. Chavan have not made any statement on it.

Mr. Chavan has stated that the norms of the need based minimum wage have not been fixed. The pay Commission is of the opinion that it involves huge amounts which are not available may be correct, but the Government employees ask to refer the case to National Commission, that also is not agreeable by the Home Minister. He was not ready even to talks on this subject.

The first demand of the Government employees is for full neutralisation and the second one is that the question of needbased minimum wage should be referred to for arbitration. They said that legal advise should be taken in this matter whether that question can be sent for arditration or not, But the Government did not agree with this.

Gandhiji had stated that Satyagraha should be adopted if the matter cannot be solved through arbitration and negotiation. I want to ask my friends how did they solve the problems which they had faced. If the same methods are adopted by the Government employees then why do you complain. The Government employees are helpless. They say that legal advice should be taken in this matter but the Government is not prepared for it. What is the alternative if they do not resort to agitation,

It is said that frequent bringing of no confidence motion is to make Joke of it. But this fact is that no other Governments in the world commit so much misdeads as this Government do.

The country cannot progress unless the condition is improved. The average income of landless labourers in India come to Rs. ten or twelve monthly. This is one side of the picture, On the other hand the report of the Monopoly Commission says that Tatas have got 417.72 crores Rupees Birla has got 292.72 crores rupees and Martin Burn has got 150 crores rupees. Is there any comparison between rupees ten. which a labourers gets monthly and rupees four hundred crores. This all has happened after the congress came into power. The Government shoul slogans of Socialism. The Congress had promised in the all India Congress Committees' Meeting that they will give need based minimum wages by 1975.

श्री नम्बियार : माननीय मन्त्री महोदय श्री गोविन्द मेनन सो रहे हैं।

श्री गोविन्द मेनन : मैं उनके आचरण पर सोच रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नही जानता कि वे सो रहे हैं परन्तु वे नाक नहीं बजा रहे हैं, अतएव यह सब ठीक है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Chavan has said that they want to stop strikes. He does not that the Government employees should strike. I also do not want that the Government employees should resort to strikes so frequently. But what the outlet the Government want to give them. You did not pay any leed to the advice of Joint Consultative machinery. I want that there should be such machinery in which decision may be taken to remove the grievances of the Government employees.

I want to say one thing about Jndicial enquiry. Mr. Chavan has stated that by judicial enquiry means an objective analysis of the incident. But the report of Deputy Commissioner fulfills all the requirements. But the Deputy Commissioner did not take the evidence of the police officer who took down the F. I. R. He even did not take evidence of those working girls who were beaten. Taking into consideration all these things, there must be judicial enquiry in this matter. I hope the Government will think over it.

Mr. Speaker, I want to ask why there is no judicial enquiry in this incident ? There are many issues which have not seen the light of the day, will come out when the Governnent decide to conduct judicial enquiry in other matters then why not they come forward in this matter. They are afraid of their guilty conscience. Because judicial enquiry will expose the crimes they have committed on Government employees. Mr. Speaker, the hon. Home Minister had admitted that Press Correspondents were assulted but the Deputy Commissioner had mentioned this in his report. The Congress always speak in two ways On one hand the Government says that they have full sympathy with the Government employees and on the other hand they issue circulars. I will quote one circular :

"अनुशासनहीनता, धमकी तथा हिंसा के लिए उसकाव के मामलों में जारी किए हुए अनुदेशों के आधार पर कठोर कार्यवाही की जाए"

I will also quote the circulars issued by the P& T.

'किसी अधिकारी के पदोन्नति, दक्षता-रोध को पार करने, विभागीय परीक्षा के समय विशेष गोपनीय रिपोर्ट में जो टिप्पणी की हुई हैं, उसको ध्यान में रखा जाए,"

श्री नम्बियार : यह स्थायी निन्दा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : This means that there will be no victimization. But these things will be taken into consideration at the time of increment, promotion or seniority. I will request to Mr. Chavan to be firm on one point. But I will say that it would have been better if these people were treated like family members.

My many friends have regarded it as a political stunt. Many have said that it was a rebearsal to create ararchy. Mr. Speaker. I assure this house that we will not do anything against this country. The Central Government employees are with us. We have

programmes and we go to the people. Whereas the Congress have no such programmes. Our party runs on constructive programmes.

Anarchy never comes in this way. It comes through dissatisfied, trustrated and disappointed people who will be crores in number. When you will not provide then any outlet then the anarchy will take place. You can suppress Government employees for the time being, because you have got police, military, ordinances and other black laws, but inspite of this you cannot suppress their emotions. It would have been better if Mr. Chavan had adopted a liberal attitude tow rds their employees. There was not an instance of looting, arson at the time of strike. All were peaceful. It does not mean that those who took part in the strike are disloyal to the Government. We will never advise them to be disloyal towards the Government. But those who took part in the strike cannot be regarded disloyol.

We want that the Centrel Government should remain firm. Every state should listen and act upon the advice of the Centre. The orders of the Government should not be violated. You should have taken advice of the Chief Minister of Kerala before sending the Central Reserve Police.

There are many industries, where salaries from Rupees two hundred to four hundred is given to their employees per month. According to Wage awards, there are minimum wages upto rupees two hundred in industries like Textile, Sugar, Coffee, Rubber. You ask Private Sector to give need based minimum wages to their employees. You compel them to act on this line. If the Government employees make such demands to you, then they are not doing any wrong. The principle of need based minimum wage was accep tedi n 1957. But till now nothing has been done in this direction.

Mr. Speaker, it is said that the Government have no money. But have you given any money to your employee without agitation by them. You set up Pay-Commission when they cried for it. If everything is left on the Government then they will never get need based minimum wage throughout their life.

The Congress Geveroment have created starvation, dis-satisfaction in the country. If such things are allowed to go on, this country will go to dogs. There are ten crores people in this country who draw less than rupees ten per monthas their salary. To day you are in power and being in majority you can get our no–confidence motion defeated. At last I will request you to reconsider this matter in a sympathetic way.

श्री हेम बरूग्रा : मैं चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत करने से पहले यह स्पष्ट करें कि.................

ग्रध्यक्ष महोदय : परन्तु ऐसा करने से अन्य सदस्य भी स्पष्टीकरण चाहेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप हमें बतायेंगे कि कुछ समय पहले आपके कक्ष में क्या बात हुई थी ? हमें उसके बारे में कोई जानकारी नही है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : सर्वश्री राममूर्ति, श्री ही० ना० मुकर्जी तथा श्री गोपालन वहां पर उपस्थित थे मुझे आशा है कि वे आपको उसके बारे में बतलायेंगे ।

अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मन्त्री परिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है।"

इस पर सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में 85, विपक्ष में 220

Eyes 85 Noes 220

तदानुसार प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was accordingly negatived

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक

REGISTRATION OF BRITHS AND DEATH BILL

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

गृह कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी, : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विनियमन और तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

सरकार जन्म तथा मरण सम्बन्धी आँकड़ों में सुधार करने की आवश्यकता पर बीस से अधिक वर्षों से विचार कर रही है। 1939 में केन्द्रीय स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड तथा 1945 में स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति ने इस बारे में विचार किया था। इस के बाद 1948 में भी एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। इन सब समितियों ने सर्व सम्मति से यह सुझाव दिया था कि जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से एक कानून बनाया जाना चाहिये।

कुछ राज्यों ने, जैसे मद्रास और पश्चिम बंगाल ने तो जन्म और मृत्यु का हिसाबकि-ताब रखने के लिये व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों ने भी वही तरीका अपनाया हुआ है। परन्तु अन्य राज्यों ने इस के लिये अपने नगरपालिका अधिनियम, पंचायत अधिनियम, चौकीदार नियमावली अथवा भू-राजस्व नियमावली में व्यवस्था की हुई है। क्योंकि लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिये योजना बनाने के वास्ते जन्म और मरण के आंकड़ों का पूर्ण रूप से रजिस्ट्रीकरण करना बहुत जरूरी है। इसलिये हमने यह महसूस किया है कि अखिल भारतीय आधार पर इस सम्बन्ध में एक समान कानून अवश्य बनाया जाना चाहिये, ताकि तुलनात्मक और समान प्रणाली हो सकें। अतः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार करें और उसका हृदय से समर्थन करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : Sir, though I do not disagree with this Bill but the form in which it has been presented does not achieve the object for which has been introduced. It appears that some injustice will be done to the ruralites with this Bill. There are some practical difficulties which may stand in their way. They may find it difficult to give information of birth or death as during those happenings there is an atmosphere of happiness or sorrow there. Secondly, in the Bill it has been laid down that the name of the child should be got registered at the time of his or her birth. My submission is that there should be a gap of atleast five or six years between the birth of the child and registration of name of the child because in our country it is difficult to give a name to the child soon after the birth. Similarly in the case of death the responsibility of registration should not fall on the relations of the deceased but it should fall on the doctor or vaid who attended him the last because in the case of death of a young persons relatives remain plunged in sorrow.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.* }

The most distressing point in this Bill is that Government employees, who are educated, shall be fixed Rs. 25 while the poor farmers of the villages. who are illiterate, will be fixed Rs. 50 for violating this law.

Therefore it is my humble submission that necessary amendments should be made in this Bill so that this and other lacunae in the Bill are removed.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : (सम्बलपुर) भारत एक गरीब देश है तथा यहां पर जन्म तथा मृत्यु पर औसतन बहुत खर्च होता है । अब हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे उच्चाधिकारी नियुक्त किये जायेंगे । दूसरे रजिस्टर न कराने वाले व्यक्ति पर जुर्माना किया जायेगा । इससे खर्च और बढ़ जायेगा ।

इसके अलावा इस विधेयक के कुछ उपबन्ध तो बहुत कठोर हैं । उदाहरण के तौर पर खण्ड 10 का उप खण्ड (३) जिसके अन्तर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, बहुत ही कठोर है ।

सब से महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन तो यह है कि देश में जन्म तथा मृत्यु का सही-सही हिसाब किताब रखा जाये तथा इस प्रयोजन को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि एकल प्रतिवेदन अधिकरण की व्यवस्था की जाये । परन्तु विधेयक के उपबन्धों से हमें पता चलता है कि अनेक व्यक्तियों को रिपोर्ट देने का अधिकार दिया गया है । इससे आंकड़ों में गलती हो सकती है । दूसरी बात यह है कि दो बार नाम रजिस्टर कराने से बच्चे के अभिभावकों को अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा । हमारे देश में प्रायः बच्चे का नामकरण संस्कार बच्चे के एक वर्ष या उसके भी बाद किया जाता है । इसलिये विधेयक में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि यदि निर्धारित अवधि में बच्चे का नाम दर्ज न कराया गया तो जुर्माना किया जायेगा ।

डा० रानेन सेन (बारासाट) : माननीय मंत्री ने इस विधेयक का उद्देश्य कुछ समय पहले बताया था । इसके उद्देश्य के बारे में ज्यादा आपत्ति तो नहीं की जा सकती, परन्तु इस में

दिये गये कुछ उपबन्ध आपत्तिजनक हैं, क्योंकि उसमें साधारण लोगों को परेशान करने की गुंजाइश है। अतः मैं आपत्तिजनक उपबन्धों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

सब से पहले मैं खण्ड 2 (1)(ग) लेता हूं। इस में भ्रूण-मृत्यु सम्बन्धी उपबन्ध शामिल किया गया है। यह उपबन्ध बिल्कुल उचित नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस उपबन्ध को शामिल करने से कौनसा प्रयोजन पूरा हो जायेगा।

इसके बाद मैं खण्ड 8(1) क) लेता हूँ। इस खण्ड में कहा गया है कि परिवार का सब से बड़ा वयस्क पुरुष जन्म या मरण की सूचना देगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सूचना सब से बड़ा वयस्क पुरुष ही क्यों देगा। किसी भी वयस्क पुरुष द्वारा सूचना दी जा सकती है। यह उत्तरदायित्व केवल उसी पर ही नहीं सौंपा जाना चाहिये। मान लो उसी की आयु 80 अथवा 90 वर्ष की हो। अतः उसे तंग क्यों किया जाए ? मुझे मालूम है कि सरकार का इस में कोई ध्येय नहीं है परन्तु मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक में से सभी त्रुटियों को दूर कर दिया जाना चाहिये ताकि साधारण व्यक्ति को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इसके उपरान्त मैं खण्ड 10 1) (ii) पर आता हूँ। इसमें कहा गया है कि "यह नगर-पालिका, पंचायत अथवा किसी अन्य स्थानीय अधिकार में मेहतर का यह कर्त्तव्य होगा।" मेरी समझ में यह नहीं आया कि "मेहतर" शब्द का उल्लेख क्यों किया गया है। क्या हमें यह समझ लेना चाहिये कि बहुत सी भ्रूण हत्यायें होंगी तथा कुछ छोटी-छोटी चीजें गलियों में फेंक दी जायेंगी तथा मेहतर को सफाई करते समय उनका पता लग जायेगा तथा उसे उसकी सूचना निकटतम रजिस्ट्रार को देनी होगी। मेरे विचार से नगरपालिका आदि ही नहीं, बल्कि और एजेंसियां भी इस में शामिल की जानी चाहिये।

इसके अलावा मेरा निवेदन यह है कि सूचना देने वाले व्यक्तियों के बारे में तो उपबन्ध है परन्तु सूचना देने पर होने वाले खर्च के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध होना चाहिये कि सूचना देने वाले व्यक्ति को बस अथवा गाड़ी भत्ता आदि दिया जायेगा।

इस विधेयक में ऐसे उपबन्ध भी हैं जिनमें लोगों को तंग किये जाने पर बचाया जा सके। एक उपबन्ध देरी से सूचना देने के बारे में है। उदाहरण के तौर पर खण्ड 13 (1) में देरी से सूचना देने की फीस का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार से इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अतः मेरा सुझाव यह है कि ऐसे उपबन्ध में ढील दी जानी चाहिये वरना देहाती लोगों को बहुत सताया जायेगा। देहातों में तो शहर की तरह श्मशान भूमि में मृत्यु आदि की सूचना दर्ज कराने का प्रश्न नहीं होता है। अतः इन उपबन्धों को उदार बनाया जाना चाहिये।

जैसाकि मैंने पहले कहा है खण्ड 24 के अन्तर्गत काफी भ्रष्टाचार हो सकता है। इस खण्ड में कहा गया है कि मुख्य रजिस्ट्रार इस सम्बन्ध में साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन किन्हीं दांडिक कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो, अथवा जिस पर अपराध करने का शक हो, ऐसे अपराध के लिए पचास रुपये तक ले सकेगा।

इस खण्ड के दूसरे भाग में लिखा है कि यह राशि दे देने पर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जायेगा और उस पर इस अपराध के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरे तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रख कर इस विधेयक में सुधार किया जाना चाहिये तथा एक ऐसा व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये ताकि देश के ऐसे लाखों लोगों में, जो अनपढ़ हैं और हमेशा भ्रष्टाचार आदि का शिकार बन जाते हैं। मृत्यु तथा जन्म के रजिस्ट्रीकरण के विचार को लोकप्रिय बनाया जा सके।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) मैं इस सदन में बहुत अर्से से हूँ तथा मैं विधेयक को पुरः स्थापित करने का हमेशा स्वागत करता रहा हूँ। परन्तु मैं समझता हूँ कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं हैं। यह विधेयक देश में जीवन की वास्तविकताओं से बहुत दूर है। इस विधेयक से तो देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे, मैं इस विधेयक का इसलिये भी विरोध करता हूँ क्योंकि इस विधेयक के पास हो जाने पर कई अधिकारियों को नियुक्त किया जायेगा और इससे नौकरशाही को बढ़ावा मिलेगा।

अतः मेरा सुझाव यह है कि यदि इस विधेयक को पास करना ही है तो इसे पहले प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ताकि इसमें सुधार हो सके। मैने सारे विधेयक को पढ़ा है और मैं यह समझ पाया हूँ कि उससे शहर में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में देहाती लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः जहां तक सम्भव हो इसे उनके लिये रूचिकर बनाया जाना चाहिये।

इस विधेयक में एक और त्रुटि यह है कि इसके द्वारा ऐसे लोगों को शक्ति दी जा रही है जो यह नहीं जानते कि उस शक्ति का अर्थ क्या है तथा जो उसका बहुत गलत इस्तेमाल करेंगे।

इस विधेयक में सभी प्रकार के तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं हैरान हूँ कि उसे रजिस्ट्रार कैसे समझ सकेगा। अतः इस विधेयक को लाखों लोग नहीं समझ पायेंगे और इससे हर घर को नुक्सान होगा। अतः में इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I stand to welcome this Bill. The object of this Bill is appreciable. This Bill should have been introduced long ago. This Bill should have been introduced in the first session of the first Parliament. Had it been introduced then our planning should not have been as defective, as it is to day. Sir, the object of this Bill has been described as follows :

> "The Central Government needs adequate and accurate countrywide registration data for purposes of national planning, organising public health and medical activities and developing family planning programmes."

Though this Bill has been introduced very late but even then it is all right. This work should be done very carefully because many things depend on the correctness of the age. For example, only persons attainning the age of eighteen years can exercise their votes in general elections. Similarly, the date of retirement is fixed on the besis of date of birth. Therefore it is very esssntial to keep the correct record of everyone.

Now, sir, I would like to draw your attention towards some of the clauses of this Bill. There is a provision in clause 3 of the Bill that the registrar General could interoduce general instructions in the areas where this Bill will be referred. I feel that such like legislations should be immediately enforced throughout the country.

Then in clause 8 and 10 the duties of the informers have been mentioned. The sweepers have also been included amongst such persons. I feel that these persons will have to face a lot of difficulties while going in the concerned departments for giving required information. I think that instead of it there should be a provision that information could be given throughly post. It will also be a good thing if sweepers are excluded from the list of informers.

I also want to say one things more. A large number of foreigners are coming into India for settlement. Most of the Indians are being uprooted from place to place. People have come from Burma and are coming from Africa. Therefore it is in the fitness of things to make arrangements for their registration also.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : इस विधेयक के अन्तर्गत गावों में प्रत्येक बालिग को चाहे वह पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़–रजिस्ट्रार या अन्य किसी अधिकारी को यह जानकारी देनी होगी। उन्हें सीधे खण्ड मुख्यालय जाने की अनुमति नहीं है। उन्हें तहसील या सब-डिवीजनल मुख्यालय जाने में बड़ी कठिनाई होगी। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के अन्तर्गत सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाये। इस विधेयक के खण्ड 27 में शक्तियों के प्रत्यायोजन का उपबन्ध है। इसलिये पटवारी, गांव के सरपंच या स्कूल अध्यापक को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाना चाहिये। उनकी सेवाओं का इस काम के लिये उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई पढ़ा-लिखा या अनपढ़ व्यक्ति डिवीजनल मुख्यालय या खण्ड मुख्यालय नहीं जाता है तो उसको सजा देने की बात सोची भी नहीं जानी चाहिये।

जहां तक खण्ड 15 का सम्बन्ध है पंजीयक का आदेश अन्तिम नहीं होना चाहिये। जिला पंजीयक या मुख्य पंजीयक या किसी अन्य उच्च अधिकारी के समक्ष अपील की व्यवस्था होनी चाहिये।

खण्ड 21 में पंजीयक द्वारा मांगी गई जानकारी न दिये जाने पर दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये।

खण्ड 23 में दण्ड का जो उपबन्ध किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। 50 रुपये जुर्माने की सजा ही पर्याप्त नहीं है। सजा ऐसी होनी चाहिये जिससे दोषी व्यक्ति को अपनी गलती दोहराने की हिम्मत न हो।

बहुत अधिक बार मुकदमे न हों, इस दृष्टि से यह सब खण्ड 24 के अन्तर्गत रख दिया जाना चाहिये।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मैं समझता हूं कि यह समाज-कल्याण से सम्बन्धित विधान है। यदि यह विधेयक इस इरादे से लाया गया है तो इसमें इतने अधिक दण्ड की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिये थी। कारण यह है कि हमारे देश में साक्षरता की दिशा में

पर्याप्त गति से प्रगति नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की प्रतिशतता बहुत ही कम है। इरादा यह है कि जन्म तथा मृत्यु के मामले दर्ज कराये जायें। इसलिये साक्षरता के द्वारा इस विधान का अच्छी तरह पालन कराया जा सकता है।

खण्ड 14 में शक्तियों के प्रत्यायोजन का उल्लेख है। नियम बनाने वाले निकाय को वही शक्तियां दी जानी चाहियें जिनकी विधान में उचित रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्हें ये शक्तियां देने का कोई कारण नहीं दिया गया है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया है कि कुछ खण्डों का दण्डनीय स्वरूप कैसे है। मैं उदाहरण देता हूं। गांव में लोगों को कुछ अधिकार दिये जाने पर वे कुछ गर्व सा महसूस करते हैं। छोटे से छोटा आदमी भी उसे महसूस करता है। इसलिये उन्हें अधिक शक्तियां सौंपे जाने से स्थिति कठिन हो जायेगी।

यदि इस विधान को इसी रूप में पास कर दिया जाता है तो लोगों को खूब परेशान किया जायेगा। क्योंकि सख्ती न बरती जाने पर यह विधान भी बाल-विवाह अधिनियम की तरह प्रभावहीन रहेगा। यदि इस विधान को कारगर बनाना है तो मन्त्री महोदय को इन दोषों को दूर करने के लिये इसमें संशोधन करना चाहिये।

श्री हिम्मतसिंहका : खण्ड 13 में जो उपबन्ध किये गये हैं, ग्रामवासियों द्वारा उन पर अमल करना कठिन होगा इस खण्ड में जन्म अथवा मृत्यु की सूचना देने के लिये समय-सीमा निर्धारित की गई है और विलम्ब हो जाने पर दण्ड की व्यवस्था की गई है। यदि यह सूचना देने में कुछ दिन की देरी हो जाये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अतः यह उपबन्ध अनावश्यक है।

खण्ड 14 की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि नाम जानना जरूरी है तो पोस्टकार्ड द्वारा या अन्य किसी तरीके से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

श्री पी० राममूर्ति : जन्म तथा मृत्यु के पंजीयन का काम मद्रास राज्य में बड़े अच्छे ढंग से किया जा रहा है। वहां पर इस प्रकार के सरकारी विधान को लागू करने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि यह एक समवर्ती विषय है। दिल्ली या अन्य पिछड़े क्षेत्रों में जहां यह काम ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है या उन राज्यों में जहां राष्ट्रपति का शासन है, सरकार यह काम अपने माध्यम से कराना चाहती है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

हमारे यहां संघीय शासनतन्त्र है। राज्यों के कार्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा निरन्तर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस विधान की कतई आवश्यकता नहीं है। यह विधेयक केवल कुछ नए पद उत्पन्न करने के अलावा और कोई उद्देश्य पूरा नहीं करता। यदि सरकार का इरादा विभिन्न राज्यों में इस काम के बारे में तालमेल स्थापित करना है तो मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुला कर इस बारे में विचार किया जा सकता है। यह बात तो समझ में आ सकती है। परन्तु सरकार इसके लिये तैयार नहीं है। वह तो अपनी विशेष व्यवस्था

करने पर तुली हुई है, परन्तु राज्यों के सहयोग के बिना यह व्यवस्था कैसे सफल हो सकती है।

जहां तक जन्म तथा मृत्यु के आंकड़े रखने का प्रश्न है राज्य भी इसमें रुचि रखते हैं। क्योंकि आय-कर आदि के वितरण में जनसंख्या के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है। समवर्ती विषय होने के नाते सरकार को राज्यों के परामर्श के बिना इस बारे में कोई पहल नहीं करनी चाहिये। केन्द्र तथा राज्यों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के लिये उनका परामर्श लेना बहुत जरूरी है।

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : This Bill will harrass the villagers in particular. It requires that a certificate should be obtained if the death has occured even in the Hospital. And you are well aware that these days in India, it is very difficult to get any certificate without greesing the palm of some-body although you have prescribed that the certificate will be issued without any change. Besides that, people seeking a certificate, will have to spend a day or so as also some money to come over to the concerned officer, and it will also be very likely that officer might not be in his seat or he might be on leave and so on. So there will be ample harrassment particularly to the village people in getting their name registered. Such a legislation, therefore, should not be brought. I want that this Bill may please be reffered to the Select Committee which may consider the difficulties of the people, particularly from villages.

***श्री चित्ति बाबू** (चिंगलपट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमिल-भाषा में बोलना चाहता हूं।

जब राज्य सरकार अपनी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जन्म तथा मृत्यु के पंजीयन का काम कर रही है तो इस समय इस प्रकार के विधेयक की कोई आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती। इस विधेयक का केवलमात्र उद्देश्य राज्य की शक्तियों को कम करना है। इससे यह प्रतीत होता है कि अब वह दिन दूर नहीं हैं जब केन्द्र स्थानीय बोर्डों तथा नगरपालिकाओं के काम में भी हस्तक्षेप करने लगे।

यह कहा गया है कि जन्म तथा मृत्यु के पंजीयन पर 10,000 रुपये खर्च होंगे। क्या कोई व्यक्ति 3000, 4000 रुपये से कम वेतन पर महापंजीयक का पद स्वीकार करने के लिये तैयार होगा। यह पद अपने किसी आदमी के लिए बनाया जा रहा है।

इस विधेयक से भाषा की समस्या भी पेश होगी। खण्ड 10(2) में दिया गया है कि राज्य के मुख्य पंजीयक को जन्म तथा मृत्यु की सूचना मेहतर द्वारा दी जायेगी। क्या मेहतर यह काम कर सकेगा? यह व्यवहार्य नहीं है।

खण्ड 8(घ) में दिया हुआ है कि शराब की दुकान का मालिक जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन करेगा। क्या ऐसी दुकान में जहां सब नशे में मस्त हों यह काम संभव है? कतई नहीं। मन्त्री महोदय ने कहा है कि स्वास्थ्य योजनाओं तथा परिवार नियोजन के लिये यह विधेयक जरूरी है।

*मूल तमिल में

सांख्यिकी विभाग पहले से ही है। क्या वह जन्म तथा मृत्यु के आंकड़े नहीं रख रहा है ?

मेरा निवेदन है कि केन्द्र तथा राज्य के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के लिए माननीय मन्त्री इस विधेयक को वापस ले लें।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I want to clarification with regard to this Bill. I want to know how will the Registration of the Children born illegitimately and later on admitted in Missionery School will be registered ? Also how will the gypsies e. g. the roaming black-smith tribes, beggers etc., will get their births and deaths registered.

There is no need to appoint a big machinery for the job of registering deaths and births since it can well be done by the Village Panchayats who keep a Register for all the families in the village. Whenever there is a death, the name of the deceased is struck off and in case of a birth the new name is registered therein. The Village Chowkidar collect such information and the Sarpanch sends these information to the concerned police station periodically. That is the best and simple way.

On the other hand, if the poor villager is asked to approach certain authorities in Tehsil etc. for getting necessary registration of births & deaths, he is sure to be harrassed by the dealing clearks etc. who, in greed of getting their palm greased, will put a number of excuses e.g. 'Sahib' is on leave or is not in his seat; you have come late and will be penalised ; and so on.

I, therefore, request for an amendment to this effect that in village the registration may be done at Panchayat level and Inspectors may be appointed at Tehsil level for varification of the facts by visiting the village Panchayats. Otherwise, it will be source of great incoevenience and harrassment to the poor innocent villagers if they are asked to go to Tehsils etc. for registration.

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : श्री दी० चं० शर्मा ने बड़ी दार्शनिकतापूर्ण बात कहते हुए कहा कि जन्म-मृत्यु दैविक बातें हैं तथा हमें इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। परन्तु देश इस प्रकार की दार्शनिकता के आधार पर नहीं चल सकता। जैसा कि मैंने आरम्भ में ही स्पष्ट किया था, स्वास्थ्य परियोजनाओं के आयोजन हेतु तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों हेतु इस विधेयक का होना बड़ा आवश्यक है। जन संख्या की समस्या भी सुलझानी होती है।

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक के कारण किसी को भी कुछ भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि प्रत्येक गांव में पंजीकार का कार्यालय खोला जायेगा तथा किसी को भी पंजीकरण हेतु एक मील से अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। लोग किसी भी समय जाकर पंजीकरण करा सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों में भी लोगों को ये सुविधायें उपलब्ध होंगी। वर्ष 1961 में हमने केन्द्र प्रशासित प्रदेशों तथा सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, उनका मत लिया था तथा हर राज्य में यह विधेयक प्रचारित किया गया था। सभी राज्यों ने इस बारे में अपनी सहमति दी है। अतः हम किसी राज्य के अधिकारों को नहीं छीन रहे हैं।

इस कार्य के लिये हम अतिरिक्त व्यय भी नहीं कर रहे हैं। इस कार्य के लिए कर्मचारी पहले से ही प्रत्येक राज्यों में है। परन्तु उनका कार्य सुनियोजित ढंग से नहीं चल रहा था। उसमें समन्वय लाया जायेगा तथा ऊपर से लेकर नीचे तक की कार्य-प्रणाली में सुधार किया जायेगा। इसके लिये केवल कुछ ही व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे तथा पहले से नियुक्त कुछ अधिकारियों को इस कार्य की देखभाल के लिये लगाया जायेगा। यही कारण है कि इस पर केवल 10,000 रुपये खर्च होंगे। इस हेतु महा-पंजीकार का नया पद भी नहीं बनाया जायेगा।

सभी प्रकार की गर्भ-मृत्युओं का पंजीकरण करना आवश्यक नहीं होगा। केवल मृत-प्रसवों का ही पंजीकरण होगा तथा उसके लिये भी हम सप्ताह की अवधि निर्धारित करने जा रहे हैं।

बच्चे के प्रथम नामकरण के पश्चात विभिन्न राज्यों में अन्य अवसरों पर भी नाम रखे जाते हैं। इस हेतु राज्यों को अपने अनुसार नियम बनाने की छूट दे दी गई है।

राज्य सभा ने पहले ही विचार करके इस विधेयक को पास कर दिया है। अतः इसे प्रवर समिति के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं है।

इस विधेयक के कारण किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई भी अधिकारी कार्यवाही करने से पूर्व मुख्य पंजीकार की अनुमति लेगा। अतः किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण तथा इससे सम्बन्धित मामलों हेतु विनियमन बनाने वाले विधेयक जैसा कि राज्य सभा ने पारित किया है, इस पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2 (परिभाषाएं तथा व्याख्यायें)

श्री बेणि शंकर शर्मा (बम्बई-मध्य) : मैं संख्या संशोधन 7 प्रस्तुत करता हूं : हमें इस समय केवल जीवित बालकों की ही गणना करनी चाहिए।

[**श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare *in the Chair.*]

श्री के० एस० रामास्वामी : परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये मृत प्रसवों का पंजीकरण भी आवश्यक है।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 8 तथा 9 प्रस्तुत करता हूं। मृत-प्रसवों के पंजीकरण के बाद फिर मृत-प्रसवों की मृत्यु का भी पंजीकरण करना पड़ेगा। इससे

जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़ों में बेकार की पेचीदगी आयेगी । अतः विधेयक से मृत प्रसव का शब्द निकाल दीजिये ।

श्री के०एस० रामास्वामी : परिवार नियोजन के बड़े कार्यक्रम हेतु मृत-प्रसवों के आंकड़े रखना आवश्यक है।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या मतदान के लिये सभा के सामने रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए पेश हुआ तथा अस्वीकार किया गया ।
The Amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 8 और 9 मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये पेश किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।
The Amendments were put and negatived

सभापति महोदय : अब मैं इस खण्ड को सदन में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2 विधेयक के साथ जोड़ा गया
Cl use 2 was added to the Bill

खण्ड 3

श्री लोबो प्रभु : खण्ड 3 के लिये संशोधन संख्या 10 एक प्रक्रिया सम्बन्धी संशोधन है क्योंकि इस खण्ड में समय समय पर रिपोर्ट देने को कहा गया है । दूसरी धाराओं में वार्षिक रिपोर्ट मांगी गई है । सारी रिपोर्ट वार्षिक होनी चाहिये । इससे सुविधा होगी ।

श्री के० एस० रामास्वामी : पंजीकार को विभिन्न उप-पंजीकारों से रिपोर्ट लेनी होती है । साप्ताहिक रिपोर्ट की आवश्यकता होती है ।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 3 को मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह हैं :

"कि खण्ड- 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 3 विधेयक के साथ जोड़ा गया
Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

सभापति महोदय : खण्ड 4 पर दो संशोधन हैं। एक माननीय सदस्य उनके लिये जोर देते हैं।

श्री लोबो प्रभु : जी, हां। मेरा पहला संशोधन यह है कि खण्ड 4 में "सरकार" के बाद "महा-पंजीयक" शब्द जोड़ दिया जाये। मेरा सुझाव यह है कि ये शब्द जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि महा-पंजीयक को भी बिना देरी के रिपोर्ट तैयार करनी होती है।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि "उतनी अवधि जितनी निर्धारित की जाये" शब्दों के स्थान पर "वर्ष के अन्तिम तीन महीनों के वार्षिक रिपोर्ट" शब्द रखे जाने चाहिये। हमारा पुराना अनुभव यह है कि रिपोर्ट अधिकारियों द्वारा तैयार किये जाने के लगभग एक वर्ष बाद मिलती रही है जो लोगों के पास कई बार तीन वर्ष बाद पहुंचती रही है। इसलिए यदि रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित न की गई तो वह तब ही प्रस्तुत की जाया करेगी जब वह पुरानी हो जायेगी। अत: ऐसे आंकड़ों का उतना उपयोग नहीं होगा जितना होना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान आंकड़ों को देखते हुए इस अभिलेख के महत्व को महसूस करना चाहिये। यदि आप इस बात को देखें कि पंजीयत आंकड़ों और अनुमानित आंकड़ों में शत प्रतिशत अन्तर है तो आपको इस विधेयक का इस तरह से प्रतिरोध नहीं करना चाहिये। वर्तमान व्यवस्था के अधीन आंकड़ों का हिसाब किताब ठीक नहीं रखा जाता है। इसलिये हमें विधेयक के प्रस्तावों को स्वीकार करना चाहिये तथा उन्हें जल्दी से जल्दी कार्य रूप दिया जाना चाहिये।

श्री के० एस० रामास्वामी : इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस विधेयक को पर:स्थापित किया है। हम समय समय पर रिपोर्ट मांग रहे हैं और यदि वे राज्यों को भेजी जायेंगी तो वह पंजीयक भी अवश्य भेजी जायेंगी। यदि कोई चीज न भी आये तो खण्ड 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। अत: मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन 11 और 12 मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।
The Amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 4 was added to the Bill

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं । इस सभा में रजिस्ट्रीकरण के अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बहुत चर्चा हुई थी । अतः मेरा यह सुझाव है कि ' नियुक्त करना" के स्थान पर "किसी अधिकारी को घोषित करना" शब्द रखे जाने चाहिये ।

श्री के० एस० रामास्वामी : मैं माननीय सदस्य का ध्यान सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की ओर आकर्षित करता हूं ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 13 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The Amendment was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 6 was added to the Bill

सभापति महोदय : तब खण्ड 7 पर तीन संशोधन है ।

श्री लोबो प्रभु : मैं उन पर जोर नहीं देता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8

(जन्म और मृत्यु रजिस्टर करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति)

सभापति महोदय : एक संशोधन श्री देवराव पाटिल के नाम में है। वह उपस्थित नहीं है। संशोधन संख्या 17 और 18 श्री लोबो प्रभु के नाम में है।

श्री लोबो प्रभु ; मैं अपने संशोधन संख्या 17 और 18 प्रस्तुत करता हूं। मैंने कहा था कि धारा 19 के अन्तर्गत पंजीयक को नियम बनाने चाहिये। परन्तु इस धारा में यह व्यवस्था है कि सरकार को नियम बनाने चाहिये। इसमें यह विषमता हैं। परन्तु यदि सरकार यह महसूस करती है कि अधिनियम में कोई सुधार नहीं हो सकता तो मैं इस संशोधन पर जोर नहीं देता हूं।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं अपना संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं। अधिकारियों को सूचना देने का उत्तरदायित्व घर के सबसे बड़े व्यक्ति पर रखा गया है। इसके अलावा उस काम को सबसे बड़े पुरुष व्यक्ति द्वारा किया जाना होता है। यह बात संविधान की भावना के विपरीत ही है। मेरा तो यह विचार है कि इसे पुरुष अथवा महिला किसी भी व्यक्ति द्वारा किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये। इसके अलावा कई परिवार ऐसे भी होते हैं जिनका सबसे बड़े पुरुष की आयु 90 वर्ष से भी अधिक होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह काम उनसे हो सकेगा। यह एक अव्यवहारिक सुझाव है। इसीलिये मैंने यह सुझाव दिया है कि या 'पुरुष' शब्द निकाल दिया जाना चाहिये अथवा उसके बाद "अथवा महिला" शब्द जोड़ दिये जाने चाहिये।

Shri Shrichand Goel (Chandigarh) : I also feel that Government should not find any difficulty in accepting this amendment because I don't feel it will make any material change if instead of the oldest male member any adult member of the house gives that information.

श्री लोबो प्रभु : मेरा एक और संशोधन यह है कि 'निकटतम' के स्थान पर "सबसे बड़ा" शब्द रखा जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि निकटतम सम्बन्धी तो किसी व्यक्ति का बच्चा अथवा उसकी पत्नी होगी।

श्री के० एस० रामास्वामी : इस उप-खण्ड का उद्देश्य तो परिवार के किसी व्यक्ति पर उत्तरदायित्व डालना है। उत्तरदायी व्यक्ति के लिये स्वयं जाकर रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है। वह स्वयं जाकर रिपोर्ट दे सकते हैं अथवा किसी के माध्यम से रिपोर्ट भिजवा सकते हैं। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम यह नहीं चाहते हैं कि कोई महिला सदस्य वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराये।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 17, 18 और 19 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10 (जन्म और मृत्यु की सूचना देने तथा मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने के लिये कुछ व्यक्तियों का कर्त्तव्य)

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं । मेरा सुझाव यह है कि "दोनों" के बाद "धारा 8 के अन्तर्गत पहले अनधिसूचित" शब्द रखे जाने चाहिये ताकि दोबारा सूचना न दी जाये ।

श्री के० एस० रामस्वामी : रजिस्ट्रेशन की दोबारा तसल्ली करने के लिये ही उसे रखा गया है । दोबारा रिपोर्ट किये जाने पर उसे पहली रिपोर्ट से मिलाया जायेगा ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, I have stood to oppose this clause very strongly. This clause says that it shall be the duty of the sweeper in a municipality, panchayat or other local authority to notify every birth or death or both at which he or she attended or was present. I feel that since the sweeper is a most backward person of the society from social, education and economic point of view therefore if this responsibility is cast on him it will not be tolerated. It is, therefore, my humble submission that necessary amendment should be made in this clause and only then presented before the House.

श्री श्रीचन्द गोयल : श्री जार्ज फरनेंडीज ने ठीक ही कहा है कि उप-खण्ड (ii) के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु की सूचना देने का उत्तरदायित्व नगरपालिका या पंचायत के मेहतरों का होगा तथा नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये जो व्यक्ति अनुपयुक्त होगा उसके विरुद्ध इस विधेयक के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । अतः मैं यह समझता हूं कि इस तरह से मेहतरों पर अत्याचार किये जायेंगे । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस उप-खण्ड में ठीक तरह से संशोधन किया जाना चाहिये ताकि जन्म तथा मृत्यु की सूचना देने का उत्तरदायित्व केवल उस मेहतर को हो जो उस मौके पर वहां पर उपस्थित हो । अतः मेरा आप से निवेदन यह है कि आप तो कानून को जानने वाले हैं इसलिये आप इस खण्ड को ऐसे पास न होने दें । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय भी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

सभापति महोदय : स्वीकार अथवा अस्वीकार करना तो सभा का काम है।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : खण्ड 10 के उप-खण्ड (i) में यह कहा गया है कि जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट करने का कर्त्तव्य केवल उस व्यक्ति का होगा। जो उस समय उपस्थित हो आदि, अन्यथा यह उत्तरदायित्व उसका नहीं होगा।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : I find to understand why the word sweeper has been introduced in this clause. It was only in the post that the sweeper was related with the work of birth or death. Today the sweeper has nothing to do with the births or death of any body. Births or deaths take place in hospitals these days. The sweeper has no direct relation in it. I feel that by the use of this Bill the whole community has been insulted.

श्री रा० ढो० भंडारे (बम्बई–मध्य) : मैं समझता हूँ कि इस खण्ड को समझने में कुछ गलतफहमी हो गई है। इस खण्ड में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को जानकारी हो या जो जन्म अथवा मृत्यु के समय उपस्थित हो उसे अवश्य सूचना देनी होगी। अतः मैं समझता हूँ कि यहां पर भंगी शब्द के प्रयोग से यहां किसी जाति अथवा समुदाय से मतलब नहीं है।

श्री के० एस० रामस्वामी : मुझे खेद है कि इस विधेयक को गलत समझा गया है, विशेषकर भंगियों के मामले में। हमें उनके साथ पूरी सहानुभूति है। हमें इस सम्बन्ध में नियम बनाने हैं तथा नियम बनाते समय हम माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखेंगे।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक गत पांच वर्षों से संसद् के समक्ष है। यह आम चुनावों से पहले व्यपगत हो गया था। यह विधेयक विवादास्पद भी नहीं है। हम इसकी सभी त्रुटियों को दूर करना चाहते हैं तथा हमने कई त्रुटियां दूर की भी हैं। जहां तक इस विशिष्ट मामले का सम्बन्ध है यह जानकारी का प्रश्न है। दूसरे यह खण्ड ऐसे क्षेत्रों पर लागू होगा जो निर्धारित किये जायेंगे। अतः हमें नियम बनाने हैं तथा नियम बनाते समय हम सभा में व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखेंगे।

जहां तक "भंगी" शब्द का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसका प्रयोग न तो आदर्श है और न ही वांछनीय। आप सबको प्रक्रिया का तो पता ही है। यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है और यदि हम इसमें अब संशोधन करते हैं तो इसे फिर राज्य सभा को वापिस भेजना पड़ेगा। अतः विधेयक को पारित करने में बहुत देरी हो जायेगी जबकि इसमें पहले ही काफी देरी हो चुकी है। अतः मैं सभा से प्रार्थना करता हूँ कि वह इसे अब पास कर दें तथा जब हम विधेयक में संशोधन करेंगे तो इस शब्द को निकाल देंगे।

** खां अब्दुल गफ्फार खां की भारत यात्रा

** VISIT OF KHAN ABDUL GHAFFAR KHAN TO INDIA

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, through this half-an-hour discussion I am going to tell this House the story of a man whom the people began to call the "Sarhadi Gandhi" even during the life time of Mahatma Gandhi. This is the story of a man who fought shoulder to shoulder alongwith Mahatma Gandhi for the independence and solidarity of the country. He was the man who never bowed to Muslim communalism and opposed tooth and nail the partition of the country. Bef re the achievement of independence he spent 12 years in British imprisonment and later on 15 years in the prisons of Pakistan. Thus I want to draw the attention of the House and the Government towards a man who has spent 27 years of his life in prisons. You must be remembering that he had refused to join the Muslim League though Shri Jinnah had offered him many things. During 1947 when communal riots were going on throughout the country there was no such thing in North West Frontier Province because he had a lot of influence there.

Khan Abdul Ghaffar Khan has expressed his inner feelings to some persons of India either through communications or to those who happened to see him there. He has felt sorry that congress has completely forgotten the promises made out to Pathans that they will fight for the Independence of Pathans as they were fighting for the independence of India. I feel that the Government of India has committed the same sort of mistake by not joining hands with Pakhtoons or Pathans as they had done in the case of Tibet. I feel that the Government has failed to fulfil its moral responsibility both in case of Pakhtoonistan and East Pakistan.

In case any other country raises the questions of independence of Pathans then India must support it and in case no other country raises this question in U.N.O. then it is the duty of the Government of India to put this demand that the Pathans should be given a right of plebiscite because their language, culture and conventions are altogether different. The Government of India should also fight for the injustice being meted out to them. The Pathans are in a very difficult situation because they are being ignored by the Government of India. In preface of a Government journal "Pradhan Mantri Niwas" it is written on behalf of the Prime Minister that "we should feel ashamed". The question is what for we should feel ashamed; whether we have given a word to Badshah Khan and we are not fulfilling that. Our Government should now correct the mistake. While implementing the Runn of Kutch Agreement our Government keep their promise in mind but they forget to fulfil their words in case of Badshah Khan and Pathans. As Badshah Khan is in his eighties, now he should be respected by Government by fulfilling their words given to him. It is my suggestion that a delegation from India should go Kabul and invite him to visit India. He should be called here and our Government should try to know his wishes and difficulties. It is a matter of sorrow that our Prime Minister is not present here to give assurance in matter regarding Badshah Khan. Government should not take this question lightly.

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : प्रधान मंत्री को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेना था इसलिये वह चली गई हैं। ऐसी बात नहीं है कि वह इस मामले में गम्भीर नहीं हैं। विचाराधीन मामला ऐसा है कि इसमें भावुक हुए बिना रहा

** आधे घंटे की चर्चा।

** Half-an-hour Discussion.

नहीं जाता । जैसे बादशाह खान तथा उनके संगठन की सेवाओं का ध्यान होता है वैसे ही हमारी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं, क्योंकि उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये अनन्यतम सेवा की थीं । सन् 1947 के पश्चात पखतूनिस्तान को स्वतन्त्र कराने के लिये उन्होंने अनेक कष्टों को सहन किया । यह भाग्य की ही विडम्बना है कि एक सुविख्यात वीर स्वतन्त्रता का सेनानी जेल में बन्द कर दिया जाये और उसे शारीरिक यातनाएं दी जायें ।

व्यक्तिगत स्तर पर हम इस प्रश्न पर जितने भावुक होते हैं हमारी राष्ट्रीय नीति इस मामले में उतनी ही संयमित होनी चाहिये । सरकार को इस पर तीन पहलुओं को सामने रखकर विचार करना पड़ता है । वे हैं --अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, राष्ट्रीय हित तथा पखतूनियों का हित । यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक गुत्थी सी बनी है जिसे सुलझाने में जरासी भी असावधानी बरतने से वह अधिक उलझ सकती है । यहां पर पाकिस्तान और भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तथा भारत और अफगानिस्तान के पारस्परिक सम्बन्ध एक सूत्र में अनुस्यूत हैं । हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिससे उपरोक्त देशों के बीच शीत युद्ध का वातावरण उत्पन्न हो जाये और अनजाने ही पखतूनियों का अहित हो जाये ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह एक गम्भीर मामला है और प्रधान मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विरोध पहले ही लिपिबद्ध किया जा चुका है । अब मंत्री महोदय सरकार की ओर से उत्तर दे रहे हैं । मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर अन्तर्बाधाएं उपस्थित न की जायें ।

श्री सुरेन्द्रपाल द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : परन्तु यह बड़ी विचित्र बात है कि सरकार शीत-युद्ध की आशंका से इस मामले में कुछ भी कहना या करना नहीं चाहती । यदि आप कुछ कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिये, अन्यथा 'शीतयुद्ध' को बीच में घसीटने से क्या लाभ है ।

Shri Rabi Ray (Puri) : May I know the way in which Shri Bhagat supported a proposal, which came up before U.N.O. on behalf of Pakhtoonistan for its support.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : प्रायः यह कहा जाता है कि पखतूनिस्तान के मामले में भारत सरकार की नीति बड़ी ही अस्पष्ट और दुर्बल है । सरकार ने समय-समय पर अपनी तत्सम्बन्धी नीति स्पष्ट की है । नवम्बर 1965 में वैदेशिक-कार्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में कहा था :

"पख्तुनिस्तान के मामले में हम पूर्णतः जागरुक हैं और जानते हैं कि वीर पखतूनी की स्वाभाविक इच्छाओं को दबाया जा रहा है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है । उनके संघर्ष के साथ हमारी सम्पूर्ण सहानुभूति है और खान अब्दुल गफ्फार खां इस दिशा में जो भी प्रयत्न करेंगे हम उनका निश्चय रूप से समर्थन करेंगे ।"

मई 1966 में पुनः यही नीति दुहरायी गई । जहां तक खान अब्दुल गफ्फार खां के उद्देश्यों के बारे में सफलता का सम्बन्ध है, उसके लिये तो स्वयं पखतूनों को ही कार्य करना होगा । प्रायः सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने बादशाह खां को सहायता देने

का वचन दिया था और वह पखतूनिस्तान को सहायता नहीं दे रही है। यह तो सच है कि बादशाह खां ने भारत से मदद के बारे कई भारतीय लोगों से बातचीत की है। परन्तु वह इस बात को बड़े ही अस्पष्ट ढंग से कहते हैं उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किस प्रकार की सहायता चाहते हैं।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : He asked for bombers and fighters. He expressed this demand to Dr. Lohia.

श्री समर गुह : उनकी स्पष्ट मांग यह थी कि भारत पखतूनों का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठायें।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं यह निश्चय के साथ कहता हूँ कि भारतीय राजदूत के सामने उन्होंने कभी भी यह मांग नहीं रखी, हालांकि वह कई बार भारतीय राजदूत से मिल चुके हैं।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : माननीय मंत्री कहते हैं कि बादशाह खां ने सरकार के प्रतिनिधि अर्थात् राजदूत के सामने कभी ऐसी मांग नहीं रखी। परन्तु, यदि बादशाह खां ऐसी मांग राजदूत के समक्ष रखते हैं, तो क्या सरकार उसे पूरा करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो काल्पनिक है जिसके उत्तर के लिये सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री समर गुह : श्री जयप्रकाश नारायण, जो अभी 15 दिन पहले उनसे मिले थे, वह तो नगण्य है और राजदूत की महत्ता अधिक है।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : ये बेशर्म, डरपोक और महत्वपूर्ण लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में ऐसी भाषा का प्रयोग न किया जाये। **[अन्तर्बाधाएं]**

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ; मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न पर वाद-विवाद समाप्त कर दिया जाये। [अन्तर्बाधाएं]

उपाध्यक्ष महोदय : निर्देशों के अधीन मंत्री महोदय विवरण सभा पटल पर रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा बृहस्पतिवार 14 नवम्बर 1968/23 कार्तिक 1890 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 14, 1968/Kartika 23, 1890 (Saka).

————